हरियाणा सरकार

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2018-19

वन विभाग, हरियाणा

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HARYANA FOREST DEPARTMENT FOR THE YEAR 2018-19

Haryana is primarily an agricultural state with almost 81% of its geographical area under cultivation. The geographical area of the state is 44,212 sq. km, which is about 1.3% of the geographical area of the country. The extent of recorded forest area in the state is 1,780 sq. km., which constitutes about 4.03% of the geographical area. The majority of the forest area is in form of strips along roads, canals, bunds and railways. The strip forests are notified as protected forest under the Indian Forest Act, 1927.

The National Forest Policy, 1988 envisage at least 33% of the geographical area of the country under forest and tree cover (FTC). The state of Haryana also formulated its own State Forest Policy in the year 2006 which aims to increase the FTC in the state to 20% in a phased manner. In view that Haryana is having very small area under forest cover, the endeavor of Forest Department’s is to preserve and increase the forest and tree cover in the state. In this direction, Forest Department is making all efforts to raise good plantations by implementing various aforestation schemes.

During 2018-19, 1.34 Crore saplings were planted (Departmental plantations – 0.97 Crore, Distribution of saplings - 0.37 Crore) against the plantation target of 1.37 Crore. The distribution of saplings was about 28% of the plantations carried out in the state. The expenditure under State Plan Schemes remained Rs. 302.44 Crore.

A scheme with name “Development of Agro-Forestry – Clonal and Non-Clonal” started during the year 2008-09 to encourage agro-forestry on farm lands for increasing the FTC in the state continued in year 2018-19. The main emphasis of the scheme is to raise of clonal eucalyptus on farmlands of small and marginal farmers. The scheme will go a long way in augmenting the supply of raw material for wood-based industries and increasing the income of farmers in the state besides, increasing the green cover in the state. A Plantation target of 5866.79 ha. was achieved spending an amount of Rs. 6132.49 lakh during 2018-19.

“Paudhagiri” Campaign

Hon’ble Chief Minister started the Paudhagiri campaign in all districts of the state in the year 2018-19 with the objective of creating awareness and affection for the trees among children.

The scheme is being implemented jointly by the Department of School Education and Forest Department. Saplings of fruit plants and other species are provided from the nurseries of Forest

Department to the students. Students who ensure the survival of these plants shall be provided with an incentive of Rs. 50 after every six months of plantation for a period of 3 years.

Soil and Moisture Conservation in Shivaliks and Aravalis

New Water Harvesting Structures have been constructed in Shivaliks and Aravalis, and old ones repaired to conserve water in these hills. These micro dams provide water for irrigation to farm lands in adjoining areas enhancing productivity of the lands. Also these dams have checked surface flow and increased ground water storage. Check dams are constructed to check soil erosion and prevent formation of gullies in the hills. An amount of Rs. 11 crore was spent on soil and moisture conservation works during the year 2018-19.

Conservation and Development of Aravalis

The Aravali hills extend over an area of about 1.13 lakh ha. in the districts of Faridabad, Gurugram, Nuh, Palwal, Rewari, Mahendergarh Charkhi Dadri and Bhiwani. These hills are important source of ground water recharge for Gurugram, Faridabad and South Delhi. The Hon'ble Supreme Court has emphasized that the entire Aravali hill range needs to be protected at any cost due to ecological reasons. This area is rich in biodiversity and also serves as a wild life corridor between Forests of Rajasthan and Asola wild life sanctuary. An amount of Rs. 9 crore was spent for Conservation and Development of Aravalis during the year 2018-19.

Growing Stock

The growing stock in the government forests was estimated as 85 lakh Cubic Meter during the year 2018-19 while it was 99 Lakh Cubic Meters during the year 2017-18. No new forest settlement work was carried out during the year 2018-19. Working Plan of Morni-Pinjore Division is being prepared.

Medicinal Forests/Herbal Park

Forest Department has established a Herbal Forest in Morni Hills where various species of medicinal plants like Harar, Bahera, Amla, Amaltas, Belpattar, Neem, Arjun etc. are being planted. Apart from raising these plantations, an MoU has been signed with Pitanjali Yog Peeth (PYP), Haridwar for technical guidance in development of the herbal forest. Plantations of Herbal species on 550 hectare were done in the year 2018-19. A hi-tech nursery is proposed to be established for raising quality seedlings of medicinal plants during 2019-20. With the resolve to make the state of Haryana a medicinal plant state, in the year 2018-19, 1336.52 lakh rupees were spent on plantations of medicinal value and awareness about medicinal plants and their cultivation was spread among masses. In the year 2019-20 it was targeted to spend Rs.1650 lakh on this program.

Herbal parks have been developed in all districts to generate awareness about the benefits of medicinal plants, herbs and shrubs. A total of 58 Herbal Parks have already been set up and another one Herbal Park is under the process of establishment.

The state has about 20% of the total forest area under Protected Areas. The state has 2 National Parks, 7 Wildlife Sanctuaries, 2 Conservation Reserves, 2 Community Reserves and 3 Small Zoos as mentioned below:-

National Parks

Sr. No.	Name of National Park	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Sultanpur	Gurugram	05.07.1991	352.17
2.	Kalesar	Yamunanagar	08.12.2003	11570.00

Wildlife Sanctuaries

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Bhindawas	Jhajjar	07.05.1986	1016.94
2.	Chhilchhila	Kaithal	28.11.1986	71.45
3.	Nahar	Rewari	30.01.1987	522.25
4.	Bir Shikargah	Panchkula	29.05.1987	1896.00
5.	Khaparwas	Jhajjar	27.03.1991	204.36
6.	Kalesar	Yamunanagar	13.12.1996 13.01.2000	13209.00 222.65
7.	Morni Hills (Khol-Hi-Raitan)	Panchkula	10.12.2004 07.09.2007	5501.88 6563.93

Conservation Reserves

Sr. No.	Name of Conservation Reserve	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Saraswati	Kaithal	11.10.2007	11003.00
2.	Bir-Bara-Ban	Jind	11.10.2007	1036.00

Community Reserves

Sr. No.	Name of Conservation Reserve	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Abubshehar	Sirsa	14.03.2018	28492.00
2.	Golden Jublee Brahm Sarovar	Kurukshetra	19.07.2017	89.36

Small Zoos

Sr. No.	Name of Zoo	District	Year of Establishment	Area (in Acre)
1.	Bhiwani	Bhiwani	1982-83	10.97
2.	Pipli	Kurukshetra	1985-86	27.00
3.	Rohtak	Rohtak	1985-86	41.29

The Bombay Natural History Society has set up "Vulture Conservation Breeding Centre" in collaboration with the Forest Department near Pinjore to conserve and rehabilitate vultures which are rapidly decreasing throughout India. This project was started in August, 2001 and was funded by the Darwin Initiative for the Survival of Species of U.K. Government for the first five years and now the activities are being funded and supported by the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), London. It is the first centre of its kind in Asia.

The details of vultures in the center are:-

Sr. No.	Species of Vulture	Adult	Juvenile	Total
1.	White backed	34	133	167
2.	Long billed	29	76	105
3.	Slender billed	10	31	41
	TOTAL	**73**	**240**	**313**

An Elephant Rehabilitation and Research Centre has been set up at Bansantour forest in Yamunanagar district. This centre takes up the rehabilitation of the sick, injured and rescued elephants by providing to them natural habitat. An amount of Rs. 18 lakh was spent on this centre during the year 2018-19.

The "Conservation and Breeding Centre for Peafowl and Chinkara" has been established in their natural habitat at Jhabua Reserve Forest (Rewari). Here they will breed in natural environment. The project is initially for 20 years and the expenditure during the project period is estimated to be around Rs. 20 crore including the salary of the staff. An amount of Rs. 20.40 lakh was spent on this centre during the year 2018-19.

The State Forest Policy of Haryana targets to create Self Help Groups (SHGs), preferably of women in rural areas for income generation activities for the people living below poverty line and to involve them in conservation of natural resources. SHGs are imparted proper training to start their micro-enterprises for self-employment and income generation. So far, 2487 Village Forest Committees (VFCs) and 1900 SHGs, mostly of women, have been constituted in the state for socio-economic empowerment of the people living in rural areas.

Physical and financial performance of the department during the year 2018-19 was as under:-

Physical and Financial Performance				
Sr. No.	**(A) State Recurring & Non-Recurring Schemes**	**Physical (in Ha.)**	**R.K.M.**	**Financial (Rs. in Lakh)**
(a)	**State Non-Recurring Schemes with Plantation Target**			
1.	Development of Agro-Forestry Clonal and Non-Clonal	5866.79	0.00	6132.49
2.	Green Belt in Urban Areas	0.00	537.40	695.83
3.	Rehabilitation of Degraded Forests	168.80	0.00	1019.50
4.	Revitalization of Institutions in Aravali Hills	451.00	0.00	907.02
5.	Herbal Nature Park / Herbal Forestry	550.00	0.00	1336.52
6.	Desert Control (2402)	32.00	0.00	82.76
7.	Recurring Schemes without Plantation Target	0.00	0.00	4581.98
(b)	**Non- Recurring Schemes**	0.00	0.00	**13311.70**
Total State Recurring & Non- Recurring Schemes (Forestry Wing)		**7068.59**	**537.40**	**28067.80**
(c) Central Sponsored Schemes on Sharing Basis				
1.	Integrated Development of Wild Life Habitats (Wild Life) (Central Share 143.33 lac & State Share 95.55 lac)	0.00	0.00	238.88
2.	Integrated Forest Protection (Now named as: Intensification of Forest Management (CSS) (Central Share 0.00 lac & State Share 0.00 lac)	0.00	0.00	0.00
3.	Strengthening Expansion and Improvement of Sanctuaries (Central Share 72.42 lac & State Share 73.40 lac)	0.00	0.00	145.82
4.	Agro-Forestry under National Mission for sustainable agriculture (NMSA) centrally sponsored scheme (Central Share 0.00 lac & State Share 0.00 lac)	0.00	0.00	0.00
Total (Share Basis Schemes)		0.00	0.00	**384.70**
(d).	**Wild Life Preservation**			
1.	Protection of Wild Life (451.41 lakh+70.05 lakh)	0.00	0.00	521.46
2.	Extension of Zoo & Deer Parks	0.00	0.00	328.12
3.	Normal Budget (Head Quarter Staff)	0.00	0.00	891.38
4.	Development of Kala Titar Tourism Complex at Abubshehar	0.00	0.00	13.00
5.	Development of Chaubisi ka Chabutra at Meham	0.00	0.00	18.52
6.	Development of Wild Life Sanctuary at Nahar	0.00	0.00	6.21
7.	Fizant Breeding Center at Morni	0.00	0.00	13.38
Total (Wild Life Preservation)		0.00	0.00	**1792.07**
G.Total Recurring and Non- Recurring Schemes (Wild Life & Forestry Wing)		**7068.59**	**537.40**	**30244.57**

(B) DRDA & OTHER AGENCIES				
1.	Wood based Industries	400.00	149.00	219.73
2.	CAMPA- Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority i. Plantation	700.43	6135.21	6124.62
	ii. Eco-Restoration in Aravalli Hills	483.00	0.00	668.36
4.	New Railway Line Jind, Sonipat Plantation	0.00	107.50	103.07
	DRDA & Other Agencies Total	**1583.43**	**6391.71**	**7115.78**
	Grand Total	**8652.02**	**6929.11**	**37360.35**

The Plan expenditure of the Department during the year 2018-19 was Rs. 302.44 Crore. Revenue amounting to Rs. 20.04 Crore was realized from the sale of major and minor forest produce, Rs. 0.17 Crore from sale of plants, Rs. 5.80 Crore from miscellaneous receipts and Rs. 0.60 Crore from wildlife preservation. Thus, the total revenue receipts and expenditure were Rs. 26.61 Crore and Rs. 302.44 Crore respectively. Establishment expenditure was assessed as Rs. 170.72 Crore which was 56% of the total expenditure. Gross expenditure including funds of Rs. 71.16 Crore made available to the department by other agencies like DRDA etc. was Rs. 373.60 Crore during the year 2018-19.

An amount of Rs. 4.01 Crore was spent on the construction of new buildings, roads and paths. The old buildings, roads and paths were repaired at a cost of Rs. 3.55 Crore. Thus, the expenditure on communication and buildings remained Rs. 7.56 Crore during the year, out of which expenditure under state scheme was Rs. 6.01 Crore and expenditure under CAMPA scheme was Rs. 1.55 Crore.

State-owned Forests Out-turn:

For the last many years, work of felling of trees was done both by the Departmental Production Wing and Haryana Forest Development Corporation. In the year 2019-20, the production wing has been abolished and the entire work of harvesting has been entrusted to the Haryana Forest Development Corporation. Trees having total volume of 115669 cubic meters were harvested from the government forests in the year 2018-19.

Forests and Wildlife Offences:

Indian Forest Act, 1927, Wildlife (Protection) Act, 1972 and rules framed thereunder were strictly enforced to protect forests and wildlife in the state. The trend of offences for last five years is given below: -

Offences under Indian Forest Act, 1927

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided during the year	Undetected cases of the year	Balance at the end of the year
2014-15	5092	7323	12415	7877	122	4416
2015-16	4416	7993	12409	8210	44	4155
2016-17	4155	6649	10804	5876	81	4847
2017-18	4847	6827	11674	7283	114	4277
2018-19	4277	7590	11867	6743	309	4815

Offences under Wild Life Protection Act, 1972

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided/Compounded within the year		Balance in the end of the year
				By Department	By Court	
2014-15	108	425	533	311	30	192
2015-16	192	378	570	418	24	128
2016-17	128	389	517	389	7	121
2017-18	121	302	423	218	11	194
2018-19	194	298	492	293	5	194

Monitoring and Evaluation:

The works of the Forest Department largely consist of raising of nurseries, earthwork, tree planting operations, protection of plantations from damage, guarding forest wealth from theft, soil conservation works, etc. The field staff is directly responsible for execution of the works and these require regular and periodic monitoring & evaluation. Monitoring of departmental works is both internal and external. The Forest Department has evolved a mechanism for internal monitoring within the department. External monitoring is got done through empanelled agencies of the State and the Central Governments. Also, in case of centrally sponsored schemes, monitoring is done by Govt. of India and in case of externally aided projects by the donor agencies.

Adoption of e-Governance:

Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS), the significant tools for scientific planning and management, are being developed to improve efficiency in accounts, administration, forest & wildlife management and management of personnel. Global Positioning Systems (GPS) are being used for mapping of forest boundaries, fire affected areas and plantation areas in the state. To monitor changes in Forest Tree Cover in the state, satellite imageries are being used. Decision Support Systems (DSSs) for core forestry functions like Forest Land Management, Forest Offence Management and Nursery Stock Management etc. have been developed. Another DSS on Forest Assets Management System has also been developed by the department.

Two e-Citizen Services namely "Permission for felling of trees from areas closed under Punjab Land Preservation Act, 1900" and "NOC in respect of Reserved Forests / Restricted Forests / PLPA" have been launched by the department. The Block Forest Areas are being got digitized by HARSAC, Hisar.

(Alok Nigam)
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Forest & Wild Life Department.

Chandigarh
Dated

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF FOREST DEPARTMENT FOR THE YEAR 2018-19

1. Thrust has to be given to Agro-forestry to bring 20% area under Forest and Tree Cover as envisaged in the State Forest Policy, 2006.
2. Trained Manpower in the field of Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS) is required for adoption of e-Governance in the department.
3. More rigorous Monitoring and Evaluation is needed for ensuring better survival of plantations raised by the department.
4. Decision Support Systems (DSSs) will have to be developed in the department to take quick decisions on the developmental works.
5. To minimize the cases of forest and wildlife offences, more awareness needs to be generated among people for protection of environment.
6. Forestry Research needs to be given greater priority.
7. The posting tenure of field staff, especially in Territorial wing, should be stable and their frequent transfers should be avoided.

(Alok Nigam)
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Forest & Wild Life Department.

Chandigarh
Dated

हरियाणा वन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 की समीक्षा

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर खेती की जाती है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग कि. मी. है जो कि भारतीय संघ के भू–भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1780 वर्ग कि. मी. है जो कि भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 4.03 प्रतिशत है। अधिकांश वन क्षेत्र सड़कों, नहरों, बांधों तथा रेलों के साथ लगती स्ट्रिप के रूप में है। स्ट्रिप वनों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने भी वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को चरण बद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरियाणा में वनों के अधीन बहुत कम क्षेत्र हैं, वन विभाग का प्रयास राज्य में वन और वृक्षावरण वृद्धि एवं संरक्षण करना है। इस दिशा में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की विभिन्न वन योजनाओं को लागू करके अच्छे पौधे उगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे है।

वर्ष 2018-19 में 1.37 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 1.34 करोड़ पौधे (विभागीय पौधारोपण–0.97 करोड़, वितरित पौधे–0.37 करोड़) लगाए गए। राज्य में पौध वितरण, रोपण लक्ष्य का 28 प्रतिशत रहा। प्लान स्कीमों का खर्च 302.44 करोड़ रुपये रहा।

वर्ष 2008-09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए, "कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरु की गई। जो वर्ष 2018–19 में भी जारी रही। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर क्लोनल सफेदे के पौधे लगाना है। यह स्कीम राज्य के किसानों की आय वृद्धि और काष्ठ आधारित ईकाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहयोगी सिद्ध होगी इसके अतिरिक्त राज्य में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 6132.49 लाख रुपये खर्च करके 5866.79 है0 भूमि पर पौधारोपण किया गया।

पौधागिरी अभियान

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2018–19 में ''पौधागिरी नामक अभियान'' की शुरूआत बच्चों में पौधों के बारे में जागरुकता व लगाव पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। यह स्कीम स्कूल, शिक्षा एवं वन विभाग द्वारा सयुंक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। वन विभाग द्वारा पौधशालाओं से बच्चों को फलदार तथा अन्य प्रजातियों के पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं जो बच्चे, इन पौधों को लगाकर अच्छे से देखभाल करते हैं उन्हें प्रत्येक छः माह के बाद 50 रु0 प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन वर्ष तक दिए जाएंगे।

षिवालिक तथा अरावली में भूमि व जल संरक्षण

शिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई हेतू जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं एवं पुरानी संरचनाओं की मुरम्मत का कार्य किया गया। इन छोटे बांधों के साथ लगती हुई कृषि भूमि पर सिंचाई हेतू पानी उपलब्ध करवाया गया जिससे कृषि उत्पादन में वृद्दि हुई है। इन बांधों द्वारा पानी को बहने से रोका जाता है एवं भूमिगत जल में भी बढ़ोतरी हुई है। मिट्टी के बांधों द्वारा पहाड़ियों में भूमि कटाव को रोका जाता है। भूमि व जल संरक्षण कार्य पर वर्ष 2018–19 में 11 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

अरावली का संरक्षण एवं विकास

अरावली की पहाड़ियां फरीदाबाद, गुरूग्राम, पलवल, नूँह, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी तथा भिवानी जिलों के 1.13 लाख है0 में फैली हुई है। गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा दक्षिणी दिल्ली में भूमिगत जल के संरक्षण में इनकी अहम भूमिका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी कीमत पर इसको बचाने पर जोर दिया है यह क्षेत्र जैव विविधता से संपूर्ण है तथा राजस्थान एवं असौला के वनों तथा वन्य प्राणियों को आपस में जोड़ता है। वर्ष 2018–19 में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण एवं विकास के लिए 9 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

ग्रोईंग स्टॉक

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी जंगलों का अनुमानित ग्रोईंग स्टॉक 85 लाख घ.मी. रहा जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान यह 99 लाख घ.मी. था। वर्ष 2018-19 के दौरान कोई नया वन बंदोबस्त कार्य नहीं किया गया। मोरनी–पिंजौर वन मण्डल की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

औषधीय वन / हर्बल पार्क

मोरनी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा भिन्न–2 प्रजातियों के औषधीय पौधे जैसे हरड़, बेहड़ा, आंवला, अमलतास, बेलपत्र, नीम, अर्जुन आदि पौधे लगाकर औषधीय वन स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार के साथ औषधीय वन के विकास में विभाग को तकनीकी परामर्श देने हेतू एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए है। वर्ष 2018–19 में 550 है. भूमि पर औषधीय पौधारोपण किया गया है। वर्ष 2019–20 में अच्छी गुणवत्ता के पौधे उगाने के लिए एक उन्नत पौधशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य को औषधीय पादप राज्य बनाने के संकल्प के साथ वर्ष 2018–19 में औषधीय मूल्यों तथा पौधों के प्रति जागरूकता पर 1336.52 लाख रुपये खर्च किये गए ताकि उनकी खेती जन साधारण में फैले। वर्ष 2019–20 में इस कार्यक्रम पर 1650 लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

औषधीय पौधों के गुणों के प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। अब तक 58 हर्बल पार्क विकसित किए जा चुके हैं और एक अन्य पार्क विकसित किया जा रहा है।

राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण आरक्षः, 2 सामुदायिकी आरक्षिति तथा 3 लघु चिड़ियाघर है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

राष्ट्रीय उद्यान

क. सं.	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	सुलतानपुर	गुरुग्राम	05.07.1991	352.17
2.	कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00

वन्य–प्राणी विहार

क. सं.	वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94
2.	छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45
3.	नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25
4.	बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00
5.	खापड़वास	झज्जर	27.03.1991	204.36
6.	क्लेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00
			13.01.2000	222.65
7.	मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501.88
			07.09.2007	6563.93

संरक्षण आरक्षः

क. सं.	संरक्षण आरक्षः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00
2.	बीड बड़ा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00

सामुदायिकी आरक्षिति

क. सं.	सामुदायिकी आरक्षिति का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	अबूबशहर	सिरसा	14.03.2018	28492.00
2.	गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर	कुरूक्षेत्र	19.07.2017	89.36

लघु चिड़ियाघर

क. सं.	चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	भिवानी	भिवानी	1982-83	10.97
2.	पिपली	कुरुक्षेत्र	1985-86	27.00
3.	रोहतक	रोहतक	1985-86	41.29

भारत में तेजी से कम हो रहे गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा पिंजौर के निकट वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए "गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र" की स्थापना की गई है यह केन्द्र अगस्त 2001 में शुरू किया गया तथा यह केन्द्र ब्रिटिश सरकार की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन इनिशिएटिव द्वारा पहले पांच साल के लिए वित्त पोषित किया गया और अब इस केन्द्र की गतिविधियां पक्षियों के संरक्षण हेतु रॉयल सोसायटी (आर.एस.पी.बी.) लन्दन द्वारा बी.एन.एच.एस. को उपलब्ध करवाये गये धन से समर्थित हैं। गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु स्थापित एशिया में यह अपनी तरह का पहला केन्द्र है।

इस केन्द्र में उपलब्ध गिद्धों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रं सं.	गिद्ध की प्रजाति	व्यस्क	किशोर	कुल
1.	White backed	34	133	167
2.	Long billed	29	76	105
3.	Slender billed	10	31	41
	कुल	**73**	**240**	**313**

यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों के पुनर्वास का कार्य किया जाता है जिससे इन्हें प्राकृतिक आवास मिल सके। इस केन्द्र पर 18 लाख रुपये की राशि वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च की गई।

रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में मोर तथा चिंकारा के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। वे यहां प्राकृतिक ढंग से प्रजनन करेगें। यह परियोजना शुरूआती 20 वर्षों के लिए है तथा परियोजना अवधि के दौरान खर्च की रकम कर्मचारियों के वेतन सहित 20 करोड़ होगी। इस केन्द्र पर वर्ष 2018-19 के दौरान 20.40 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

हरियाणा राज्य की वन नीति के तहत स्वयं सहायता समूहों के बनाने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, आय

अर्जन गतिविधियों के लिए और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शामिल करने के लिए स्वयं सहायता समूह के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों को लघु–उद्योगों के माध्यम से स्वः रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये 2487 ग्राम वन समितियों एवं विशेषतः महिलाओं के 1900 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति वर्ष **2018-19** के दौरान निम्न प्रकार से रहे :–

क्र. सं.	(अ) राज्य की आवर्ती और गैर–आवर्ती योजनाएं	भौतिक		वित्तीय (रुपये लाखों में)
		है0	आर.के.एम.	
(क) पौधारोपण लक्ष्य के साथ राज्य की आवर्ती योजनाएं				
1.	कृषि वानिकी का कूटक/गैर कूटक विकास	5866.79	0.00	6132.49
2.	शहरी क्षेत्रों में हरी पट्टी	0.00	537.40	695.83
3.	परिभ्रष्ट वनों का पुनर्वास	168.80	0.00	1019.50
4.	अरावली पहाड़ियों पर संस्थाओं का पुनरुत्थान	451.00	0.00	907.02
5.	हर्बल नेचर पार्क/हर्बल फोरेस्ट्री	550.00	0.00	1336.52
6.	मरुस्थल नियंत्रण (2402)	32.00	0.00	82.76
7.	पौधारोपण लक्ष्य रहित राज्य आवर्ती स्कीमें			4581.98
ख	गैर आवर्ती योजनाएं			13311.70
राज्य की आवर्ती और गैर–आवर्ती वानिकी योजनाओं का योग		**7068.59**	**537.40**	**28067.80**
(ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (शेयर बेसिज)				
1.	वन्यजीव निवास के समन्वित विकास (वन्यजीव) (केन्द्रीय शेयर – 143.33 लाख तथा राज्य शेयर – 95.55 लाख)	0.00	0.00	238.88
2.	समेकित वन संरक्षण (केन्द्रीय शेयर – 0.00 लाख तथा राज्य शेयर – 0.00 लाख)	0.00	0.00	0.00
3.	वन्य प्राणी विहारों का सुधार, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण (केन्द्रीय शेयर – 72.42 लाख तथा राज्य शेयर – 73.40 लाख)	0.00	0.00	145.82
4.	एग्रो फोरेस्ट्री (केन्द्रीय शेयर – 0.00 लाख तथा राज्य शेयर – 0.00 लाख)	0.00	0.00	0.00
शेयर बेसिज स्कीमों का योग		0.00	0.00	**384.70**
(घ) वन्य प्राणी परिरक्षण				
1.	वन्य–प्राणी संरक्षण (451.41 लाख+70.05 लाख)	0.00	0.00	521.46
2.	चिड़ियाघरों व हिरण पार्कों का विस्तार	0.00	0.00	328.12
3	नॉरमल बजट (मुख्यालय स्टाफ)	0.00	0.00	891.38
4	काला तीतर, अबूबशहर का विकास	0.00	0.00	13.00
5	चौबीसी का चबूतरा मैहम का विकास	0.00	0.00	18.52
6	नाहड़ वन्य प्राणी विहार का विकास	0.00	0.00	6.21
7	फिजैन्ट ब्रीडिंग सैन्टर, मोरनी	0.00	0.00	13.38
जोड़		0.00	0.00	1792.07

कुल योग (वन्य प्राणी व वानिकी विंग)		**7068.59**	**537.40**	**30244.57**
(ख) डी.आर.डी.ए. तथा अन्य संस्थाएं				
1.	काष्ठ आधारित उद्योग	400.00	149.00	219.73
2.	कैम्पा (प्रतिपूरक वानिकी कोष प्रबन्धन पौधारोपण संस्था) क) पौधारोपण ख) अरावली की पहाड़ियों में पर्यावरण बहाली।	 700.43 483.00	 6135.21 0.00	6124.62 668.36
3.	नई रेलवे लाईन, जीन्द, सोनीपत पौधारोपण	0.00	107.50	103.07
डी.आर.डी.ए. तथा अन्य संस्थाओं का जोड़		**1583.43**	**6391.71**	**7115.78**
कुल –जोड़		**8652.02**	**6929.11**	**37360.35**

योजना पर खर्च :

वर्ष 2018-19 के दौरान विभागीय योजनागत खर्चा 302.44 करोड़ रुपये था, मुख्य व लघु वन उपज की बिक्री से 20.04 करोड रुपये, पौधों की बिक्री से 0.17 करोड़ रुपये, मिश्रित प्राप्तियों से 5.80 करोड़ रुपये तथा वन्य–प्राणी संरक्षण से 0.60 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। इस प्रकार विभागीय राजस्व प्राप्तियां व कुल खर्च क्रमशः 26.61 करोड़ रुपये व 302.44 करोड़ रुपये रहा। कुल स्थापना खर्च 170.72 करोड़ रुपये आंका गया जो कि कुल खर्च का 56 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 में डी.आर.डी.ए. इत्यादि अन्य एजेन्सियों से प्राप्त 71.16 करोड़ रुपये की राशि सहित सम्पूर्ण खर्च 373.60 करोड़ रुपये रहा।

नए भवनों, सड़कों व मार्गों के निर्माण पर 4.01 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। पुराने भवनों, सड़कों व मार्गों की मुरम्मत 3.55 करोड़ रुपये की लागत से की गई। इस प्रकार से वर्ष के दौरान विभाग द्वारा संचार तथा भवनों पर 7.56 करोड़ रुपये खर्च किए गए और जिसमें स्टेट स्कीम का खर्च 6.01 करोड़ रुपये तथा कैम्पा स्कीम का खर्च 1.55 करोड़ रुपये रहा।

राज्य के सरकारी जंगलों से कटाई

पिछले कई वर्षों से पेड़ों की कटाई का काम विभागीय उत्पादन विंग और हरियाणा वन विकास निगम द्वारा किया जाता था। वर्ष 2019–20 में उत्पादन विंग को समाप्त कर दिया गया है और कटाई का काम पूरी तरह से हरियाणा वन विकास निगम को सौंपा गया है। वर्ष 2018-19 में हरियाणा वन विकास निगम द्वारा सरकारी जंगलों से 115669 घ.मी. वृक्षों की कटाई की गई है।

वन एवं वन्य–प्राणी अपराध

राज्य में वन एवं वन्य–प्राणियों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य–प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम सख्ती से लागू रहे। पिछले पांच वर्षों के वन अपराध सम्बन्धी आंकड़ों की समीक्षा निम्न प्रकार रहीः–

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	**31** मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुए	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के दौरान जिन मामलों का पता नहीं चला	वर्ष के अन्त में बकाया
2014-15	5092	7323	12415	7877	122	4416
2015-16	4416	7993	12409	8210	44	4155
2016-17	4155	6649	10804	5876	81	4847
2017-18	4847	6827	11674	7283	114	4277
2018-19	4277	7590	11867	6743	309	4815

वन्य–प्राणी सुरक्षा अधिनियम, **1972** के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	**31** मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुए	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान		वर्ष के अन्त में बकाया
				विभाग द्वारा	न्यायालय द्वारा	
2014-15	108	425	**533**	311	30	192
2015-16	192	378	**570**	418	24	128
2016-17	128	389	**517**	389	7	121
2017-18	121	302	**423**	218	11	194
2018-19	194	298	**492**	293	5	194

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के कार्य मुख्यतः नर्सरी उगाना, अर्थ वर्क, पौधे लगाना, पौधारोपण की देखरेख के दौरान उसका नुकसानों से बचाव करना, वन सम्पदा की चोरी रोकना, भू–संरक्षण कार्य आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है, और इन कार्यों की नियमित तथा सामायिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। विभागीय जांच एवं मूल्यांकन का कार्य दोनों आन्तरिक और बाहरी तौर से किया जाता है। वन विभाग ने विभाग के अन्दर ही आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की है। बाहरी मूल्यांकन राज्य और केन्द्र सरकारों के पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामलों में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तथा बाहरी मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुदान देने वाली संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है।

ई– शासन अंगीकार :

लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं

वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का उपयोग किया जा रहा है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यों के निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है।

"पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत बंद क्षेत्रों से पेड़ काटने बारे अनुमति" तथा "आरक्षित वन/प्रतिबंधित वन/पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों बारे अनापत्ति पत्र" नामक दो नागरिक सेवाओं को विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ब्लॉक वन क्षेत्रों को हारसैक, हिसार की मदद से डिजिटाईजड करवाया जा रहा है।

(आलोक निगम)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्य प्राणी विभाग।

चण्डीगढ़
दिनांक

वन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2018–19 की समालोचना

1. राज्य वन नीति 2006 में निर्धारित 20 प्रतिशत भू–भाग पर वन एवं वृक्षावरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि वानिकी की ओर अधिक ध्यान देना होगा।
2. ई–शासन को अपनाने हेतु प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) सम्बन्धी विशेषज्ञ स्टाफ की विभाग में आवश्यकता है।
3. विभाग द्वारा किए गए पौधारोपण की अधिक सफलता हेतू कठोर जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है।
4. निर्णय समर्थक प्रणालियों को विकास कार्यो के कार्यान्वयन आदि पर त्वरित निर्णय लेने के लिए विकसित करना होगा।
5. वन तथा वन्य–प्राणी अपराधों के केसों को कम करने के लिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में अधिक जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है।
6. वानिकी अनुसंधान कार्यों पर और अधिक जोर देना होगा।
7. क्षेत्रीय विंग के फील्ड अमले के नियुक्ति कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए और उनका जल्दी–जल्दी स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए।

(आलोक निगम)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्य प्राणी विभाग।

चण्डीगढ़
दिनांक

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19

क्र. सं.	भाग	अध्याय	फार्म संख्या	फार्म का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	एक	एक	16	चराई के लिए बन्द तथा खुला क्षेत्र।	8
			17	राज्य वनों में चराई सम्बन्धी विवरण।	9
2.	एक	दो	-		
3.	एक	तीन	-		
4.	एक	चार	-		
5.	एक	पॉच	-		
6.	एक	छः	-		
7.	दो	एक	7	आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीयकृत, धारा 38, धारा 4 व 5 के अधीन बन्द वन क्षेत्र।	24-34
			8	वन बन्दोबस्त में की गई प्रगति।	36
			9	सीमाओं की हदबन्दी और अनुरक्षण का रिकार्ड।	37
			10	भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षित तथा सर्वेक्षणाधीन वन क्षेत्र।	38
			18	पुनरोत्पादन तथा पौधारोपण की प्रगति।	39-41
8.	दो	दो	11	कार्य योजनाओं में की गई प्रगति।	43
			12	संचार तथा भवन।	44-51
9.	दो	तीन	19	ईमारती लकड़ी और ईंधन का उत्पादन (घन मीटर) में।	58-59
			20	लघु वन उपज का उत्पादन।	60
			21	लकड़ी तथा अन्य उपज का हिसाब जो काटी गई या सरकारी एजेन्सी द्वारा एकत्रित की गई एवं डिपों पर लाई गई स्थानीय दे दी गई या जिसका अन्यथा निपटान किया गया।	61
			22	बिक्री डिपो पर लकड़ी तथा अन्य उपज का मूल्य दर्शाते हुये विवरण पत्र।	62
			23	निष्क्रिय स्टॉक का मूल्य दर्शाते हुये विवरण पत्र।	63-64
10.	दो	चार	—		
11.	दो	पाँच	24, 24-ए, 24-बी	राजस्व तथा व्यय का सारांश।	67-68
			26	राजस्व के सम्बन्ध में प्राप्त और बकाया राजस्व।	69-70
			27	ठेकेदारों और वितरकों के सम्बन्ध में बकाया और देयतायें।	71-72
12.	दो	छः	-		
13.	दो	सात	-		
14.	दो	आठ	-		
15.	दो	नौ	13	वन नियमों का उल्लंघन सम्बन्धी रजिस्टर।	95-98
			14	दावानल से रक्षित वन क्षेत्र।	99
			15	दावानल के मामले।	100-102

<u>भाग एक–अध्याय एक</u>

भूमिका

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर खेती की जाती है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 44212 वर्ग कि. मी. है जो कि भारतीय संघ के कुल भू–भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1780 वर्ग कि. मी. है जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 4.03 प्रतिशत है। अधिकांश वन क्षेत्र सड़कों, नहरों, बांधों तथा रेलों के साथ लगती स्ट्रिप के रूप में है। इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 अनुसार देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन एवं पौधारोपण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को चरण बद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। चूंकि हरियाणा में वनों के अधीन बहुत कम क्षेत्र है इसलिए वन विभाग का प्रयास राज्य में वन और वृक्षावरण वृद्धि एवं संरक्षण करना है। इस दिशा में वन विभाग विभिन्न वन उपज योजनाओं को लागू करके वनों और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने के सभी प्रयास कर रहा है।

वर्ष 2008–09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए "कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरु की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर वाणिज्यिक कीमत वाले क्लोनल सफेदा और पापुलर के पौधे उगाना है। यह योजना राज्य की काष्ठ आधारित इकाईयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना के तहत वर्ष 2018–19 में 61.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए व वर्ष 2019–20 के तहत 90 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान विभागीय स्कीमों व अन्य पौधारोपण कार्यक्रमों के तहत कुल 8652.02 है. व 6929.11 आर.के.एम. क्षेत्र पर पौधारोपण कर विभाग द्वारा 0.97 करोड़ पौधे लगाए गए। इसके अलावा 0.37 करोड़ पौधे आम जनता में मुफ्त बांटे गए। इस प्रकार से कुल 1.34 करोड़ पौधे वर्ष के दौरान राज्य में लगाए गए। विभागीय प्लान स्कीमों के अन्तर्गत 302.45 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान खर्च किए गए।

वानिकी अंशभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक योजनागत कार्यों का वर्ष 2018–19 का संक्षिप्त, विश्लेषणात्मक विवरण निम्न तालिका के तहत आंका जा सकता है:–

Budget Allocation & Expenditure (revised) – 2018-19

A.	Total Budget	(In Crore)		%
		Allocation	Exp.	
		415.37	**302.45**	**73**
	State Plan	400.37	298.60	75
	Central Share (4 Schemes)	15.00	3.85	26
	Physical Achievement			

	Area in Ha.	7107.96	7068.59	99
	Area in RKM	537.40	537.40	100
B.	**State Schemes including Share Basis (SS)**			
	Budget	391.57	300.29	77
	State Schemes – (6 Schemes)			
	Total Budget	**119.86**	**101.74**	**85**
	Area in Ha.	7107.96	7068.59	99
	Area in RKM	537.40	537.40	100
C.	**Centrally Sponsored Schemes – (4 Schemes)***			
	Total Budget	**15.00**	**3.85**	**26**
	CSS	8.80	2.16	25
	SS	6.20	1.69	27
D.	**Wild Life Preservation - (8 Schemes)**			
	Total State Budget	**20.63**	**17.92**	**87**
	Protection of Wildlife	6.00	4.51	75
	Extension of Zoo & Deer Parks	4.50	**3.28**	73
	Recurring 6 Schemes (Wild Life Wing)	10.13	10.13	100

*** 1.**	**Strengthning Expansion and improvement of sancturies**			
	CSS	3.00	0.73	24
	SS	2.00	0.73	37
*** 2.**	**Integrated Development of Wildlife habitats**			
	CSS	2.80	1.43	51
	SS	2.20	0.96	44
*** 3.**	**Integrated Forest Protection (Now named as Intensification of Forest Management**			
	CSS	1.20	0.00	0.00
	SS	0.80	0.00	0.00
*** 4.**	**Agro-Forestry under National Mission for sustainable agriculture (NMSA) Centrally Sponsored Scheme**			
	CSS	1.80	0.00	0.00
	SS	1.20	0.00	0.00

स्वयं सहायता समूह

राज्य वन नीति में विशेष रुप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो सके। इन स्वयं सहायता समूहों को लघु–उद्योगों के माध्यम से स्व–रोजगार पाने व आय में बढ़ोतरी करने हेतु बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये विशेषतः महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर, 1900 स्वयं सहायता समूह एवं 2487 ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों कीं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो सके।

पौधागिरी अभियान

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2018–19 में ''पौधागिरी नामक अभियान'' की शुरूआत बच्चों में वनों के बारे में जागरुकता व लगाव पैदा करने के उद्देश्य से की गई। यह स्कीम स्कूल, शिक्षा एवं वन विभाग द्वारा सयुंक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। वन विभाग द्वारा पौधशालाओं से बच्चों को फलदार तथा अन्य प्रजातियों के पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं जो बच्चे, इन पौधों को लगाकर अच्छे से देखभाल करते हैं उन्हें प्रत्येक छः माह के बाद 50 रु0 प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन वर्ष तक दिए जाएंगे।

औषधीय वन/हर्बल पार्क

मोरनी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा हरड़, बेहड़ा, आंवला, अमलतास, बेलपत्र, नीम, अर्जुन इत्यादि पौधे लगाकर औषधीय वन स्थापित किया गया है इसके अतिरिक्त पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार के साथ औषधीय वन की स्थापना में विभाग को तकनीकी परामर्श देने हेतू एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए है। वर्ष 2018–19 में 550 है. भूमि पर औषधीय पौधारोपण किया गया है तथा वर्ष 2019–20 में अच्छी गुणवत्ता के पौधे उगाने के लिए एक उन्नत पौधशाला तैयार की जायेगी। हरियाणा राज्य को औषधीय पादप राज्य बनाने के संकल्प के साथ वर्ष 2018–19 में औषधीय उद्यानों की स्थापना तथा औषधीय वानिकी पर 1336.52 लाख रुपये खर्च किये गए ताकि लोगों में औषधीय पौधों के प्रति जागरुकता बढ़े तथा वह इनकी खेती कर सकें। वर्ष 2019–20 में इस कार्यक्रम पर 1650 लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इन उद्यानों तथा पार्कों के मुख्य उद्वेश्य हैः– अनुसंधान तथा अध्ययन हेतु औषधीय पौधों का संरक्षण करना, स्वदेशी तथा विदेशी पौधों की प्रजातियों का संरक्षण व विस्तार करने के उद्देश्य से जीनपूल का विकास करना, क्षेत्र के स्थानीय लोगों में औषधीय तथा सुगन्धित पौधों के कृषिकरण व उपयोग को प्रचलित करना औषधीय पौधों पर आधारित सतत् संसाधनों की स्थापना करना।

हरियाणा के प्रत्येक जिले में औषधीय पौधों के नाम से 2005–06 से 2018–19 तक 6187.37 लाख रुपये की लागत से 58 औषधीय उद्यान/पार्कों का विकास किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एक अन्य औषधीय उद्यान/पार्क की स्थापना की जा रही है। स्थापित औषधीय उद्यानों का विवरण निम्न प्रकार से दर्ज किया जाता हैः–

Sr. No.	Name of District	Name of Herbal Park	Location	Area of Herbal Park (in acres)	Status of Land	Year of Establi-shment
1	2	3	4	5	6	7
1.	Panchkula	Kapoor Vatika	DP-244, Mallah Road	25	Protected Forest	2005-06
2.		Thapli Herbal Park	Village Thapli	10	Protected Forest	2011-12
3.		Tikar – Tal Herbal Park	Tikar – Tal	20	Protected Forest	2011-12
4.	Ambala	Harar Vatika	Old Officer's Colony	5	Govt. land	2005-06

5.		Cantt Herbal Park	Ambala Cantt.	25	Army land	2009-10
6.	Ambala	Wakf Board Herbal Park	Ambala Cantt.	5	Govt. land	2011-12
7.		Shankar Herbal Park	Khera Village	4	Panchayat Land	2012-13
8.	Y/Nagar	Rudraksh Vatika	Chuharpur Village	184	Reserved Forest	2006-07
9.		Adibadri Herbal Park	Adibadri	10	Panchayat Land	2009-10
10.	KKR	Arjun Vatika	Rawgarh	8	Protected Forest/ Panchayat Land	2007-08
11.	Kaithal	Jamun Vatika	Siwan	25	Reserved Forest	2007-08
12.		Guhna Vatika	Guhna Village	15	Panchayat Land	2011-12
13.		Ashok Vatika	Gharaunda	5	Municipal Committee Land	2008-09
14.	Karnal	Indri Herbal Park	Indri	10	Protected Forest	2011-12
15.	Panipat	Bilva Vatika	Patti Kalyana Village	14	Panchayat Land	2008-09
16.	Sonepat	Amaltas Vatika	HAIC Murthal	8	Govt. land	2008-09
17.		Khanpur Kalan Herbal Park	Khanpur	12	Govt. land	2009-10
18.	Rohtak	Neem Vatika	Samar Gopalpur	42	Govt. land	2008-09
19.	Jhajjar	Putranjiva Vatika	Kamalgarh	8	Panchayat Land	2008-09
20.		Herbal Park Bhindawas	Bhindawas	5	Wildlife Santuary	2009-10
21.	Gurugram	Anwala Herbal Vatika	Sohna	15	Reserved Forest	2008-09
22.	Faridabad	Ratanjot Vatika	Gurugram Canal, Faridabad	10	Protected Forest	2008-09
23.	M/Garh	Guggal Vatika	Salimabad	35	Reserved Forest	2008-09
24.		Chawan Rishi Vatika	Doshi Village	45	Panchayat Land	2008-09
25.		Faizalipur Herbal Park	Faizalipur Village	17	Panchayat Land	2011-12
26.		Kariya Herbal Park	Kariya Village	16	Panchayat Land	2011-12
27.		Kheri Herbal Park	Kheri Village	17	Panchayat Land	2011-12
28.		Mohalara Herbal Park	Mohalara Village	16	Panchayat Land	2013-14
29.		Blaha Kalan Herbal Park	Blaha Kalan Village	19	Panchayat Land	2013-14
30.		M/Garh Herbal Park	Forest Complex, M/Garh	5	Govt. Land	2016-17
31.		Bachhod Herbal Park	Bachhod Village	10	Panchayat Land	2014-15
32.		Koka Herbal Park	Koka Village	10	Panchayat Land	2014-15
33.		Kanina Herbal Park	Kanina Village	10	Panchayat Land	2014-15
34.		Bocharia Herbal Park	Bocharia		Panchayat Land	Under Establishment
35.		Indira Gandhi Memorial Herbal Park	Devlawas	16	Panchayat Land	2008-09
36.		Gurwara Herbal Park	Gurawara	9	Panchayat Land	2014-15
37.		Rajiv Gandhi Memorial Herbal Park	Masani Barrage, Dharuheda	15	Govt. land	2011-12
38.		Khalilpuri Vatika	Khalilpuri	9	Panchayat Land	2011-12
39.		Shaheed Bhagat Singh	Kakodia	9	Panchayat Land	2011-12

		Herbal Park Kakodia				
40.	Rewari	Netaji Subhash Chander Bose Akeda Vatika	Akeda Village	18	Panchayat Land	2011-12
41.		Mahatma Gandhi Memorial Herbal Park	Karnawas Village	6	Panchayat Land	2011-12
42.		Ramgarh Vatika	Ramgarh Village	4	Panchayat Land	2011-12
43.		Gugodh Vatika	Gugodh Village	6	Panchayat Land	2013-14
44.		Sir Chhotu Ram Herbal Park Ghurkawas	Ghurkawas Village	6	Panchayat Land	2013-14
45.		Pali Herbal Park	Pali Village	12	Panchayat Land	2013-14
46.		Sardar Ballabh Bhai Patel Herbal Park, Gujar Ghatal	Gujar Ghatal Village	37	Panchayat Land	2014-15
47.		Baba Ban Dev Herbal Park, Raipur	Raipur Village	8	Panchayat Land	2014-15
48.		Mirpur Herbal Park	Mirpur University	10	Institutional Land	2014-15
49.		Bhurthala Herbal Park	Bhurthala Village	4	Panchayat Land	2014-15
50.	Mewat	Aloevera Vatika	Sonkh Village	15	Sec. 4&5 of PLPA	2008-09
51.	Hisar	Shatavar Vatika	Bir Hisar	25	Protected Forest	2008-09
52.		Sh. Mitra Sain Arya Herbal Park	Khanda Kheri Village	15	Panchayat Land	2016-17
53.	Bhiwani	Ch. Surender Singh Memorial Herbal Park	Kairu	65	Panchayat Land	2008-09
54.		Ch. Surender Singh Memorial Herbal Park	Tosham	45	Protected Forest	2009-10
55.	Sirsa	Bahera Vatika	Fulkan Village	17	Panchayat Land	2008-09
56.	Fatehabad	Ch. Surender Singh Memorial Herbal Park / Mulethi Vatika	Gilakhera Village	14	Closed u/s.-38 of IFA	2009-10
57.		Er. Kanwar Sain Gupta Herbal Park	Tohana	25	Govt. Land	2016-17
58.	Jind	Chandan Vatika	D.C. Colony, Gohana Road, Jind	16	Govt. Land	2008-09
59.		Kahsoon Herbal Park	Kahsoon	20	Closed U/S-38	2013-14

षिवालिक तथा अरावली में भूमि व जल संरक्षण

शिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई हेतु नई जल संचयन संरचनाएं बनाई जा रही है तथा पुरानी संरचनाओं की मुरम्मत का कार्य किया जा रहा है । इन छोटे बांधों के बनाने का मुख्य उद्देश्य बांधों के साथ लगती किसानों की जमीन पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, अतिरिक्त पानी के बहाव को रोकना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, भूमि कटाव को रोकना आदि है। वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्य पर 11 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

अरावली का संरक्षण एवं विकास

अरावली की पहाड़ियां फरीदाबाद, गुरूग्राम, नूँह, पलवल, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ, चरखी दादरी तथा भिवानी जिलों के 1.13 लाख है. में फैली हुई है। गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा दक्षिणी दिल्ली में भूमिगत जल के संरक्षण में इनकी अहम भूमिका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी कीमत पर इसको बचाने पर जोर दिया है यह क्षेत्र जैव विविधता से संपूर्ण है तथा राजस्थान एवं असौला के वनों तथा वन्य प्राणियों को आपस में जोड़ता है। वर्ष 2018–19 में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण पर 9.07 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

इको टूरिज्म

लोगों को प्रकृति के करीब लाने के उद्देश्य से कलेसर के वनों, मोरनी की पहाड़ियों एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ईको–टूरिज्म परियोजना वर्ष 2012–13 में आरम्भ की गई थी।

इस परियोजना में निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं:–

क्र. सं.	जिले का नाम	नेचर कैम्प का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	सुविधाएं
1.	पंचकूला	थापली	13	14 हटस, डाईनिंग हॉल, कॉनफ्रैंस हॉल, रैस्ट हाऊस।
2.	यमुनानगर	चूहड़पुर	183	5 हटस, डाईनिंग हॉल, कॉनफ्रैंस हॉल।
3.		बनसंतौर	9	6 हटस, डाईनिंग हॉल, टैंटिंग सुविधा।
4.		कलेसर	2	किचन, डाईनिंग क्षेत्र व टैंटिंग के लिए सुविधा।

ये नेचर कैम्प स्थानीय लोगों की सहभागिता, भागीदारी व सहयोग से विकसित किये गये हैं। ईको टूरिज्म परियोजना के द्वारा लोगों को वन, वन्य प्राणियों, पर्यावरण के बारे में जागरुक किया जाता है तथा वनों, वन्य प्राणियों व पर्यावरण को आग से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देकर इनको आग से बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन नेचर कैम्पस में अकसर स्कूली बच्चों के प्रशिक्षण कैम्प लगाए जाते हैं उन कैम्पस में बच्चों को प्रकृति से होने वाले लाभ, वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करने के प्रति जागरूक किया जाता है तथा लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने के साथ ही प्रकृति से लाभ उठाने के लिए जानकारी दी जाती है।

ई– शासन अंगीकार :

लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के उपयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यों हेतु निर्णय सहायक

तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है।

अनुभाग एक – अधिकार एवं सुविधाएं

सरकार के स्तर पर केवल ऐसे लोगों को जलाने की लकड़ी दी जाती है जिनको कार्य योजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन अधिकार प्राप्त होते हैं।

अनुभाग दो – चराई

अनुदेशों अनुसार वन क्षेत्रों में पशु चराई वर्जित है। जिन क्षेत्रों में पशुओं की चराई का अधिकार है, वहां परमिटों द्वारा घास की चराई की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुभाग तीन – झोंपड़ी आदि हेतु वन उपज

वन विभाग झोंपड़ी आदि बनाने के लिए सरकण्डा, पूला, पन्नी आदि को खुली नीलामी द्वारा बेचता है। पंजाब भू–संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 व 5 में बन्द क्षेत्रों से घास व काना ले जाने का अधिकार हकदारों को है।

अनुभाग चार – कांटेदार झाड़ियां

कांटेदार झाड़ियां प्राकृतिक वन उपज है जिसे जनता अपनी माँग अनुसार स्वयं प्राप्त कर लेती है।

अनुभाग पांच – लघु वन उपज की माँग

हरियाणा राज्य में लघु वन उपज जैसे घास, काना, पूला, पाला, पन्नी, अरण्ड के बीज, वृक्षों की छंगाई, शहद, बॉस इत्यादि होती है। इस प्रकार की वन उपज को वन विभाग खुली नीलामी द्वारा बेचता है। हकदारों को वन उपज निःशुल्क भी दी जाती है। वर्ष के दौरान वनों में चराई से सम्बन्धित विवरण फार्म संख्या 16 व 17 में दर्शाया गया है।

वन फार्म–संख्या - 16

(अनुच्छेद **76, 78** तथा **79** वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष **2018-19** के दौरान चराई के लिए सुरक्षित और आरक्षित वन क्षेत्र

(वर्ग कि. मी. में)

क.सं.	जिला	वन मण्डल	चराई के लिए सुरक्षित		चराई के लिए आरक्षित				कुल वन क्षेत्र	विशेष कथन
			सभी पशुओं की चराई के लिए बन्द वन क्षेत्र		सभी पशुओं के लिए		कोंपले खाने वाले पशुओं, ऊंट, भेड़, बकरी के अतिरिक्त सभी पशुओं के लिए			
			समस्त वर्ष	वर्ष का कुछ भाग	समस्त वर्ष	वर्ष का कुछ भाग	समस्त वर्ष	वर्ष का कुछ भाग		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	मोरनी–पिंजौर	मोरनी–पिंजौर	382.15	0	**0**	0	0	0	382.15	
2	यमुनानगर	यमुनानगर	228.18	0	**0**	0	0	0	228.18	
3	अम्बाला	अम्बाला	52.94	0	**0**	0	0	0	52.94	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	45.18	0	**0**	0	0	0	45.18	
5	कैथल	कैथल	72.16	0	**0**	0	0	0	72.16	
6	रोहतक	रोहतक	45.94	0	**0**	0	0	0	45.94	
7	झज्जर	झज्जर	39.92	0	**0**	0	0	0	39.92	
8	करनाल	करनाल	77.21	0	**0**	0	0	0	77.21	
9	पानीपत	पानीपत	41.53	0	**0**	0	0	0	41.53	
10	सोनीपत	सोनीपत	93.81	0	**0**	0	0	0	93.81	
11	हिसार	हिसार	63.27	0	**0**	0	0	0	63.27	
12	फतेहाबाद	फतेहाबाद	55.51	0	**0**	0	0	0	55.51	
13	सिरसा	सिरसा	48.43	0	**0**	0	0	0	48.43	
14	भिवानी	भिवानी	90.98	0	**0**	0	0	0	90.98	
15	दादरी	दादरी	0.00	0	**0**	0	0	0	0.00	
16	जीन्द	जीन्द	68.55	0	**0**	0	0	0	68.55	
17	गुरुग्राम	गुरुग्राम	88.99	0	**0**	0	0	0	88.99	
18	फरीदाबाद	फरीदाबाद	70.19	0	**0**	0	0	0	70.19	
19	पलवल	पलवल	29.49	0	**0**	0	0	0	29.49	
20	मेवात	मेवात	78.94	0	**0**	0	0	0	78.94	
21	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	57.26	0	**0**	0	0	0	57.26	
22	रेवाड़ी	रेवाड़ी	49.35	0	**0**	0	0	0	49.35	
योग			**1779.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1779.98**	

वन फार्म संख्या - 17

(अनुच्छेद **76, 78** तथा **79** वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष **2018-19** के दौरान हरियाणा राज्य में वनों में चराई सम्बन्धित विवरण–पत्र

पूरे दरों पर चराई करने वाले पशुओं की संख्या							रियायती दरों पर चराई करने वाले पशुओं की संख्या					
मण्डल	भैंस	गाय तथा बैल	बकरियां तथा भेड़ें	ऊंट	अन्य पशु	प्राप्त शुल्क (रुपए में)	भैंस	गाय तथा बैल	बकरियां तथा भेड़ें	ऊंट	अन्य पशु	प्राप्त शुल्क (रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
						———शून्य———						

निःशुल्क चराई करने वाले पशुओं की संख्या

पशुओं की संख्या बन्दोबस्त अधीन हक द्वारा							बन्दोबस्त के अधीन रहते हुए सरकार की स्वेच्छा से अथवा अन्य						
मण्डल	भैंस	गाय तथा बैल	बकरियाँ तथा भेड़ें	ऊंट	अन्य पशु	प्राप्त शुल्क (रुपये में)	भैंस	गाय तथा बैल	बकरियाँ तथा भेड़ें	ऊंट	अन्य पशु	प्राप्त शुल्क (रुपए में)	कुल राजस्व (रुपए में)
	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
						———शून्य———							

अनुभाग–एक व दो

आमोद–प्रमोद की महत्ता (शिविर स्थान एवं विश्राम गृह)

वन विभाग हरियाणा के अधीन चालू हालात में निम्नांकित विश्राम गृह है:–

क्र. सं.	विश्राम गृह का नाम	स्थान व जिला जहां विश्राम गृह स्थित है	विश्राम गृह का परमिट जारीकर्ता	कार्यालय का दूरभाष नं.
1.	पीतम पुरा	पीतम पुरा, दिल्ली	वन संरक्षक मध्य, रोहतक	01262–256156
2.	वन विश्राम गृह करनाल	करनाल, जिला करनाल	वन संरक्षक मध्य, रोहतक	01262–256156
3.	पिंजौर विश्राम गृह	पिंजौर, जिला पंचकूला	वन मण्डल अधिकारी, अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	01733–230518
4.	ओ.टी.ए. विश्राम गृह			
5.	झुम्पा, विश्राम गृह			
6.	लालमुनियां	मोरनी, जिला पंचकूला	वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर	01733–230537
7.	चिकन	चिकन मोरनी, जिला पंचकूला	वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर	01733–230537
8.	स्काई लार्क	मोरनी, जिला पंचकूला		
9.	डारपुर	डारपुर, जिला यमुनानगर	वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर	01732–237821
10.	कलेसर	कलेसर, जिला यमुनानगर	वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर	01732–237821
11.	सरस्वती स्योंसर	स्योंसर, जिला कैथल	वन मण्डल अधिकारी, कैथल	01746–228095
12.	वन विश्राम गृह हिसार	वन कालोनी हिसार, जिला हिसार	वन मण्डल अधिकारी, हिसार	01662–259232
13.	नाहड़	नाहड़, जिला रेवाड़ी	वन मण्डल अधिकारी, रेवाड़ी	01274–254568
14.	झाबुआ	झाबुआ, जिला रेवाड़ी	वन मण्डल अधिकारी, रेवाड़ी	01274–254568
15.	नारनौल (चिंकारा)	नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़	वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़	01285–220229
16.	गोलवा	गोलवा, जिला महेन्द्रगढ़	वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़	01285–220229
17.	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़, जिला महेन्द्रगढ़		

अनुभाग – तीन – शिविर सुविधा

वन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुलतानपुर झील वन क्षेत्र में सड़क व पथ बनाए गये हैं। महेन्द्रगढ़ मण्डल के आरक्षित वनों के आसपास ही वन विश्राम गृह है। शिविर सुविधा का अलग से प्रबन्ध नहीं है। झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में वाच टावर भी उपलब्ध है।

अनुभाग–चार – वन्य–प्राणी संरक्षण

वन विभाग हरियाणा के वन्य–प्राणी विंग का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने के लिए वन्य– प्राणियों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास करना है। वर्ष के दौरान वन्य–प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन्य–प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम लागू रहे जिन पर

नियत्रंण वन संरक्षक (वन्य प्राणी), पंचकूला, गुरूग्राम तथा मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी, पंचकूला, रोहतक, गुरूग्राम व हिसार अपने अधीनस्थ स्टाफ की सहायता से वन्य प्राणी प्रबन्धों एवं उनके संरक्षण के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा पंचकूला के उतरदायी रहे।

राज्यभर में शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहा। वन्य प्राणी मण्डलों पंचकूला, रोहतक, गुरूग्राम व हिसार का वन तथा वन के बाहरी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों का संवर्धन, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू करना मुख्य कार्य रहा।

शिकार सम्बन्धी अपराध

वर्ष के दौरान राज्य में वन्य–प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन वर्ष 1974 में बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया गया। वन्य–प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में हुए संशोधनों के फलस्वरुप इसके अंतर्गत 1974 में बनाए गए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है।

वर्ष के दौरान राज्य में पकड़े गये केसों तथा उनके निपटान का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा :–

क. विभागीय कार्य

1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया केस	194
2.	वर्ष के दौरान पकड़े गये केस	298
	कुल केस	**492**
3.	वर्ष के दौरान विभिन्न अदालतों में नये दायर किये गये केस	05
4.	वर्ष के दौरान विभागीय तौर पर निपटाये गये केस	293
5.	मुआवजा राशि जो वसूल की गई (रुपये में)	759000
6.	वर्ष के अन्त में बकाया केस	194

ख. अदालती कार्य

1.	अदालत में पिछले वर्ष के बकाया केस	40
2.	अदालत में नये दायर किये गये केस	05
	कुल केस	**45**
3.	वर्ष के दौरान अदालत द्वारा निपटाये गये केस	11
4.	वर्ष के अन्त में अदालत में बकाया केस	34
5.	अदालत द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (रुपये में)	66000

गत पांच वर्षो के शिकार सम्बन्धी केसों का आंकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

क. सं.	वर्षवार केसों का विवरण विभागीय कार्यवाही	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया केस	108	192	128	121	194
2.	वर्ष के दौरान पकडे गये कुल केस	425	378	389	302	298
3.	अदालत में नये दायर किये गये केस	30	24	7	11	05
4.	वर्ष के दौरान विभागीय तौर पर निपटाए गए केस	311	418	389	218	293
5.	मुआवजा की वसूल की गई राशि	987929	879985	890000	699500	759000

	(रुपये में)					
6.	वर्ष के अंत में बकाया केस	192	128	121	194	194
7.	अदालत में पिछले बकाया केस	70	48	57	41	40
8.	वर्ष के दौरान विभिन्न अदालतों में नये दायर किये गये केस	30	24	7	11	05
कुल केस		**100**	**72**	**64**	**52**	**45**
9.	अदालत द्वारा निपटाये गये केस	52	15	23	12	11
10.	अदालत द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (रुपये लाखों में)	0.67	1.18	0.60	0.42	0.66
11.	वर्ष के अंत में अदालत में बकाया केस	48	57	41	40	34

राजस्व

वन्य–प्राणी विंग का मुख्य कार्य वन्य–प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ उनका विकास करके प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने में सहयोग देना है। अतः वन्य–प्राणी विंग से राजस्व का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फिर भी वर्ष के दौरान इस विंग का राजस्व 59.88 लाख रुपये रहा इस विंग का प्लान स्कीमों पर व्यय 2176.77 लाख रुपये रहा तथा 384.70 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता रही। इस प्रकार वर्ष 2018–19 के दौरान वन्य–प्राणी संरक्षण पर कुल व्यय 2561.47 लाख रुपये रहा।

जन साधारण व स्कूलों के छात्र–छात्राओं को वन्य–प्राणियों में रूचि पैदा करने के लिए राज्य में स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों तथा चिड़ियाघरों से एन्ट्री फीस के रुप में प्राप्त राजस्व का गत् पांच वर्षो का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
एन्ट्री फीस राजस्व (रुपये लाखों में)	38.25	39.32	60.08	54.03	59.88

राष्ट्रीय उद्यान, वन्य–प्राणी विहार, संरक्षण आरक्षः, सामुदायिकी आरक्षिति तथा लघु चिड़ियाघर

राज्य के वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य–प्राणी विहार, 2 संरक्षण आरक्षः, 2 सामुदायिकी आरक्षिति तथा 3 लघु चिड़ियाघर हैं। वर्ष के दौरान वन्य– प्राणियों की सुरक्षा, संर्वधन तथा बढ़ोतरी के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण साधन के रूप में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य–प्राणी विहार तथा संरक्षण आरक्षः (रिजर्व) राज्य में स्थापित रहेः–

हरियाणा के संरक्षित क्षेत्र

राष्ट्रीय उद्यान

क. सं.	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले पशु पक्षी
1.	कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00	तेंदुआ, हाथी, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली मुर्गा तथा जंगली सुअर आदि।
2.	सुल्तानपुर	गुरुग्राम	05.07.1991	352.17	स्थानीय पक्षी तथा प्रवासी जल पक्षी, बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
कुल क्षेत्र				**11922.17**	

वन्य–प्राणी विहार

क्र.सं.	वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाए जाने वाले पशु–पक्षी
1.	भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
2.	छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
3.	नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25	काला हिरण, नील गाय, काला तथा भूरा तीतर आदि
4.	बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00	तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर व जंगली मुर्गा आदि
5.	खापड़वास	झज्जर	27.03.1991	204.36	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
6.	कलेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00	तेन्दुआ, हाथी, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, भूरा तीतर आदि
			13.01.2000	222.65	
7.	मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501.88	तेन्दुआ, भालू, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, भूरा तीतर आदि
			07.09.2007	6563.93	
	कुल क्षेत्र			**29208.46**	

संरक्षण आरक्षः

क्र. स.	संरक्षण आरक्षः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाए जाने वाले पशु–पक्षी
1.	सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00	काला हिरण, पाड़ा, हिरण व जंगली सुअर आदि।
2.	बीड बडा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00	नील गाय, बन्दर तथा खरगोश आदि।
	कुल क्षेत्र			**12039.00**	

<u>सामुदायिकी आरक्षिति</u>

क्र. स.	वन्य प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ मे)	पाए जाने वाले पशु–पक्षी
1	अबूबशहर सामुदायिकी आरक्षिति	सिरसा	14.03.2018	28492.00	काला हिरण, मोर आदि।
2	गोल्डन जुबली ब्रहम सरोवर सामुदायिकी आरक्षिति	कुरूक्षेत्र	19.07.2017	89.36	बतखें, बगुले, स्र्टाक्स तथा पानी के अन्य पक्षी।
	कुल			**28581.36**	

अबूबशहर वन्य प्राणी विहार को अधिसूचना संख्या 988–व–4–2018/3447 दिनांक 14.03.2018 द्वारा विखंडित कर दिया गया है तथा अबूबशहर वन्य प्राणी विहार को अधिसूचना संख्या 988–व–4–2018/3447 दिनांक 14.03.2018 द्वारा अबूबशहर सामुदायिकी आरक्षिति के रूप में घोषित कर दिया गया है। वन्य प्राणी विंग के अधीन सभी राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य प्राणी विहारों के चारों तरफ पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदनशील आंचल के रूप में संरक्षण और सुरक्षा

प्रतिरक्षरण का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा हुआ है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य प्राणी विहारों के क्षेत्र को ईको–सैंसटिव जोन घोषित किया जा चुका है।

लघु चिड़ियाघर – वन्यप्राणियों के प्रति समझ ज्ञान व प्यार पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित पिपली (कुरूक्षेत्र) भिवानी तथा रोहतक चिड़ियाघरों की देखरेख की गई। लघु चिड़ियाघर, हिरण पार्क एवं प्रजन्न केन्द्रों की स्थापना क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले पशु–पक्षियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

लघु चिड़ियाघर

क. स.	चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	पाए जाने वाले पशु–पक्षी
1.	भिवानी	भिवानी	1982–83	10.97	दरियाई घोड़ा, तेन्दुआ, भालू, चीतल, साम्भर, चिंकारा, बन्दर, खरगोश, मगरमच्छ व पक्षी आदि।
2.	पिपली	कुरूक्षेत्र	1985–86	27.00	शेर, काला हिरण, बन्दर, खरगोश, घड़ियाल व पक्षी आदि।
3.	रोहतक	रोहतक	1985–86	41 एकड़ 2 कनाल 7 मरला	शेर, तेन्दुआ, काला हिरण, बन्दर, खरगोश, घड़ियाल व पक्षी आदि।

हिरण पार्क

क. स.	हिरण पार्क का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वन्य–प्राणियों की मुख्य प्रजातियां
1.	धांसू	हिसार	1985	42	काला हिरण, नील गाय व चीतल आदि

प्रजनन केन्द्र

क. सं.	प्रजनन केन्द्र का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वन्य–प्राणियों की मुख्य प्रजातियां
1.	चिंकारा कैरु	भिवानी	1985–86	128.44	चिंकारा
2.	मगरमच्छ भौर सैयदां	कुरूक्षेत्र	1981–82	16.00	मगरमच्छ
3.	फीजेंट मोरनी	पंचकूला	1991–92	2.50	लाल जंगली मुर्गा व कलीज
4.	गिद्ध प्रजनन केन्द्र, पिंजौर	पंचकूला	2001	5.00	गिद्ध
5.	मोर व चिंकारा, झाबुआ	रेवाड़ी	2011	80.00	मोर व चिंकारा

योजनाएं

प्लान योजनाएं

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्लान स्कीमें क्रियान्वित रहीं:–

क. सं.	स्कीम का नाम	ओरिजनल ग्रांट (लाखों में)	रिवाईजड ग्रांट (लाखों में)	कुल खर्चा (लाखों में)
1.	नॉरमल बजट	965.60	1004.13	891.38
2.	फिजैण्ट ब्रीडिंग सैन्टर, मोरनी	17.95	16.10	13.38
3.	प्रोटैक्शन ऑफ वाईल्ड लाईफ इन मल्टीपल यूज़ एरियाज़	79.60	79.05	70.05

4.	काला तीतर कॉम्पलैक्स, अबूबशहर का विकास	14.15	13.75	13.00
5.	चौबीसी का चबूतरा मैहम का विकास	19.00	18.70	18.52
6.	नाहड़ वन्य–प्राणी विहार का विकास	10.50	10.50	6.21
7.	प्रोटैक्शन ऑफ वाईल्ड लाईफ इन मल्टीपल यूज एरियाज	800.00	600.00	451.41
8.	एक्सटैन्शन ऑफ जू एण्ड डियर पार्क	550.00	450.00	328.12
9.	स्ट्रैन्थनिंग, एक्सपैंशन एण्ड इम्प्रूवमैंट ऑफ वाईल्ड लाईफ सैन्चूरीज एण्ड नैशनल पार्कस	500.00	500.00	145.82
10.	इन्टीग्रेटिड डिवैलपमैंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटेट	500.00	500.00	238.88
योग		**3456.80**	**3192.23**	**2176.77**

उपरोक्त प्लान स्कीमों के अन्तर्गत फिजैण्ट ब्रीडिंग सैन्टर मोरनी व बेरवाला, बर्ड़ सफारी बेरवाला, लघु चिड़ियाघरों पिपली, भिवानी व रोहतक का रख–रखाव भी किया गया । इसमें राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य प्राणी विहारों, संरक्षण आरक्षः, गिद्व प्रजनन केन्द्र तथा हाथी पुनर्वास केन्द्र का रख–रखाव किया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

क्र. सं.	स्कीम का नाम	ओरिजनल ग्रांट (लाखों में)		रिवाईजड ग्रांट (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)
1.	स्ट्रैन्थनिंग एक्सपैंशन एण्ड इम्प्रूवमैण्ट ऑफ वाईल्ड लाईफ सैन्चूरीज़ एण्ड नैशनल पार्कस		500.00	500.00	145.82
2.	इन्टीग्रेटिड डिवैलपमैंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटेट ।		500.00	500.00	238.88
योग			**1000.00**	**1000.00**	**384.70**

प्रचार

राज्य में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 1 अक्तूबर 2018 से 7 अक्तूबर 2018 तक मनाया गया तथा राज्य स्तरीय समारोह दिनांक 05.10.2018 को रेवाड़ी में मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय थे। इस सप्ताह के दौरान वन्य प्राणियों के संरक्षण से सम्बन्धित मुख्य मंत्री महोदय की अपील के पोस्टर छपवाकार मुख्य स्थानों पर लगवाए गए तथा जन–जन तक संदेश पहुंचाने हेतू मुख्य मंत्री महोदय की अपील को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया। इसके अतिरिक्त मण्डल में आम जनता को वन्य प्राणियों के संरक्षण व वन्य प्राणियों से होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पैम्फलैट्स व स्टीकर्स इत्यादि वितरित किए गए तथा लोगों को वन्य प्राणियों के संरक्षण में सरकार का सहयोग करने की अपील की गई। किसान भाईयों से भी अनुरोध किया गया कि फसलों पर कीटनाशक दवाईयों का कम से कम प्रयोग करें ताकि वन्य– प्राणियों को कोई नुकसान न हो। किसान भाईयों को बताया गया कि धरा पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हर हालत में वन्य प्राणियों का संरक्षण व संवर्द्धन करना है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वन्य प्राणियों की संख्या में आई गिरावट के तीन प्रमुख कारण हैं पहला वास स्थलों की कमी, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा

वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार । इन कारणों से वन्य प्राणियों की अनेकों प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं तथा कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला के तानेबाने को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक पेड़–पौधे और जीव–जन्तुओं की प्रजातियों का अस्तित्व कायम रहे और इनकी संख्या समुचित अनुपात में रहे। किसान भाईयों से अनुरोध किया गया कि वे जंगलों में ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़–पौधे लगायें तथा वनों की सघनता बढ़ाएं। जंगल में वन्य प्राणियों के लिए पानी की उचित व्यवस्था करने में विभाग की मदद भी करें जिससे वन्य प्राणियों को भोजन व पानी जंगल के अन्दर ही उपलब्ध हो जाए और वह आवासीय क्षेत्रों की तरफ भटक कर न आयें। सभी से अनुरोध किया कि वे वन्य प्राणियों के संरक्षण व संवर्द्धन का संकल्प लें और ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधे लगायें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण व समुचित प्राकृतिक संतुलन दे सकें।

अन्य गतिविधियां

लघु चिड़ियाघर

वन्य–प्राणियों के प्रति समझ, ज्ञान व प्यार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित पिपली (कुरुक्षेत्र), भिवानी व रोहतक चिड़ियाघरों की देख रेख की गई।

फीजैन्ट प्रजनन केन्द्र

मोरनी व बेरवाला में दो फीजैन्ट प्रजनन केन्द्र हैं लाल जंगली मुर्गे की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए बेरवाला में प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया। बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री की सहायता से लाल जंगली मुर्गे, कलिज फिजैन्ट व हिल मैना की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से प्रजनन का कार्य आरम्भ किया गया है और उनके सुझाव अनुसार बेरवाला व मोरनी में रखे गए कुछ लाल जंगली मुर्गे, कलिज फीजैन्ट व हिल मैना को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया तथा शेष को लघु चिड़ियाघर, पिपली में स्थानांतरण कर दिया गया।

बर्ड सफारी

पंचकूला–मोरनी सड़क पर 250 हैक्टेयर क्षेत्र में बर्ड सफारी स्थापित है जो वन्य प्राणियों के बारे में दर्शको के ज्ञान में वृद्धि करता है जिसका वर्ष के दौरान रख–रखाव किया गया।

मोर एवं चिंकारा ब्रिडिंग केन्द्र

राज्य में मोर एवं चिंकारा ब्रिडिंग केन्द्र की स्थापना 18.04.2010 को माननीय वन, पर्यटन एंव वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार के कर कमलों द्वारा झाबुआ जिला रेवाड़ी में की गई। इस केन्द्र में मोर एवं चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जा रहा है। केन्द्र में वित्तिय वर्ष 2018–19 में पक्षियों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	पक्षी का नाम	नर	मादा	बच्चे	कुल
1.	मोर	08	37	0	**45**
2.	चिंकारा	6	32	0	**38**
कुल		**14**	**69**	**0**	**83**

मोर एवं चिंकारा ब्रिडिंग केन्द्र में वर्ष 2018–19 में 20.40 लाख रुपये खर्च हुए।

गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र

पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने में गिद्धों का बड़ा भारी योगदान है क्योंकि ये मरे हुए मवेषियों को खाकर पर्यावरण में दुर्गंध तथा बीमारी फैलने से बचाते है। गिद्धों की कम होती संख्या को बढ़ाने हेतु हरियाणा में बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से पिंजौर के नजदीक गिद्धों की सुरक्षा व पुनर्वास के लिए वन विभाग के साथ मिलकर एक गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र की बीड़ शिकारगाह, जिला पंचकूला में स्थापना की गई है। यह देश का अपनी तरह का पहला गिद्ध प्रजनन केन्द्र है। ब्रिटेन की डारविन इनिशिएटिव संस्था द्वारा इस परियोजना के लिए वित्तिय सहायता दी गई। गिद्ध प्रजनन प्रोजैक्ट का कार्यकाल 15 वर्ष का है जो सितम्बर, 2019 तक का है। वित्तिय वर्ष 2018–19 में इस केन्द्र में गिद्धों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	गिद्ध की प्रजाति	वयस्क	किशोर	कुल
1.	White Backed	34	133	**167**
2.	Long Billed	29	76	**105**
3.	Slender Billed	10	31	**41**
Total		**73**	**240**	**313**

भारत सरकार के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत विकास कार्य करवाए जा रहे है वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त कार्यों पर 272.87 लाख रुपये राशि खर्च की गई ।

हाथी पुनर्वास केन्द्र

यमुनानगर जिले के बनसंतौर जंगल में भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण किया गया है। यह देश का अपनी प्रकार का एक पहला केन्द्र होगा जिसमें घायल, बीमार एवं लोगों द्वारा अवैध रुप से रखे गए हाथियों को रखा जाएगा। वित्तिय वर्ष 2018–19 में इस केन्द्र में हाथियों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

नर	मादा	कुल
0	3	**3**

वर्ष 2018–19 में उक्त प्रोजैक्ट पर 18.00 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

भाग एक–अध्याय तीन

वन अनादिकाल से ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक आस्थाओं व कला से जुड़े हुए हैं। ज्ञात रहे, वनों के महत्व से हमारे ऋषि–मुनि बहुत ही अच्छी तरह से परिचित रहे हैं तभी उन्होंनें वनों के प्रसार के लिए वन संवर्द्धन को धार्मिक कर्म–काण्डों से जोड़ा ताकि लोग इनके संरक्षण व संवर्द्धन में पूर्ण रुचि लें। इस प्रकार से वन आदिकाल से ही हमारी संस्कृति व सभ्यता का अटूट हिस्सा रहे हैं। कई पेड़–पौधों जैसे कि बरगद, पीपल, केला, बेलपत्र, आंवला व तुलसी की पूजा आज भी की जाती है। यह सर्वविदित हैं कि इस धरा पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में वनों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। वन न केवल भोजन, इमारती लकड़ी, ईंधन, चारे व बहुमूल्य औषधियों के स्त्रोत हैं, बल्कि ये पर्यावरण व प्राकृतिक सन्तुलन बनाए रखने में भी कारगर भूमिका निभाते हैं। वन पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं तथा प्राण–वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये धरती के हरे फेफड़े हैं। वन भूमि–कटाव को रोकते हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने में सहायक होते हैं। अतः वन वातावरण में मौजूद कार्बन डाई–आक्साइड गैस को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन की विकराल रुप धारण कर रही समस्या को कम करने में अत्याधिक सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

पौधागिरी अभियान

लोगों में वनों के बारे में जागरुकता व लगाव पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में ''पौधागिरी नामक अभियान'' की शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा सभी जिलों में की गई है तथा बच्चों को पेड़ लगाने व इन्हें बचाने के लिए प्रेरित किया गया। यह स्कीम वन विभाग तथा स्कूल, शिक्षा विभाग द्वारा सयुंक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। वन विभाग द्वारा पौधशालाओं से बच्चों को फल तथा अन्य प्रजातियों के पौधे उपलब्ध करवाए जाते है जो बच्चे इन पौधों को लगाकर अच्छे से देखभाल करते है, उन्हें प्रत्येक छः माह के बाद 50 रु0 प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन वर्ष तक दिए जाएगें।

पौधगिरी अभियान के दौरान वर्ष 2018–19 में लगाए गए एवं सफल पौधों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मण्डल	लगाए गए पौधे			सफल पौधे		
	फलदार	अन्य	योग	फलदार	अन्य	योग
मोरनी–पिंजौर	460	1020	**1480**	346	770	**1116**
कैथल	120	284	**404**	98	228	**326**
हिसार	10	40	**50**	8	32	**40**
फतेहाबाद	187	1965	**2152**	150	1740	**1890**
सिरसा	414	1374	**1788**	382	1039	**1421**
जीन्द	800	671	**1471**	570	470	**1040**
रोहतक	18156	81918	**100074**	18156	76757	**94913**
झज्जर	326	163	**489**	0	0	**0**

रेवाडी	30	60	**90**	20	50	**70**
महेन्द्रगढ़	400	630	**1030**	350	478	**828**
मेवात	100	150	**250**	80	120	**200**
पलवल	17	395	**412**	15	390	**405**
योग	**21020**	**88670**	**109690**	**20175**	**82074**	**102249**

वर्ष के दौरान मुफ्त वितरित किए गए पौधे, बेचे गए पौधे व वास्तविक आंकड़ों अनुसार बेचे गए पौधों से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार से रहा हैः–

परिमण्डल	मुफ्त दिये गए पौधे (लाखों में)	बेचे गए पौधे (लाखों में)	बेचे गए पौधों से प्राप्त राजस्व (लाखों में)
वन संरक्षक, उत्तरी, अम्बाला	7.76	3.77	7.17
वन संरक्षक, पश्चिमी, हिसार	6.37	3.71	4.73
वन संरक्षक, दक्षिणी, गुरुग्राम	5.99	1.77	3.41
वन संरक्षक, मध्य, रोहतक	5.46	2.23	1.89
योग	**25.58**	**11.48**	**17.20**

'काष्ठ आधारित उद्योग' योजना के तहत बेचे गए पौधों से प्राप्त राजस्व को पुनः नर्सरियों में पौधे उगाने हेतु खर्च किया जा रहा है तथा उक्त स्कीम के तहत बेचे गए पौधों से प्राप्त 'राजस्व' को वास्तविक आंकड़ों में नहीं दर्शाया गया है।

वायु वेग से भू–कटाव

फसलों को वायु वेग से होने वाली हानि से बचाने के लिये आवश्यक है कि खेतों की मेड़ों व मरुभूमि पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाये जायें ताकि वायु वेग से होने वाली हानि को रोका जा सके। हरियाणा के महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद तथा भिवानी जिलों के कुछ भागों में मरुभूमि हैं जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरुप राजस्थान से आने वाली शुष्क हवायें अपने साथ रेत लाती हैं और इन जिलों की उपजाऊ भूमि को मरुभूमि में बदलने का कार्य करती रही है। इस प्रकार के कुप्रभावों से बचने हेतु इन क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम जारी रखना होगा।

वर्ष 2018-19 में वायु वेग से भू–कटाव को रोकने के लिये विभाग द्वारा मरुस्थल नियन्त्रण स्कीम के तहत 82.76 लाख रुपये खर्च कर 32 है0 क्षेत्र पर पौधारोपण किया गया। पिछले पांच वर्षों में किए गए पौधारोपण एवं उन पर किए गए खर्च का अवलोकन निम्नांकित सारणी के तहत किया जा सकता है:–

वर्ष	प्राप्त भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य (लाखों में)
	है0	आर.के.एम.	
2014-15	94.00	0	60.00
2015-16	115.00	0	79.78
2016-17	81.00	0	84.15
2017-18	45.50	-	93.69
2018-19	32.00	0	82.76
योग	**367.50**	**-**	**400.38**

वायु वेग से होने वाले भू–कटाव को रोकने हेतु निरन्तर पौधारोपण कार्यक्रम जारी रखने होगें ताकि राज्य में आर्थिक विकास हो व इसकी भौगोलिक परिस्थितियों पर भी कुप्रभाव न पड़े।

भाग एक–अध्याय पांच

भू–संरक्षण तथा बाढ़

शिवालिक क्षेत्र के पंचकूला, अम्बाला तथा यमुनानगर जिलों में बरसाती पानी व बाढ़ से भू–कटाव की समस्या बनी रहती है। बरसाती नदी नाले उपजाऊ भूमि को काफी हानि पहुंचाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में भू–संरक्षण हेतु Soil Conservation on Watershed Basis including Choe Training Scheme के तहत 1155.67 लाख खर्च किए गए। पिछले पांच वर्षो के खर्च का विवेचन निम्न तालिका में अंकित सूचना के मध्यनजर किया जा सकता है:–

वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (लाखों में)
2014-15	240.00
2015-16	402.68
2016-17	335.72
2017-18	927.50
2018-19	1155.67
योग	**3061.57**

भू–संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु पौधारोपण व इसके रख–रखाव सम्बन्धी कार्यक्रम जारी रखने होगें ताकि पर्यावरण सन्तुलन बना रहे व भौगोलिक परिस्थितियों पर भी कुप्रभाव न पड़े।

भाग एक–अध्याय छः

जल आपूर्ति

हरियाणा राज्य का दक्षिण–पश्चिमी भाग अधिकतर शुष्क एवं रेतीला है। उत्तरी पहाड़ियों की यमुना तथा घग्गर दो प्रमुख नदियां हैं। घग्गर ऐसी नदी है, जो कि राज्य के कुछ भागों से गुजरती है तथा हरियाणा एवं पंजाब राज्य की सीमा भी बनाती है।

दक्षिणी भाग में कृष्णावती, साहिबी व दोहान ऐसी नदियां हैं जिनमें वर्षा ऋतु में ही पानी आता है व कभी–कभी इन नदियों में बाढ़ भी आ जाती है जिसके कारण पौधारोपण को हानि होती है। इनके साथ–साथ दक्षिणी भाग में जे.एल.एन. गुरुग्राम नहर तथा आगरा नहर है जिनसे दक्षिणी हरियाणा के पौधारोपण की सिंचाई की जाती है।

विभागीय टयूबवैलों द्वारा पौधारोपित क्षेत्रों की सिंचाई का कार्य पूर्ण रूप से न हो पाने के कारण राज्य में पौधों की सिंचाई करने का कार्य तालाबों, नालों व जमीदारों के ट्यूबवैलों से पानी खरीदकर, ट्रैक्टर व टैंकरों की मदद से पानी पहुंचा कर किया जाता है।

विभागीय नर्सरियों में पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 148 ट्यूबवैल लगाए हुए हैं। चालू वर्ष में समय–समय पर पौधारोपण की सिंचाई हेतु विभाग में उपलब्ध निम्न मशीनरी प्रयोग में लाई गई :–

वॉटर टेंकर-125, डीज़ल ईंजन-206, बिजली की मोटरें-68, स्प्रिंकलर सैट-43, मोनो ब्लॉक मोटरज़-1, मोनो ब्लॉक ईंजन-28, समर्सिबल सैट-37, पम्पिंग सैट-34, केंटर-1, होन्डा पम्प सैट-9, मिट्टी के तेल से चलने वाले ईंजन 19 एवं होन्डा ईंजन-6, जनरेटर-6 तथा वॉटर टैंक 11 हैं।

भाग दो–अध्याय एक

राज्य में वनों का गठन

क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों से प्राप्त वन क्षेत्र सम्बन्धी फार्म संख्या–7 व विभागीय नायब तहसीलदार शाखा द्वारा रिकार्ड आधारित सत्यापन उपरांत राज्य में अधिसूचित वन 177997.97 है. क्षेत्र पर फैले हुए हैं जिनका मण्डल व जिलावार डैटा/सूचना का विवरण वन फार्म संख्या–7 में दर्शाया गया है। राज्य के अधिसूचित वनों के डैटा का एक नजर में अवलोकन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

वर्ष 2018–19 राज्य अधिसूचित वन क्षेत्र				
क्र. सं.	वन क्षेत्र के प्रकार			वन क्षेत्र (है. में)
1.	आरक्षित वन			24963.34
2.	सुरक्षित वन	i) संहत वन खण्ड	35063.87	118820.91
		ii) सड़कें	33763.99	
		iii) रेल	6990.88	
		iv) नहरें	40817.23	
		v) बांध	2184.94	
3.	अवर्गीकृत वन			1014.90
4.	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 38 के अधीन बन्द वन क्षेत्र।			1620.40
5.	पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 के अधीन बन्द वन क्षेत्र।			31578.42
	कुल वन क्षेत्र			**177997.97**

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

वन संरक्षण अधिनियम की धारा–2 के तहत चालू वर्ष 2018–19 में 455.51 है. वन भूमि क्षेत्र को गैरवानिकी कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया है तथा जिसकी वास्तविक स्थिति/स्टेटस वन अधिनियम–1980 के तहत वन क्षेत्र के रूप में ही रहेगी। इस भूमि का जिलावार विवरण वन फार्म संख्या–7 के बाद अंकित है।

अनुभाग–दो (वन बन्दोबस्त–वन फार्म संख्या–8)

वर्ष के दौरान वन बन्दोबस्त का कोई कार्य नहीं हुआ है।

अनुभाग–तीन (सीमाओं की हदबन्दी–वन फार्म संख्या–9)

वर्ष के दौरान राज्य में वन सीमाओं की कुल लम्बाई 8604.04 कि. मी. रही।

अनुभाग–चार (वन सर्वेक्षण–वन फार्म संख्या–10)

वर्ष के दौरान वन सर्वेक्षण का कोई कार्य नहीं हुआ है।

अनुभाग–पांच (पुनरोत्पादन तथा पौधारोपण–वन फार्म संख्या–18)

वर्ष 2018–19 के दौरान विभागीय फोरेस्ट्री बजट से प्लान स्कीमों के तहत 7068.59 है. तथा 537.40 आर.के.एम. क्षेत्र पर पौधारोपण करवाया गया। पौधारोपण पर कुल वर्कस का खर्च 124.34 करोड़ रहा।

वन फार्म संख्या-7

वर्ष **2018-19** के दौरान आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत, धारा **38** तथा धारा **4** व **5** के अधीन बन्द वन क्षेत्र (है. में)

आरक्षित वन

क.सं.	मण्डल	जिला	वर्ष के आरम्भ में अर्थात **01.04.2018** को वन क्षेत्र	वर्ष के दौरान जोड़ा गया वन क्षेत्र	वर्ष के दौरान छोड़ा गया वन क्षेत्र	पुनः जांच के कारण एवं स्थान्नातरण के कारण जोड़ा/छोड़ा गया वन क्षेत्र	वर्ष के अन्त में अर्थात **31.03.2019** को वन क्षेत्र	विशेष कथन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	मोरनी–पिंजौर	पंचकूला	8628.72				8628.72	
2	अम्बाला	अम्बाला	197.78				197.78	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	6872.05				6872.05	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	1835.76				1835.76	
5	कैथल	कैथल	3714.03				3714.03	
6	करनाल	करनाल	390.83				390.83	
7	पानीपत	पानीपत	0.00				0.00	
8	सोनीपत	सोनीपत	0.00				0.00	
9	रोहतक	रोहतक	0.00				0.00	
10	झज्जर	झज्जर	0.00				0.00	
11	पलवल	पलवल	138.60				138.60	
12	मेवात	मेवात	16.19				16.19	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1662.01				1662.01	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	559.48				559.48	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	214.89				214.89	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	175.63				175.63	
17	भिवानी	भिवानी	139.27				139.27	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	0.00				0.00	
19	हिसार	हिसार	0.00				0.00	
20	जीन्द	जीन्द	414.40				414.40	
21	सिरसा	सिरसा	3.74		0.04		3.70	0.04 है. वन क्षेत्र पुनः जांच के कारण कम हुआ है।
योग			**24963.38**	**0**	**0.04**	**0**	24963.34	

सुरक्षित वन/संहत खण्ड वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	24449.57				24449.57	
2	अम्बाला	अम्बाला	337.75				337.75	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	8667.66				8667.66	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	30.55				30.55	
5	कैथल	कैथल	87.04				87.04	
6	करनाल	करनाल	3.68				3.68	
7	पानीपत	पानीपत	15.81				15.81	
8	सोनीपत	सोनीपत	0.00				0.00	
9	रोहतक	रोहतक	59.20				59.20	
10	झज्जर	झज्जर	491.00				491.00	
11	पलवल	पलवल	47.18				47.18	
12	मेवात	मेवात	14.64				14.64	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	8.35				8.35	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	34.46				34.46	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	175.62				175.62	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	0.00				0.00	
17	भिवानी	भिवानी	5.57				5.57	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	38.44				38.44	
19	हिसार	हिसार	562.51	10.80			573.31	10.80 है. पाली व आवासीय कालोनी बीड़ का पी0एफ0 के अन्तर्गत नोटिफाईड होने के कारण बढ़ा है।
20	जीन्द	जीन्द	22.40	0.06			22.46	पुनः जांच के कारण बढ़ा है।
21	सिरसा	सिरसा	0.00	1.58			1.58	गांव मोजुखेड़ा पी.एफ. में नोटिफाईड होने के कारण बढ़ा है।
योग			**35051.43**	**12.44**	**0.00**	**0.00**	**35063.87**	

सड़कें – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	684.54				684.54	
2	अम्बाला	अम्बाला	2293.03				2293.03	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	1693.80				1693.80	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	1250.70				1250.70	
5	कैथल	कैथल	1542.23				1542.23	
6	करनाल	करनाल	2159.14				2159.14	
7	पानीपत	पानीपत	967.90				967.90	
8	सोनीपत	सोनीपत	2128.88				2128.88	
9	रोहतक	रोहतक	1335.26				1335.26	
10	झज्जर	झज्जर	1294.16				1294.16	
11	पलवल	पलवल	1462.04				1462.04	
12	मेवात	मेवात	729.20				729.20	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1213.92				1213.92	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	1548.44				1548.44	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	1010.26				1010.26	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	670.72				670.72	
17	भिवानी	भिवानी	2884.72				2884.72	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	2563.38				2563.38	
19	हिसार	हिसार	2410.53				2410.53	
20	जीन्द	जीन्द	1884.27				1884.27	
21	सिरसा	सिरसा	2036.87				2036.87	
योग			**33763.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33763.99**	

रेलें – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	125.56				125.56	
2	अम्बाला	अम्बाला	397.96				397.96	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	173.23				173.23	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	149.09				149.09	
5	कैथल	कैथल	274.31				274.31	
6	करनाल	करनाल	263.22				263.22	
7	पानीपत	पानीपत	295.00				295.00	
8	सोनीपत	सोनीपत	331.44				331.44	
9	रोहतक	रोहतक	505.50				505.50	
10	झज्जर	झज्जर	146.57				146.57	
11	पलवल	पलवल	0.00				0.00	
12	मेवात	मेवात	0.00				0.00	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	235.22				235.22	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	269.64				269.64	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	142.00				142.00	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	0.00				0.00	
17	भिवानी	भिवानी	675.00				675.00	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	331.74				331.74	
19	हिसार	हिसार	715.60				715.60	
20	जीन्द	जीन्द	1402.80				1402.80	
21	सिरसा	सिरसा	557.00				557.00	
योग			**6990.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6990.88**	

नहरें – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	0.00				0.00	
2	अम्बाला	अम्बाला	371.29				371.29	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	2747.86				2747.86	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	**903.00**	**37.37**			**940.37**	अम्बाला, हिसार रोड़ बनने के कारण वापिस प्राप्त हुआ।
5	कैथल	कैथल	1555.76				1555.76	
6	करनाल	करनाल	4677.53				4677.53	
7	पानीपत	पानीपत	2734.47				2734.47	
8	सोनीपत	सोनीपत	4608.00				4608.00	
9	रोहतक	रोहतक	1917.99				1917.99	
10	झज्जर	झज्जर	1762.19				1762.19	
11	पलवल	पलवल	1165.71				1165.71	
12	मेवात	मेवात	288.48				288.48	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	847.44				847.44	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	1322.65				1322.65	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	200.83				200.83	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	598.95				598.95	
17	भिवानी	भिवानी	5181.78				5181.78	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	2533.95				2533.95	
19	हिसार	हिसार	2441.99				2441.99	
20	जीन्द	जीन्द	2913.59				2913.59	
21	सिरसा	सिरसा	2006.40				2006.40	
योग			**40779.86**	**37.37**	**0.00**	**0.00**	**40817.23**	

बान्ध – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	7.94				7.94	
2	अम्बाला	अम्बाला	77.39				77.39	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	57.39				57.39	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	311.08				311.08	
5	कैथल	कैथल	42.94				42.94	
6	करनाल	करनाल	110.91				110.91	
7	पानीपत	पानीपत	89.49				89.49	
8	सोनीपत	सोनीपत	317.74				317.74	
9	रोहतक	रोहतक	198.00				198.00	
10	झज्जर	झज्जर	42.42				42.42	
11	पलवल	पलवल	17.64				17.64	
12	मेवात	मेवात	150.46				150.46	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	97.68				97.68	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	117.51				117.51	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	90.50				90.50	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	64.05				64.05	
17	भिवानी	भिवानी	9.78				9.78	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	23.70				23.70	
19	हिसार	हिसार	176.75				176.75	
20	जीन्द	जीन्द	31.57				31.57	
21	सिरसा	सिरसा	150.00				150.00	
योग			**2184.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2184.94**	

कुल योग – सुरक्षित वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	25267.61	0.00	0.00	0.00	25267.61	
2	अम्बाला	अम्बाला	3477.42	0.00	0.00	0.00	3477.42	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	13339.94	0.00	0.00	0.00	13339.94	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	2644.42	37.37	0.00	0.00	2681.79	
5	कैथल	कैथल	3502.28	0.00	0.00	0.00	3502.28	
6	करनाल	करनाल	7214.48	0.00	0.00	0.00	7214.48	
7	पानीपत	पानीपत	4102.67	0.00	0.00	0.00	4102.67	
8	सोनीपत	सोनीपत	7386.06	0.00	0.00	0.00	7386.06	
9	रोहतक	रोहतक	4015.95	0.00	0.00	0.00	4015.95	
10	झज्जर	झज्जर	3736.34	0.00	0.00	0.00	3736.34	
11	पलवल	पलवल	2692.57	0.00	0.00	0.00	2692.57	
12	मेवात	मेवात	1182.78	0.00	0.00	0.00	1182.78	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	2402.61	0.00	0.00	0.00	2402.61	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	3292.70	0.00	0.00	0.00	3292.70	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	1619.21	0.00	0.00	0.00	1619.21	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	1333.72	0.00	0.00	0.00	1333.72	
17	भिवानी	भिवानी	8756.85	0.00	0.00	0.00	8756.85	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	5491.21	0.00	0.00	0.00	5491.21	
19	हिसार	हिसार	6307.38	10.80	0.00	0.00	6318.18	
20	जीन्द	जीन्द	6254.63	0.06	0.00	0.00	6254.69	
21	सिरसा	सिरसा	4750.27	1.58	0.00	0.00	4751.85	
योग			**118771.10**	**49.81**	**0.00**	**0.00**	**118820.91**	

अवर्गीकृत वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	8.39				8.39	
2	अम्बाला	अम्बाला	0.00				0.00	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	108.74				108.74	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	0.00				0.00	
5	कैथल	कैथल	0				0.00	
6	करनाल	करनाल	24.52	14.69			39.21	असंध बाई पास का एफ.सी.ए. केस के तहत 14.69 है. रकबा वन विभाग, हरियाणा को प्राप्त हुआ।
7	पानीपत	पानीपत	0.00				0.00	
8	सोनीपत	सोनीपत	0.00				0.00	
9	रोहतक	रोहतक	357.40				357.40	
10	झज्जर	झज्जर	45.04				45.04	
11	पलवल	पलवल	92.26				92.26	
12	मेवात	मेवात	39.66	16.59			56.25	पी.डबलयू.डी. बी. एण्ड आर. विभाग, हरियाणा द्वारा वन विभाग की 16.59 है. वन भूमि में गैर वानिकी कार्य करने के बदले प्राप्त हुई ।
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	28.19				28.19	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	0.14				0.14	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	2.56				2.56	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	0.00				0.00	
17	भिवानी	भिवानी	2.20				2.20	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	54.03				54.03	
19	हिसार	हिसार	5.75	8.32	5.75		8.32	8.32 है. वन क्षेत्र गांव मसूदपुर का जोड़े जाने के कारण बढ़ा है।
20	जीन्द	जीन्द	172.68	4.64			177.32	4.64 है0 वन क्षेत्र पुनः जांच के कारण बढा गया है।
21	सिरसा	सिरसा	33.00	1.85			34.85	1.85 है. वन क्षेत्र पुनः जांच के कारण बढ़ा गया है।
योग			**974.56**	**46.09**	**5.75**	**0.00**	**1014.90**	

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 38 के अधीन बन्द वन क्षेत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	0.00				0.00	
2	अम्बाला	अम्बाला	6.07				6.07	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	0.00				0.00	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	0.00				0.00	
5	कैथल	कैथल	0.00				0.00	
6	करनाल	करनाल	68.42				68.42	
7	पानीपत	पानीपत	50.18				50.18	
8	सोनीपत	सोनीपत	0.00	127.32			127.32	127.32 है. क्षेत्र उच्च अधिकारियों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शामिल किया गया।
9	रोहतक	रोहतक	0.00				0.00	
10	झज्जर	झज्जर	0.00				0.00	
11	पलवल	पलवल	0.00				0.00	
12	मेवात	मेवात	206.80				206.80	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	544.72				544.72	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	112.14				112.14	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	238.15				238.15	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	0.00				0.00	
17	भिवानी	भिवानी	200.00				200.00	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	5.60				5.60	
19	हिसार	हिसार	0.00				0.00	
20	जीन्द	जीन्द	8.00	0.80			8.80	0.80 है. वन क्षेत्र पुनः जांच के कारण बढ़ा है।
21	सिरसा	सिरसा	17.40	35	0.2		52.20	चौटाला सन्सनाबाद, चमल व खण्डवाली गांव का नया क्षेत्र बंद होने के कारण वृद्धि हुई हें
योग			**1457.48**	**163.12**	**0.20**	**0.00**	**1620.40**	

पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 के अधीन बन्द वन क्षेत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	4309.82				4309.82	
2	अम्बाला	अम्बाला	1613.13				1613.13	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	1411.13	1086.44			2497.57	उच्च अधिकारियों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1086.44 है. शामिल किया गया है।
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	0.00				0.00	
5	कैथल	कैथल	0.00				0.00	
6	करनाल	करनाल	8.10				8.10	
7	पानीपत	पानीपत	0.00				0.00	
8	सोनीपत	सोनीपत	1867.20				1867.20	
9	रोहतक	रोहतक	221.00				221.00	
10	झज्जर	झज्जर	210.40				210.40	
11	पलवल	पलवल	25.20				25.20	
12	मेवात	मेवात	6432.33				6432.33	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1088.52				1088.52	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	970.57				970.57	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	6824.85				6824.85	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	5509.73				5509.73	
17	भिवानी	भिवानी	0.00				0.00	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	0.00				0.00	
19	हिसार	हिसार	0.00				0.00	
20	जीन्द	जीन्द	0.00				0.00	
21	सिरसा	सिरसा	0.00				0.00	
योग			**30491.98**	**1086.44**	**0.00**	**0.00**	**31578.42**	

कुल वन क्षेत्र – समस्त वन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोरनी पिंजौर	पंचकूला	38214.54	0.00	0.00	0.00	38214.54	
2	अम्बाला	अम्बाला	5294.40	0.00	0.00	0.00	5294.40	
3	यमुनानगर	यमुनानगर	21731.86	1086.44	0.00	0.00	22818.30	
4	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	4480.18	37.37	0.00	0.00	4517.55	
5	कैथल	कैथल	7216.31	0.00	0.00	0.00	7216.31	
6	करनाल	करनाल	7706.35	14.69	0.00	0.00	7721.04	
7	पानीपत	पानीपत	4152.85	0.00	0.00	0.00	4152.85	
8	सोनीपत	सोनीपत	9253.26	127.32	0.00	0.00	9380.58	
9	रोहतक	रोहतक	4594.35	0.00	0.00	0.00	4594.35	
10	झज्जर	झज्जर	3991.78	0.00	0.00	0.00	3991.78	
11	पलवल	पलवल	2948.63	0.00	0.00	0.00	2948.63	
12	मेवात	मेवात	7877.76	16.59	0.00	0.00	7894.35	
13	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	5726.05	0.00	0.00	0.00	5726.05	
14	रेवाड़ी	रेवाड़ी	4935.03	0.00	0.00	0.00	4935.03	
15	गुरुग्राम	गुरुग्राम	8899.66	0.00	0.00	0.00	8899.66	
16	फरीदाबाद	फरीदाबाद	7019.08	0.00	0.00	0.00	7019.08	
17	भिवानी	भिवानी	9098.32	0.00	0.00	0.00	9098.32	
18	फतेहाबाद	फतेहाबाद	5550.84	0.00	0.00	0.00	5550.84	
19	हिसार	हिसार	6313.13	19.12	5.75	0.00	6326.50	
20	जीन्द	जीन्द	6849.71	5.50	0.00	0.00	6855.21	
21	सिरसा	सिरसा	4804.41	38.43	0.24	0.00	4842.60	
योग			**176658.50**	**1345.46**	**5.99**	**0.00**	**177997.97**	

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत प्रस्तावों का जिला एवं श्रेणी वार सारांश

(01.04.2018 से 31.03.2019)

क्र. सं.	जिला	परिवर्तित किया गया कुल क्षेत्रफल (है. में)	काटे गये वृक्षों की कुल संख्या (नं. में)	प्रस्तावों की कुल संख्या (नं. में)	परिवर्तित करने का प्रयोजन/उददेश्य: सिंचाई क्षेत्र	सिंचाई नं.	हुड्डा क्षेत्र	हुड्डा नं.	सड़कें क्षेत्र	सड़कें नं.	जन स्वास्थ्य क्षेत्र	जन स्वास्थ्य नं.	आप्टिकल फाइबर क्षेत्र	आप्टिकल फाइबर नं.	हस्तांतरण क्षेत्र	हस्तांतरण नं.	पैट्रोल पम्प क्षेत्र	पैट्रोल पम्प नं.	अन्य/रेलवे क्षेत्र	अन्य/रेलवे नं.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
1	पंचकूला	5.9631	328	11	0.0000	0	0.000	0	4.2569	4	0.6840	2	0.9470	2	0.0000	0	0.0082	1	0.0670	2
2	अम्बाला	6.9670	1557	14	0.0000	0	0.000	0	3.2160	5	0.0000	0	2.7097	3	0.0000	0	0.0152	1	1.0261	5
3	यमुनानगर	11.2259	2426	16	0.0000	0	0.000	0	10.2116	4	0.8200	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0793	3	0.1150	8
4	कैथल	4.6529	112	7	0.0000	0	0.000	0	0.9860	1	0.4900	1	3.1370	2	0.0210	1	0.0139	1	0.0050	1
5	कुरुक्षेत्र	7.4449	1599	11	0.0000	0	0.000	0	5.6471	3	0.0000	0	1.6301	2	0.0000	0	0.1282	3	0.0395	3
6	रोहतक	4.6601	1198	2	0.0000	0	0.000	0	4.6601	2	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
7	पानीपत	6.2711	334	12	0.0551	1	0.000	0	5.3205	4	0.0000	0	0.7212	1	0.0000	0	0.1372	3	0.0371	3
8	सोनीपत	82.4584	10778	14	0.0000	0	0.000	0	81.0230	6	0.0000	0	1.2960	1	0.0000	0	0.0000	0	0.1394	7
9	करनाल	52.5336	24913	26	0.9570	2	0.000	0	47.5945	6	1.3092	4	1.0575	1	0.8295	1	0.2337	4	0.5522	8
10	झज्जर	37.7765	12402	4	0.0000	0	0.000	0	36.6928	1	0.0000	0	1.0665	1	0.0000	0	0.0072	1	0.0100	1
11	हिसार	30.9184	7631	17	0.0000	0	0.000	0	29.9929	6	0.0525	1	0.5175	1	0.0000	0	0.3417	7	0.0138	2
12	सिरसा	11.9011	3070	15	0.0000	0	0.000	0	9.3360	4	0.2700	1	0.0000	0	2.0466	2	0.2247	6	0.0238	2
13	भिवानी	13.5113	4633	14	0.0000	0	0.000	0	8.7240	1	0.0000	0	3.9735	3	0.0000	0	0.8006	9	0.0132	1
	दादरी	0.0000	0	0	0.0000	0	0.000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
14	जीन्द	45.9819	22784	14	0.0000	0	0.000	0	43.3182	5	0.8615	1	1.3925	1	0.3105	1	0.0942	5	0.0050	1
15	फतेहाबाद	1.1993	11	5	0.0000	0	0.000	0	0.0158	1	0.0000	0	1.1475	1	0.0000	0	0.0230	2	0.0130	1
16	गुरुग्राम	93.0162	10750	24	0.0000	0	0.000	0	64.1319	8	0.0000	0	0.0000	0	28.5809	2	0.0120	1	0.2914	13
17	फरीदाबाद	4.9986	507	9	0.0000	0	0.000	0	3.3100	1	0.0000	0	1.0125	1	0.0000	0	0.0357	4	0.6404	3
18	रेवाड़ी	10.1769	2010	19	0.0000	0	0.000	0	6.1626	6	0.9384	1	0.8768	3	0.0000	0	0.0172	3	2.1819	6
19	महेन्द्रगढ़	5.0890	663	12	0.0000	0	0.000	0	3.9000	5	0.5525	1	0.5985	2	0.0000	0	0.0108	2	0.0272	2
20	पलवल	4.0451	68	7	0.0000	0	0.000	0	0.0000	0	0.0000	0	3.6450	4	0.3768	1	0.0233	2	0.0000	0
21	मेवात	14.7236	14	3	0.0000	0	0.000	0	1.7100	1	0.0000	0	0.0000	0	12.9201	1	0.0935	1	0.0000	0
	कुल	455.5149	**107788**	**256**	**1**	**3**	**0**	**0**	**370**	**74**	**6**	**13**	**26**	**29**	**45**	**9**	**2**	**59**	**5**	**69**

वन फार्म संख्या - 8

वर्ष **2018-19** के दौरान वन बन्दोबस्त में की गई प्रगति (क्षेत्र वर्ग कि. मी. में)

					वर्ष के दौरान लागत			
मण्डल	वन का नाम	वर्ष के दौरान अन्तिम तौर पर निपटाए गए	वर्ष के आरम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान लिया गया क्षेत्र	वन लेखे में	अन्य लेखे में	अन्तिम तौर पर निपटाये गये क्षेत्र के प्रति वर्ग कि. मी. भूमि की पूर्ण लागत	बन्दोबस्त सम्बन्धी सरकारी अधिसूचना क्रमांक / दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

---शून्य---

वन फार्म संख्या - 9

(अनुच्छेद **76,78** व **79** वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

सीमाओं की हदबन्दी और अनुरक्षण का रिकार्ड वर्ष **2018-19** (लम्बाई कि. मी. में)

क्र.स.	मण्डल	वर्ष के दौरान उन सीमाओं की लम्बाई जिनकी नये सिरे से हदबन्दी की गई	पहले से वर्तमान उन सीमाओं की लम्बाई जिनकी मुरम्मत की गई	वर्ष के अन्त में अभी हदबन्दी की जाने वाली सीमाओं की लम्बाई (कि. मी. में)	वर्ष के अन्त में कृत्रिम तौर पर अंकित सीमाओं की कुल लम्बाई	ऐसी प्राकृतिक सीमाओं की लम्बाई जिनको कृत्रिम तौर पर निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है	वर्ष के अन्त में सीमाओं की कुल लम्बाई (कि. मी. में)	वर्ष के दौरान नये कार्यो पर खर्च (लाखों में)	हदबन्दी मुरम्मत पर खर्च (लाखों में)	विशेष कथन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	मोरनी पिंजौर				0.00		**0.00**			
2	अम्बाला				0.00		**0.00**			
3	यमुनानगर			3.20	732.20	2170.08	**2905.48**			
4	कुरुक्षेत्र				288.00		**288.00**			
5	कैथल				4112.73		**4112.73**			
6	करनाल				130.00		**130.00**			
7	पानीपत				0.00		**0.00**			
8	सोनीपत				126.57		**126.57**			
9	रोहतक				0.00		**0.00**			
10	झज्जर				0.00		**0.00**			
11	गुरुग्राम				377.13		**377.13**			
12	फरीदाबाद				135.26		**135.26**			
13	पलवल				2.20		**2.20**			
14	मेवात				169.21		**169.21**			
15	महेन्द्रगढ़				226.00		**226.00**			
16	रेवाड़ी				108.89		**108.89**			
17	भिवानी				0.00		**0.00**			
18	हिसार				0.00		**0.00**			
19	फतेहाबाद				11.25		**11.25**			
20	सिरसा				0.00		**0.00**			
21	जीन्द				11.32		**11.32**			
योग		**0.00**	**0.00**	**3.20**	**6430.76**	**2170.08**	**8604.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

वन फार्म संख्या - 10

(अनुच्छेद **76, 78** व **79** वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष **2018-19** के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सम्बन्धित और सर्वेक्षणाधीन वन क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण पत्र

राज्य	स्थलाकृतिक सर्वेक्षित क्षेत्र जिसका खर्च वन विभाग द्वारा किया जाता है।						ऐसे सामान्य सर्वेक्षण जिनके लिये खर्च वन विभाग द्वारा नही किया जाता ।					
	पिछला		वर्ष का		वर्ष के दौरान लागत	वर्ष के अन्त तक जोड़ (रुपये)	पिछला		वर्ष का		सीमा सर्वेक्षण	
	,4''1	,2''1	,4''2	,2''2			,2''1	,2''1	,2''1	,2''1	पिछला	वर्ष का
	मी.	मी.	मी.	मी.			मी.	पैमाने	मी.	पैमाने		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

सर्वेक्षित कुल क्षेत्र	शेष क्षेत्र जिसका सर्वेक्षण किया	फार्म 7 के अनुसार कुल क्षेत्र	विशेष कथन
14	15	16	17
	15935.44		सोनीपत मण्डल का 1994.52 है0, सिरसा का 4842.60 है0, भिवानी का 9098.32 है0 क्षेत्र का सर्वे किया जाना है।
वर्ष के दौरान वन सर्वेक्षण नहीं करवाया गया।			

वन फार्म संख्या - 18
पुनरोत्पादन तथा पौधारोपण की प्रगति वर्ष 2018-19

मण्डल/परिमण्डल का नाम	खासतौर पर प्राकृतिक पौधारोपण	क्षेत्र जो वर्ष के दौरान पौधारोपण किया गया		कुल क्षेत्र		प्रशासन एवं निर्देशन पर कुल खर्चा (में) (केवल प्लान स्कीम)	रिजनरेशन, देखभाल तथा अन्य कार्यो आदि पर खर्च (रुपयेमें) (केवल प्लान स्कीमों का कुल कार्यों पर खर्च)	कुल खर्चा (केवल प्लान स्कीम) **(7+8)**
	Ha.	**Ha.**	**R.K.M.**	**Ha.**	**R.K.M.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
मोरनी–पिंजौर		794.00	22.00	**794.00**	**22.00**	68074591	164649379	**232723970**
अम्बाला		756.00	32.00	**756.00**	**32.00**	43773558	77915600	**121689158**
यमुनानगर		497.50	32.00	**497.50**	**32.00**	67285678	80719426	**148005104**
कुरुक्षेत्र		375.00	22.00	**375.00**	**22.00**	45786095	46619024	**92405119**
कैथल		279.00	22.00	**279.00**	**22.00**	66092219	35920480	**102012699**
उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला				**0.00**	**0.00**	18703778	181120	**18884898**
रोहतक		140.15	18.50	**140.15**	**18.50**	45638836	27494757	**73133593**
झज्जर		212.50	11.00	**212.50**	**11.00**	56382236	34265600	**90647836**
करनाल		203.00	66.90	**203.00**	**66.90**	46312250	32034281	**78346531**
पानीपत		272.00	22.00	**272.00**	**22.00**	35153586	29803624	**64957210**
सोनीपत		368.80	22.00	**368.80**	**22.00**	66780466	45973552	**112754018**
मध्य परिमण्डल, रोहतक				**0.00**	**0.00**	15728420	0	**15728420**
गुरुग्राम	80.00	91.00	60.00	**171.00**	**60.00**	41189733	54716525	**95906258**
पलवल		50.00	22.00	**50.00**	**22.00**	28431364	15587941	**44019305**
मेवात	100.00	43.00	20.00	**143.00**	**20.00**	33274285	47126306	**80400591**
फरीदाबाद	80.00	150.00	32.00	**230.00**	**32.00**	30459898	38656548	**69116446**
रेवाड़ी	70.00	65.00	22.00	**135.00**	**22.00**	59789279	37348582	**97137861**
महेन्द्रगढ़	70.00	22.00	22.00	**92.00**	**22.00**	66531441	54696207	**121227648**
दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम				**0.00**	**0.00**	24282285	30743	**24313028**
भिवानी	51.00	414.64	25.00	**465.64**	**25.00**	112034421	54039996	**166074417**
हिसार		299.00	12.00	**299.00**	**12.00**	69376669	56371807	**125748476**
फतेहाबाद		676.00	12.00	**676.00**	**12.00**	43661508	43949781	**87611289**
सिरसा		571.00	18.00	**571.00**	**18.00**	54030847	39118556	**93149403**
जीन्द		338.00	22.00	**338.00**	**22.00**	36524907	35871030	**72395937**
पश्चिमी परिमण्डल, हिसार				**0.00**	**0.00**	21488901	804672	**22293573**

मण्डल/परिमण्डल का नाम	खासतौर पर प्राकृतिक पौधारोपण	क्षेत्र जो वर्ष के दौरान पौधारोपण किया गया		कुल क्षेत्र		प्रशासन एवं निर्देशन पर कुल खर्चा (में) (केवल प्लान स्कीम)	रिजनरेशन, देखभाल तथा अन्य कार्यो आदि पर खर्च (रुपयेमें) (केवल प्लान स्कीमों का कुल कार्यों पर खर्च)	कुल खर्चा (केवल प्लान स्कीम) **(7+8)**
	Ha.	**Ha.**	**R.K.M.**	**Ha.**	**R.K.M.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर				**0.00**	**0.00**	4574018	0	**4574018**
प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर				**0.00**	**0.00**	8051428	1810141	**9861569**
प्रशिक्षण मण्डल, सोहना				**0.00**	**0.00**	6432991	1274850	**7707841**
अनुसंधान परिमण्डल, पिंजौर				**0.00**	**0.00**	6380097	0	**6380097**
अनुसंधान मण्डल, पिंजौर				**0.00**	**0.00**	16015872	56536830	**72552702**
कार्य योजना परिमण्डल, गुरुग्राम				**0.00**	**0.00**	7354477	660500	**8014977**
बीज मण्डल, पिंजौर				**0.00**	**0.00**	18952737	69248252	**88200989**
प्र.मु.व.सं., हरियाणा, पंचकूला				**0.00**	**0.00**	193087394	33468051	**226555445**
प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला				**0.00**	**0.00**	19835833	4979734	**24815567**
उत्पादन, कुरुक्षेत्र				**0.00**	**0.00**	5225897	349997	**5575894**
उत्पादन, हिसार				**0.00**	**0.00**	11241870	6067581	**17309451**
उत्पादन, करनाल				**0.00**	**0.00**	6412825	1008736	**7421561**
उत्पादन, यमुनानगर				**0.00**	**0.00**	9475465	1090297	**10565762**
उत्पादन परिमण्डल, करनाल				**0.00**	**0.00**	3723043	0	**3723043**
इको टूरिज्म मण्डल, पंचकूला				**0.00**	**0.00**	11405888	11605126	**23011014**
वन्य प्राणी विंग, पंचकूला/हिसार				**0.00**	**0.00**	155792	891894	**1047686**
जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल				**0.00**	**0.00**	9456442	0	**9456442**
जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल				**0.00**	**0.00**	12318704	355633	**12674337**
जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार				**0.00**	**0.00**	16460161	188156	**16648317**
योग वानिकी	**451.00**	**6617.59**	**537.40**	**7068.59**	**537.40**	**1563348185**	**1243431315**	**2806779500**

PLANTATION PROGRESS
(2011-12 to 2018-19)

Sr. No.	Year	2406 - Forestry Group State Schemes/Sector								2402 - Soil Conservation Schemes/Sector		Forest Deptt.'s Budgetary Heads Sector (A) (All Head-schemes Total)		Other Sector (B) DRDA & Other Agencies Schemes Total		Grand Total (A+B)
		State Sector		Joint Sector (Sharebasis)		Full Centrally Sponsored Schemes		Total								
		Ha.	R.K.M. (1 Ha.= 3.3 R.K.M.)	Ha.	R.K.M. (1 Ha.= 3.3 R.K.M.)	Ha.	R.K.M. (1 Ha.= 2 R.K.M.)	Ha.	R.K.M.	Ha.	R.K.M. (1 Ha.= 3.3 R.K.M.)	Ha.	R.K.M.	Ha.	R.K.M. (1 Ha.= 3.3 R.K.M.)	Or say in Ha.
1	2011-12	10404.00	9098.9	0.00	0.00	0.00	0.00	10404.00	9098.85	340.00	0.00	10744.00	9098.85	2466.26	2009.40	**16576**
2	2012-13	13799.86	7715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13799.86	7715.00	165.00	0.00	13964.86	7715.00	4410.50	3392.38	**21741**
3	2013-14	18881.00	6591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18881.00	6591.00	40.00	0.00	18921.00	6591.00	2367.50	2192.38	**23950**
4	2014-15	15745.50	8922.00	0.00	0.00	2967.00	0.00	18712.50	8922.00	94.00	0.00	18806.50	8922.00	1616.00	2371.00	**23845**
5	2015-16	11518.83	8139.25	1769.00	0.00	0.00	0.00	13287.83	8139.25	115.00	0.00	13402.83	8139.25	5969.58	2100.01	**22475**
6	2016-17	8536.38	430.00	1068.86	0.00	0.00	0.00	9605.24	430.00	81.00	0.00	9686.24	430.00	7955.04	4992.04	**19284**
7	2017-18	9954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9954.00	0.00	45.50	0.00	9999.50	0.00	1575.24	3732.53	**12706**
8	2018-19	7036.59	537.4	0	0	0	0	7036.59	537.40	32	0	7068.59	537.4	1583.4	6391.71	10752

भाग दो–अध्याय दो

अनुभाग–एक (कार्य योजना)

वर्ष के दौरान वन संसाधनों के प्रबंधन एवं सतत विकास हेतु राज्य के वन मण्डल मोरनी–पिंजौर की कार्य योजना तैयार की जा रही है। वर्ष के दौरान स्वीकृत कार्य योजनाओं के अधीन 1363.99 वर्ग कि. मी. वन क्षेत्र रहा।

अनुभाग–दो (यातायात तथा भवन)

वर्ष के दौरान नए भवनों, सड़कों व पथों के निर्माण पर 400.67 लाख रूपये खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त पुराने भवनों, सड़कों व मार्गों की मुरम्मत पर 355.27 लाख रूपये खर्च किए गए। अतः वर्ष के दौरान संचार तथा भवनों पर कुल खर्च 755.94 लाख रूपये रहा है जिसमें से 601.10 लाख रुपये स्टेट स्कीमों का खर्च रहा तथा 154.84 लाख रुपये अन्य स्कीम कैम्पा का खर्चा शामिल है।

कार्य योजनाओं, संचार तथा भवनों सम्बन्धी प्रगति का विवरण फार्म संख्या 11 व 12 में दर्शाया गया है।

वन फार्म संख्या - 11

(अनुच्छेद **76, 78** व **79** वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

कार्य योजनाओं में की गई प्रगति वर्ष **2018-19**

वर्ग कि. मी.

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्वीकृत कार्ययोजनाओं के अधीन क्षेत्र			वर्ष के अन्त में वास्तविक क्षेत्र	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत जो कि कॉलम 10 में दिखाया गया है	तैयार की जा रही योजनाएं	तैयार न की जा रही योजनाएं		कॉलम सं. 5,7,8 तथा 9 का जोड़	परिशोधित			वर्ष के दौरान कार्य योजनाओं पर खर्च (रु. लाखों में)
		वर्ष के आरम्भ में क्षेत्र	वर्ष के दौरान जोड़ा गया क्षेत्र	वर्ष के दौरान निकाला गया क्षेत्र				अब अपेक्षित हैं	जो अपेक्षित नहीं हैं		नियत अथवा अपेक्षित	वर्ष के अन्त में चालू	वर्ष के दौरान परिशोधित कार्य योजनायें जो मंजूर हुई	
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	मोरनी–पिंजौर	0			0.00					0.00				
2	अम्बाला	42.49			42.49	100				42.49				
3	यमुनानगर	217.56			217.56	100				217.56				
4	कुरुक्षेत्र	45.46			45.46	100				45.46				
5	कैथल	72.16			72.16	100				72.16				
6	करनाल	77.00			77.00	100				77.00				
7	पानीपत	41.53			41.53	100				41.53				
8	सोनीपत	74.65			74.65	100				74.65				
9	रोहतक	45.94			45.94	100				45.94				
10	झज्जर	39.02			39.02	100				39.02				
11	गुरुग्राम	88.98			88.98	100				88.98				
12	फरीदाबाद	70.22			70.22	100				70.22				
13	पलवल	29.78			29.78	100				29.78				
14	नूंह	95.74			95.74	100				95.74				
15	रेवाड़ी	50.76			50.76	100				50.76				
16	महेन्द्रगढ़	57.26			57.26	100				57.26				
17	हिसार	63.13			63.13	100				63.13				
18	फतेहाबाद	42.31			42.31	100				42.31				
19	भिवानी	94.22			94.22	100				94.22				
20	सिरसा	48.04			48.04	100				48.04				
21	जीन्द	67.74			67.74	100				67.74				
योग		**1363.99**	**0**	**0.00**	**1363.99**	**100**	**0**	**0**	**0**	**1363.99**	**0**	**0**	**0**	

वन फार्म संख्या-**12**

(अनुच्छेद **70, 76,** व **79** वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष **2018-19** के दौरान संचार और भवनों पर किए गए खर्च दर्शाने वाला विवरण पत्र

(खर्च रुपयों में) (लम्बाई कि. मी. में)

क. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष के दौरान नये कार्यों पर खर्च					सड़क तथा पथ			
							छकड़ों के लिए सड़क		अश्व पथ	
		मुख्यालय भवनों पर	विश्राम गृहों पर	अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए भवनों पर	अन्य भवनों पर	कुल खर्च	लम्बाई	खर्च	लम्बाई	खर्च
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	मोरनी–पिंजौर	0	247889	0	0	**247889**	0	0	0	0
2	यमुनानगर	1198000	0	0	0	**1198000**	0	0	0	0
3	अम्बाला	5000000	0	0	0	**5000000**	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
5	कैथल	3606593	0	0	0	**3606593**	0	0	0	0
6	उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
7	रोहतक	0	1859272	2500000	0	**4359272**	0	0	0	0
8	झज्जर	299849	0	0	0	**299849**	0	0	0	0
9	करनाल	0	310377	0	2299994	**2610371**	0	0	0	0
10	पानीपत	3899000	0	0	1238953	**5137953**	0	0	0	0
11	सोनीपत	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
12	मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
13	गुरुग्राम	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
14	फरीदाबाद	1459694	0	0	0	**1459694**	0	0	0	0
15	पलवल	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
16	मेवात नूंह	3850078	0	0	0	**3850078**	0	0	0	0
17	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
18	रेवाड़ी	283920	0	0	0	**283920**	0	0	0	0
19	दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	हिसार	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
21	फतेहाबाद	0	0	2188000	0	**2188000**	0	0	0	0
22	सिरसा	543179	0	2199017	0	**2742196**	0	0	0	0
23	भिवानी	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
24	जीन्द	0	0	2760628	0	**2760628**	0	0	0	0
25	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
26	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	0	0	0	2400000	**2400000**	0	0	0	0
28	कार्य योजना परिमण्डल गुरुग्राम	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
29	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
30	बीज संग्रह मण्डल पिंजौर	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
31	प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
37	प्र.मु.व.सं. कार्यालय, पंचकूला					**0**				
38	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार					**0**				
39	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल					**0**				
40	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल					**0**				
योग		**20140313**	**2417538**	**9647645**	**5938947**	**38144443**	**0**	**0**	**0**	**0**

क. सं.	कार्यालय का नाम	अन्य		पथों तथा सड़कों की		अन्य कार्यो पर किया गया खर्च	नए कार्यो पर कुल खर्च	वर्ष के दौरान की गई मुरम्मतें	
		लम्बाई	खर्च	कुल लम्बाई	कुल खर्च			मुख्यालय भवनों पर	विश्राम गृहों पर
	11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	**0**	**0**	0	**247889**	0	507240
2	यमुनानगर	0	0	**0**	**0**	0	**1198000**	0	0
3	अम्बाला	0	0	**0**	**0**	0	**5000000**	1021449	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0
5	कैथल	0	0	**0**	**0**	0	**3606593**	0	0
6	उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला	0	0	**0**	**0**	0	**0**	147464	0
7	रोहतक	0	0	**0**	**0**	0	**4359272**	104271	0
8	झज्जर	0	0	**0**	**0**	0	**299849**	39967	0
9	करनाल	0	0	**0**	**0**	0	**2610371**	0	0
10	पानीपत	0	0	**0**	**0**	0	**5137953**	290000	0
11	सोनीपत	0	0	**0**	**0**	0	**0**	522879	0
12	मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0
13	गुरुग्राम	0	0	**0**	**0**	0	**0**	487470	0
14	फरीदाबाद	0	0	**0**	**0**	0	**1459694**	217434	0
15	पलवल	0	0	**0**	**0**	0	**0**	300000	0
16	मेवात नूंह	0	0	**0**	**0**	0	**3850078**	200000	0
17	महेन्द्रगढ़	0	0	**0**	**0**	0	**0**	1116000	0
18	रेवाड़ी	0	0	**0**	**0**	0	**283920**	500000	0
19	दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम	0	0	**0**	**0**	0	**0**	30743	0
20	हिसार	0	0	**0**	**0**	0	**0**	767222	50060
21	फतेहाबाद	0	0	**0**	**0**	0	**2188000**	0	0
22	सिरसा	0	0	**0**	**0**	0	**2742196**	1039605	0
23	भिवानी	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0
24	जीन्द	0	0	**0**	**0**	0	**2760628**	1998767	0

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0	0	**0**	**0**	0	**0**	72576	0
26	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0	0	**0**	**0**	0	**0**	136775	0
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	2.5	1922391	**2.5**	**1922391**	0	**4322391**	0	2669376
28	कार्य योजना परिमण्डल गुरुग्राम	0	0	**0**	**0**	0	**0**	660500	0
29	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	0	0	**0**	**0**	0	**0**	861865	0
30	बीज संग्रह मण्डल पिंजौर	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0
31	प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0
37	प्र.मु.व.सं. कार्यालय, पंचकूला	0	0	**0**	**0**	0	**0**	16995525	0
38	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0	0	**0**	**0**	0	**0**	188156	0
39	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल	0	0	**0**	**0**	0	**0**	353358	0
40	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0
योग		**2.5**	**1922391**	**2.5**	**1922391**	**0**	**40066834**	**28052026**	**3226676**

क. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष के दौरान की गई मुरम्मतें			सड़कें तथा मार्ग					
					छकड़ों के लिये सड़कें		अश्व पथ		अन्य	
		अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये भवनों पर	अन्य भवनों पर	किया गया कुल खर्च	लम्बाई	लागत	लम्बाई	लागत	लम्बाई	लागत
	20	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	**507240**	0	0	0	0	0	0
2	यमुनानगर	840546	0	**840546**	0	0	0	0	0	0
3	अम्बाला	0	0	**1021449**	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	**0**	0	0	0	0		
5	कैथल	400000	0	**400000**	0	0	0	0	0	0
6	उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला	0	0	**147464**	0	0	0	0	0	0
7	रोहतक	193753	220755	**518779**	0	0	0	0	0	0
8	झज्जर	0	0	**39967**	0	0	0	0	0	0
9	करनाल	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
10	पानीपत	0	0	**290000**	0	0	0	0	0	0
11	सोनीपत	0	0	**522879**	0	0	0	0	0	0
12	मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
13	गुरुग्राम	0	0	**487470**	0	0	0	0	0	0
14	फरीदाबाद	0	0	**217434**	0	0	0	0	0	0
15	पलवल	0	0	**300000**	0	0	0	0	0	0
16	मेवात नूंह	0	0	**200000**	0	0	0	0	0	0
17	महेन्द्रगढ़	0	0	**1116000**	0	0	0	0	0	0
18	रेवाड़ी	0	0	**500000**	0	0	0	0	0	0
19	दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम	0	0	**30743**	0	0	0	0	0	0
20	हिसार	93372	0	**910654**	0	0	0	0	0	0
21	फतेहाबाद	0	691186	**691186**	0	0	0	0	0	0

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
22	सिरसा	0	0	**1039605**	0	0	0	0	0	0
23	भिवानी	1231123	0	**1231123**	0	0	0	0	0	0
24	जीन्द	0	0	**1998767**	0	0	0	0	0	0
25	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0	0	**72576**	0	0	0	0	0	0
26	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0	0	**136775**	0	0	0	0	0	0
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	0	266239	**2935615**	0	0	0	0	0	0
28	कार्य योजना परिमण्डल गुरुग्राम	0	0	**660500**	0	0	0	0	0	0
29	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	0	0	**861865**	0	0	0	0	0	0
30	बीज संग्रह मण्डल पिंजौर	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
31	प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	0	311136	**311136**	0	0	0	0	0	0
37	प्र.मु.व.सं. कार्यालय, पंचकूला	0	0	**16995525**	0	0	0	0	0	0
38	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0	0	**188156**	0	0	0	0	0	0
39	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल	0	0	**353358**	0	0	0	0	0	0
40	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
योग		**2758794**	**1489316**	**35526812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

क. सं.	कार्यालय का नाम	मार्गों अथवा सड़कों की		अन्य कार्यों पर किया गया खर्च	किया गया कुल खर्च	विशेष कथन
		कुल लम्बाई	कुल खर्च			
	30	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
1	मोरनी–पिंजौर	0.00	0	0	755129	
2	यमुनानगर	0.00	0	0	2038546	1198000 रुपये कैम्पा स्कीम के शामिल है।
3	अम्बाला	0.00	0	0	6021449	
4	कुरुक्षेत्र	0.00	0	0	0	
5	कैथल	0.00	0	0	4006593	
6	**उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला**	0.00	0		147464	
7	रोहतक	0.00	0		4878051	2500000 रुपये कैम्पा स्कीम के शामिल है।
8	झज्जर	0.00	0		339816	
9	करनाल	0.00	0		2610371	
10	पानीपत	0.00	0		5427953	3899131 रुपये कैम्पा स्कीम के शामिल है।
11	सोनीपत	0.00	0		522879	
12	**मध्य परिमण्डल, रोहतक**	0.00	0		**0**	
13	गुरुग्राम	0.00	0		487470	
14	फरीदाबाद	0.00	0		1677128	
15	पलवल	0.00	0		300000	
16	मेवात नूंह	0.00	0		4050078	
17	महेन्द्रगढ़	0.00	0		1116000	
18	रेवाड़ी	0.00	0		783920	
19	**दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम**	0.00	0		**30743**	
20	हिसार	0.00	0		910654	
21	फतेहाबाद	0.00	0		2879186	2188000रुपये कैम्पा स्कीम के शामिल है।
22	सिरसा	0.00	0		3781801	2199017रुपये कैम्पा स्कीम के शामिल है।
23	भिवानी	0.00	0		1231123	999540 रुपये कैम्पा स्कीम के शामिल है।
24	जीन्द	0.00	0		4759395	2500000 रुपये कैम्पा स्कीम के शामिल है।
25	**पश्चिमी परिमण्डल, हिसार**	0.00	0		**72576**	

	30	31	32	33	34	35
26	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0.00	0		136775	
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	0.00	0		7258006	
28	कार्य योजना परिमण्डल गुरुग्राम	0.00	0		660500	
29	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	0.00	0		861865	
30	बीज संग्रह मण्डल पिंजौर	0.00	0		0	
31	प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	0.00	0		311136	
37	प्र.मु.व.सं. कार्यालय, पंचकूला	0.00	0		16995525	
38	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0.00	0		188156	
39	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल करनाल	0.00	0		353358	
40	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल	0.00	0		0	
योग		**0.00**	**0**	**0**	**75593646**	15483688 रु0 कैम्पा स्कीम के शामिल है।

भाग दो–अध्याय तीन

हरियाणा राज्य के गठन के समय सरकारी क्षेत्रों में खड़े वृक्षों की कटाई ठेकेदारों के माध्यम से करवाई जाती थी। ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त करने तथा वनों की कटाई वैज्ञानिक ढंग से करने के उद्देश्य से वर्ष 1967 में विभागीय कटाई का कार्यक्रम एक प्रयोग के तौर पर वन राजिक क्षेत्रीय के अधीन जिला करनाल में प्रारम्भ किया गया। इसके अगले वर्ष 1968 में कार्य योजना एवं अनुसंधान मण्डल के अधीन उत्पादन रेंज कलेसर का सृजन किया गया। बाद में यह रेंज वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला के अधीन कर दी गई। आरम्भ में केवल थिनिंग (छंटाई) इत्यादि का कार्य इस रेंज द्वारा किया गया तथा वर्ष 1973 में इसे पूर्ण उत्पादन वन मण्डल में परिवर्तित कर दिया गया तथा उसी वर्ष काष्ठ निर्माण परिमण्डल का भी सृजन किया गया, जिसका मुख्यालय चण्डीगढ में रखा गया। इसके साथ–साथ अन्य उत्पादन रेंज तथा उत्पादन मण्डल भी बनाए गए। बाद में काष्ठ निर्माण परिमण्डल का नाम उत्पादन परिमण्डल रखा गया तथा इसका मुख्यालय पंचकूला में निर्धारित किया गया। वर्तमान समय में कटाई के कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार उत्पादन विंग या वन विकास निगम, हरियाणा द्वारा करवाए जाते थे परन्तु वर्ष 2018–19 में हरियाणा सरकार द्वारा उत्पादन विंग को वन विकास निगम, हरियाणा में विलय कर दिया गया। वर्तमान में केवल हरियाणा वन विकास निगम ही राज्य में सरकारी जंगलों से कटाई के अतिरिक्त किसानों, पंचायतों व अन्य संस्थाओं के वृक्षों की कटाई/निकासी का कार्य करता है।

वन विकास निगम हरियाणा के अम्बाला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक, गुरुग्राम व रेवाड़ी नामक 9 क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय हैं जिनको राज्य के सभी जिलों के सरकारी जंगलो का वन क्षेत्र कटाई/निकासी सम्बन्धी कार्य हेतु आंबटित है।

1. हरियाणा वन विकास निगम द्वारा कटाई (HFDC Logging)

पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा वन विकास निगम द्वारा केवल विभागीय सरकारी जंगलों से काटे गये वृक्षों का आयतन/लोगिंग डेटा निम्न प्रकार से आंका जा सकता है:–

वर्षवार/प्रजातिवार काटे गए वृक्षों का आयतन (घन मीटर में)												
क्षेत्रीय प्रबंधक	वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18			वर्ष 2018–19			**योग**		
	प्रजाति			प्रजाति			प्रजाति			**प्रजाति**		
	सफेदा	अन्य	योग	सफेदा	अन्य	योग	सफेदा	अन्य	योग	**सफेदा**	**अन्य**	**योग**
अम्बाला	7528	1312	8840	2391	1893	4284	3230	3241	6471	13149	6446	19595
कुरूक्षेत्र	6602	4091	10693	5846	3759	9605	12356	3073	15429	24804	10923	35727
यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	5850	6161	12011	5850	6161	12011
हिसार	432	2015	2447	1194	2342	3536	13660	10772	24432	15286	15129	30415
सिरसा	0	0	0	0	0	0	2293	2240	4533	2293	2240	4533
जीन्द	27	170	197	0	0	0	0	0	0	27	170	197
करनाल	0	0	0	0	0	0	10990	9075	20065	10990	9075	20065
रोहतक	6840	2496	9336	3857	4571	8428	10565	4401	14966	21262	11468	32730

गुरूग्राम	2285	7947	10232	907	5036	5943	2785	1523	4308	5977	14506	20483
रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	1811	11643	13454	1811	11643	13454
कुल	**23714**	**18031**	**41745**	**14195**	**17601**	**31796**	**63540**	**52129**	**115669**	**101449**	**87761**	**189210**

Production Circle Logging:

विभागीय उत्पादन वन मण्डलों द्वारा पिछले 5 वर्षो में सरकारी जगलों से काटे गये वृक्षों के आयतन का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है:–

A. Felling volume (in cum) of Production Divisions					
Year	**Yamunanagar**	**Kurukshetra**	**Karnal**	**Hisar**	**Total**
2014-15	9862	14517	21239	12932	**58550**
2015-16	20107	33988	22057	46101	**122253**
2016-17	15995	15463	28596	15268	**75322**
2017-18	14830	18658	32717	24703	**90908**
2018-19	0	0	0	0	**0**
Total	**60794**	**82626**	**104609**	**99004**	**347033**
%age	**18**	**24**	**30**	**28**	**100**

Species wise logging data:

प्रजातिवार की गई कटाई का आंकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है:–

B. Species wise Felling (in Cu.M.)							
Year	**Eucalyptus**	**Shisham**	**Kikar**	**Chir**	**Khair**	**Miscellaneous**	**Total Vol.**
2014-15	40033	2307	6447	589	73	9101	**58550**
2015-16	73749	6074	15185	1176	129	25940	**122253**
2016-17	49353	4163	9223	0	773	11810	**75322**
2017-18	35194	12320	23294	133	295	19672	**90908**
2018-19	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**198329**	**24864**	**54149**	**1898**	**1270**	**66523**	**347033**
%age	**57**	**7**	**16**	**0.6**	**0.4**	**19**	**100**

Dead Dry and Green felling data

गिरे पड़े सूखे तथा हरे वृक्षों की कटाई का आंकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है:–

C. Dead Dry and Green Felling (in Cu. M.)					
Year	**Dead/Dry**	**Green**	**Total**	**Dead/Dry %**	**Green %**
2014-15	23526	35024	**58550**	40	60
2015-16	55179	67074	**122253**	45	55
2016-17	22578	52744	**75322**	30	70
2017-18	50953	39955	**90908**	56	44
2018-19	0	0	**0**	0	0
Total	**152236**	**194797**	**347033**	**44**	**56**

Out-Turn Trend Analysis:

वर्ष के दौरान हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला द्वारा 115669 घ.मी. आयतन तथा विभागीय उत्पादन परिमण्डल, पंचकूला द्वारा शून्य घ.मी. आयतन काटा गया। इस प्रकार वर्ष के दौरान सरकारी वनों से कुल 115669 घ.मी. उत्पाद की कटाई/निकासी की गई।

पिछले पांच वर्षो में सरकारी जंगलों से काटे गए आयतन का Trend आंकलन निम्न प्रकार से रहा है:–

क्र. सं.	वर्ष	विंग		आयतन (घ. मी.)
		उत्पादन (Production)	हरियाणा वन विकास निगम (HFDC)	कुल योग
1.	2014–15	58550	56969	**115519**
2.	2015–16	122253	62505	**184758**
3.	2016–17	75322	41745	**117067**
4.	2017–18	90908	31796	**122704**
5.	2018–19	0	115669	**115669**
योग		**347033**	**308684**	**655717**
%age		53	47	100

Agency wise Felling Data:

राज्य के सरकारी जंगलों से एजेंसी वाईज की गई कटाई से प्राप्त ANNUAL OUT-TURN TRENDS का अवलोकन भी निम्न प्रकार से किया जा सकता है:–

AGENCY- WISE LOGGING TREND
MAJOR FOREST PRODUCE OUT-TURN FROM STATE-OWNED FORESTS IN HARYANA
Year : 2013-14 to 2018-19

Year / Production Agency	Standing Volume Felled (in cu.m.)	Conversion Obtained (in Cu. M.)						Total Out-turn (in Solid cu.m.)
		Round Timber (in Solid cu.m.)	Grade – I (Girth 26 cms to 59 cms)	Grade-II (below 26 cms)	Stumps		Fuel wood in solid cum after conversion of G-I/G-II/ Stumps (G-I*5/12+ G-II*2/12+ Stumps cu.m.*1/4)	
					Qty. (Nos.)	Stumps (Stacked cum) (4 Stumps = 1 Stm3)		
Forest Deptt. (A)	45125	23354	10565	4541	2215	554	5297	28651
HFDC (B)	42363	20432	11782	7323	12953	3238	6939	27371
2013-14 (A+B)	**87488**	**43786**	**22347**	**11864**	**15168**	**3792**	**12236**	**56022**
Forest Deptt. (A)	58550	32451	14899	7533	1940	485	7585	40036
HFDC (B)	56969	29468	20074	12154	10824	2706	11066	40534
2014-15 (A+B)	**115519**	**61919**	**34973**	**19687**	**12764**	**3191**	**18651**	**80570**
Forest Deptt. (A)	122253	65596	32554	13679	13630	3408	16696	82292
HFDC (B)	62505	33985	19730	12239	42337	10584	12907	46892
2015-16 (A+B)	**184758**	**99581**	**52284**	**25918**	**55967**	**13992**	**29603**	**129184**
Forest Deptt. (A)	75322	40000	18685	9163	7905	1976	9807	**49807**
HFDC (B)	41745	21218	11136	5581	23080	5770	7013	**28231**

2016-17 (A+B)	**117067**	**61218**	**29821**	**14744**	**30985**	**7746**	**16820**	**78038**
Forest Deptt. (A)	**90908**	**45759**	**15112**	**6654**	**10991**	**2748**	**8092**	**53851**
HFDC (B)	**31796**	**16584**	**6918**	**2916**	**13378**	**3344**	**4205**	**20789**
2017-18 (A+B)	**122704**	**62343**	**22030**	**9570**	**24369**	**6092**	**12297**	**74640**
Forest Deptt. (A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
HFDC (B)	**115669**	**68605**	**30092**	**15302**	**42751**	**10687**	**17761**	**86365**
2018-19(A+B)	**115669**	**68605**	**30092**	**15302**	**42751**	**10687**	**17761**	**86365**

*** HFDC – Haryana Forest Development Corporation**

लघु वन उपज की निकासी

पिछले पांच वर्षों में लघु वन उपज से प्राप्त राजस्व का उपजवार सारांश (रुपये) में निम्न प्रकार से रहा हैः—

क्र. सं.	वर्ष	लघु वन उपज (रुपये में)				
		घास, पूला व काना	भाभड़ घास	बांस	अन्य	कुल योग
1.	2014—15	1083229	374314	2388	383885	1843816
2.	2015—16	1700750	205920	896	417600	2325166
3.	2016—17	1416888	225658	399	223537	1866482
4.	2017—18	1091766	286065	581	87700	1466112
5.	2018—19	918485	749552	879	341129	2010045
योग		6211118	1841509	5143	1453851	9511621

अतः सरकारी जंगलो से वर्ष 2018—19 का वन उपज निकासी सम्बन्धी पूर्ण विवरण फार्म संख्या 19, 20, 21 व 22 में तथा निष्क्रिय स्टॉक सम्बन्धित विवरण फार्म संख्या 23 में दर्शाया गया है।

मुख्य प्रजातिवार ग्रोईंग स्टॉक वर्ष **2018-19**

क. सं.	जिला	चीड़		साल		खैर		शीशम		कीकर		सफेदा		विविध		योग	
		वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)
1	पंचकूला	106881	95149	0	0	1277326	286778	17060	3597	22474	4994	90493	52592	2850344	704260	**4364578**	**1147370**
2	अम्बाला	0	0	0	0	1825	364	32462	16065	12838	10948	312772	280632	55415	18825	**415312**	**326835**
3	यमुनानगर	450	488	507285	323147	1365349	191176	284518	105812	15343	13300	426706	327985	2800915	790983	**5400566**	**1752890**
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	28161	10105	106087	16575	805706	397660	378535	71437	**1318489**	**495777**
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	69399	17929	25746	11900	933692	492095	650207	110705	**1679044**	**632630**
वन संरक्षक उत्तरी, अम्बाला		**107331**	**95637**	**507285**	**323147**	**2644500**	**478318**	**431600**	**153508**	**182488**	**57718**	**2569369**	**1550964**	**6735416**	**1696211**	**13177989**	**4355502**
6	रोहतक	0	0	0	0	0	0	3954	1092	21371	11132	124598	132958	46784	20957	**196707**	**166139**
7	झज्जर	0	0	0	0	0	0	6153	2813	23944	11616	91784	76147	109274	43525	**231155**	**134100**
8	करनाल	0	0	0	0	0	0	49100	12225	15910	8576	406130	285797	115839	50753	**586979**	**357351**
9	पानीपत	0	0	0	0	0	0	22078	5652	14310	6229	165951	131392	56643	22812	**258982**	**166085**
10	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	14414	11669	22306	13952	402713	482118	106729	82668	**546162**	**590407**
वन संरक्षक मध्य, रोहतक		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95699**	**33450**	**97841**	**51506**	**1191176**	**1108412**	**435269**	**220715**	**1819985**	**1414083**

क. सं.	जिला	चीड़		साल		खैर		शीशम		कीकर		सफेदा		विविध		योग	
		वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)	वृक्ष (नं. में)	वॉल्यूम (घ. मी. में)
11	गुरुग्राम	0	0	0	0	0	0	1875	1714	5525	3827	34419	21897	74832	20136	**116651**	**47574**
12	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	3122	1633	7329	2575	23066	27255	53145	29977	**86662**	**61441**
13	पलवल	0	0	0	0	0	0	3881	1735	21254	5570	72814	69624	38466	15366	**136415**	**92295**
14	मेवात नूह	0	0	0	0	0	0	1372	2232	16942	4108	26307	21649	29776	10270	**74397**	**38258**
15	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	3816	1831	17729	14932	33643	10642	210007	84804	**265195**	**112209**
16	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	2020	887	23879	20818	607	853	650681	178603	**677187**	**201162**
वन संरक्षक दक्षिणी, गुरुग्राम		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16086**	**10031**	**92658**	**51830**	**190856**	**151920**	**1056907**	**339157**	**1356507**	**552939**
17	हिसार	0	0	0	0	0	0	44215	38857	61399	42347	236403	152069	202192	105013	**544209**	**338286**
18	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	69063	27018	42921	45024	244203	143829	257970	123437	**614157**	**339307**
19	भिवानी	0	0	0	0	0	0	62097	51034	6494	2537	85410	45932	670586	303909	**824587**	**403412**
20	सिरसा	0	0	0	0	0	0	89003	44270	125006	145928	315566	173710	223239	248591	**752814**	**612499**
21	जीन्द	0	0	0	0	0	0	32679	11855	69742	34478	770333	399083	207819	67485	**1080573**	**512902**
वन संरक्षक पश्चिमी, हिसार		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297057**	**173033**	**305562**	**270315**	**1651915**	**914623**	**1561806**	**848435**	**3816340**	**2206405**
कुल योग		**107331**	**95637**	**507285**	**323147**	**2644500**	**478318**	**840442**	**370022**	**678549**	**431369**	**5603316**	**3725919**	**9789398**	**3104517**	**20170821**	**8528929**
प्रतिशत																	

वन फार्म संख्या - 19

अनुच्छेद 76, 78 व 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण

वर्ष 2018-19 के दौरान इमारती लकड़ी और ईंधन का उत्पादन घ. मी. और समापन एजैन्सी

क. सं.	कार्यालय का नाम	असम इमारती लकड़ी					असम इमारती लकड़ी पोल्ज					चीरी अथवा चकोर इमारती लकड़ी				
		सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	क्षे.प्रं. अम्बाला (व.वि.नि.0)	3403.00	0	0	0	3403.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	क्षे.प्रं. कुरुक्षेत्र (व.वि.नि.0)	7703.00	0	0	0	7703.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	क्षे.प्रं. यमुनानगर (व.वि.नि.0)	6045.00	0	0	0	6045.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	क्षे.प्रं. हिसार (व.वि.नि.0)	13198.00	0	0	0	13198.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	क्षे.प्रं. सिरसा (व.वि.नि.0)	11468.00	0	0	0	11468.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	क्षे.प्रं. करनाल (व.वि.नि.0)	10108.00	0	0	0	10108.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	क्षे.प्रं. रोहतक (व.वि.नि.0)	7686.00	0	0	0	7686.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	क्षे.प्रं.गुरूग्राम (व.वि.नि.0)	2015.00	0	0	0	2015.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	क्षे.प्रं. रेवाड़ी (व.वि.नि.0)	6978.00	0	0	0	6978.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**68604.00**	**0**	**0**	**0**	**68604.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क. सं.	क्षेत्रीय प्रबंधक	विविध					कुल इमारती लकड़ी				
		सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	क्षे.प्रं. अम्बाला (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	3403.00	0	0	0	3403.00
2	क्षे.प्रं. कुरुक्षेत्र (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	7703.00	0	0	0	7703.00
3	क्षे.प्रं. यमुनानगर (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	6045.00	0	0	0	6045.00
4	क्षे.प्रं. हिसार (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	13198.00	0	0	0	13198.00
5	क्षे.प्रं. सिरसा (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	11468.00	0	0	0	11468.00
6	क्षे.प्रं. करनाल (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	10108.00	0	0	0	10108.00
7	क्षे.प्रं. रोहतक (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	7686.00	0	0	0	7686.00
8	क्षे.प्रं.गुरूग्राम (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	2015.00	0	0	0	2015.00
9	क्षे.प्रं. रेवाड़ी (व.वि.नि.0)	0	0	0	0	0	6978.00	0	0	0	6978.00
	योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68604.00**	**0**	**0**	**0**	**68604.00**

क. सं.	क्षेत्रीय प्रबंधक	ईंधन (ग्रेड II) 26 सें. मी. से कम					पल्पवुड (ग्रेड 1) 26 सें. मी. से 59 सें. मी. तक					ईंधन (ग्रेड 1) 26 सें. मी. से 59 सें. मी.					Stumps No.
		सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	सरकार	केता	निःशुल्क	हकदार	योग	
	28		**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**
1	क्षे.प्रं. अम्बाला (व.वि.नि.0)	523.10	0	0	0	523.10	664.45	0	0	0	664.45	530.15	0	0	0	530.15	227.00
2	क्षे.प्रं. कुरुक्षेत्र (व.वि.नि.0)	2525.80	0	0	0	2525.80	3501.25	0	0	0	3501.25	859.25	0	0	0	859.25	8935.00
3	क्षे.प्रं. यमुनानगर (व.वि.नि.0)	757.00	0	0	0	757.00	1341	0	0	0	1341.00	1346.00	0	0	0	1346.00	4481.00
4	क्षे.प्रं. हिसार (व.वि.नि.0)	3519.05	0	0	0	3519.05	4126.85	0	0	0	4126.85	2212.40	0	0	0	2212.40	1999.00
5	क्षे.प्रं. सिरसा (व.वि.नि.0)	455.75	0	0	0	455.75	328.75	0	0	0	328.75	2214.05	0	0	0	2214.05	5953.00
6	क्षे.प्रं. करनाल (व.वि.नि.0)	1919.45	0	0	0	1919.45	2274.3	0	0	0	2274.30	1627.90	0	0	0	1627.90	11394.00
7	क्षे.प्रं. रोहतक (व.वि.नि.0)	2418.00	0	0	0	2418.00	2773.5	0	0	0	2773.50	1111.00	0	0	0	1111.00	3585.00
8	क्षे.प्रं.गुरूग्राम (व.वि.नि.0)	971.00	0	0	0	971.00	881	0	0		881.00	626.00	0	0	0	626.00	1662.00
9	क्षे.प्रं. रेवाड़ी (व.वि.नि.0)	2213.00	0	0	0	2213.00	637	0	0	0	637.00	3037.00	0	0	0	3037.00	4515.00
योग		**15302.15**	**0**	**0**	**0**	**15302.15**	**16528**	**0**	**0**	**0**	**16528.10**	**13563.75**	**0**	**0**	**0**	**13563.75**	**42751.00**

वन फार्म संख्या-**20**

वर्ष **2018-19** के दौरान लघु वन उपज की बिक्री का ब्यौरा (रुपयों में)

क. सं.	उपज का विवरण	सरकारी एजैन्सी द्वारा		केताओं द्वारा		निःशुल्क		हकदारों द्वारा		जोड़	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	बांस (नं.)		879		0		0		0		879
2	घास		918485								918485
3	भाभड़ घास		749552								749552
4	फल		92109								92109
5	अन्य		249020								249020
	योग		**2010045**								**2010045**

वन फार्म संख्या–**21**

वर्ष **2018-19** के दौरान लकड़ी तथा अन्य उपज का हिसाब जो काटी गई या सरकारी एजैन्सी द्वारा एकत्रित की गई एवं डिपो पर लाई गई, स्थानीय दे दी गई अथवा जिसका अन्यथा निपटान किया गया।

उत्पादन मण्डल	उपज का विवरण	वनों तथा बिक्री डिपो में वर्ष के आरम्भ में शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	योग	वर्ष के दौरान निपटान की गई	वनों तथा बिक्री डिपो में वर्ष के अन्त में शेष
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
यमुनानगर	टिम्बर	1666	0	1666	1666	0
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	425	0	425	425	0
	बालन (बुआईलर साईज़)	621	0	621	621	0
	बालन (थिन साईज़)	940	0	940	940	0
हिसार	टिम्बर	6316	0	6316	6316	0
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	0	0	0	0	0
	बालन (बुआईलर साईज़)	1377	0	1377	1377	0
	बालन (थिन साईज़)	379	0	379	379	0
कुरूक्षेत्र	टिम्बर	1202	0	1202	1202	0
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	114	0	114	114	0
	बालन (बुआईलर साईज़)	121	0	121	121	0
	बालन (थिन साईज़)	164	0	164	164	0
करनाल	टिम्बर	4969	0	4969	4969	0
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	515	0	515	515	0
	बालन (बुआईलर साईज़)	1618	0	1618	1618	0
	बालन (थिन साईज़)	888	0	888	888	0
योग	टिम्बर	**14153**	**0**	14153	**14153**	0
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	**1054**	**0**	1054	**1054**	0
	बालन (बुआईलर साईज़)	**3737**	**0**	3737	**3737**	0
	बालन (थिन साईज़)	**2371**	**0**	2371	**2371**	0

नोटः– टिम्बर घन मीटर में, बालन व पल्पवुड स्टैक्ड घन मीटर में एवं बांस नम्बरों में दर्शाया गया है तथा Stumps Out-turn को शामिल नहीं किया गया है।

वन फार्म संख्या-22

वर्ष 2018-19 के दौरान बिक्री डिपो पर लकड़ी तथा अन्य उपज का मूल्य दर्शाते हुए विवरण पत्र

उत्पादन मण्डल	लकड़ी तथा अन्य उपज का विवरण	वर्ष के आरम्भ में हस्तगत		वर्ष के अन्त में हस्तगत		मूल्य में अन्तर			
						वर्ष के हक में		वर्ष के विरूद्व	
		मात्रा (घ. मी. में)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (घ. मी. में)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (घ. मी. में)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (घ. मी. में)	मूल्य (रुपए में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
यमुनानगर	टिम्बर	1666	11540382	0	0	0	0	1666	11540382
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	425	816850	0	0	0	0	425	816850
	बालन (बुआईलर साईज)	621	1873557	0	0	0	0	621	1873557
	बालन (थिन साईज़)	940	658940	0	0	0	0	940	658940
हिसार	टिम्बर	6316	18304058	0	0	0	0	6316	18304058
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	0	0	0	0	0	0	0	0
	बालन (बुआईलर साईज)	1377	2316247	0	0	0	0	1377	2316247
	बालन (थिन साईज़)	379	202279	0	0	0	0	379	202279
कुरुक्षेत्र	टिम्बर	1202	6859814	0	0	0	0	1202	6859814
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	114	228798	0	0	0	0	114	228798
	बालन (बुआईलर साईज़)	121	191301	0	0	0	0	121	191301
	बालन (थिन साईज़)	164	121688	0	0	0	0	164	121688
करनाल	टिम्बर	4969	39702310	0	0	0	0	4969	39702310
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	515	2883111	0	0	0	0	515	2883111
	बालन (बुआईलर साईज़)	1618	671798	0	0	0	0	1618	671798
	बालन (थिन साईज़)	888	588744	0	0	0	0	888	588744
योग	टिम्बर	**14153**	**76406564**	0	0	0	0	**14153**	**76406564**
	पल्पवुड (केवल सफेदे से)	**1054**	**3928759**	0	0	0	0	**1054**	**3928759**
	बालन (बुआईलर साईज़)	**3737**	**5052903**	0	0	0	0	**3737**	**5052903**
	बालन (थिन साईज़)	**2371**	**1571651**	0	0	0	0	**2371**	**1571651**

नोटः– टिम्बर घन मीटर में, बालन व पल्पवुड स्टैक्ड घन मीटर में दर्शाया गया है।

वन फार्म संख्या **23**

वर्ष **2018-19** के दौरान निष्क्रिय व सक्रिय स्टॉक का मूल्य दर्शाते हुए विवरण पत्र

क. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में		वर्ष के अन्त में		मूल्य में अन्तर	
		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	वर्ष के हक में	वर्ष के विरुद्ध
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	मोरनी पिंजौर	123	9847033	262	**15888006**	7033539	992566
2	अम्बाला	525	3593969	644	**3776407**	981835	799397
3	यमुनानगर	4422	2520115	4568	**4435682**	2439533	523966
4	कुरुक्षेत्र	1838	2673611	2046	**4345599**	1939349	267361
5	कैथल	226	2859070	327	**4949230**	2376067	285907
6	उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला	937	608732	944	**606502**	58643	60873
7	रोहतक	1315	5815343	1429	**6766785**	1534209	582767
8	झज्जर	13283	17097831	13393	**17325178**	1937130	1709783
9	करनाल	1267	2114615	1385	**6147236**	4244082	211461
10	पानीपत	775	4763204	891	**6385414**	2101427	479217
11	सोनीपत	10539	17538690	10678	**18275518**	2490697	1753869
12	मध्य परिमण्डल, रोहतक	70	479153	75	**533686**	102448	47915
13	गुरुग्राम	2418	3591707	2074	**5329277**	2554793	817223
14	फरीदाबाद	947	4342258	1104	**4363425**	455392	434225
15	पलवल	1420	3350454	1484	**3791871**	776463	335046
16	मेवात नूह	1976	5843617	2032	**6621204**	1361948	584361
17	रेवाड़ी	998	1060749	1042	**1341105**	1532711	1252355
18	महेन्द्रगढ़	7594	9414431	7290	**10340993**	1889367	962805
19	दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम	1046	2056932	1057	**1995794**	144555	205693
20	भिवानी	3246	7670408	3263	**8402465**	1867029	1134972
21	हिसार	3634	7495707	3632	**9467637**	3323984	1352054
22	फतेहाबाद	4977	5076019	4978	**4796476**	7000	286543
23	सिरसा	10083	14074704	10347	**15554328**	2987517	1507893
24	जीन्द	43414	4683220	43440	**4509758**	478448	651910
25	पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	1056	1298544	1071	**2017704**	800305	81145

क. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में		वर्ष के अन्त में		मूल्य में अन्तर	
		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	वर्ष के हक में	वर्ष के विरुद्ध
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
26	मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा–II, गुरुग्राम	101	1077801	101	**970021**	0	107780
27	अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	690	4307125	719	**4371849**	495436	430712
28	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	553	3923522	589	**7341725**	4317827	899624
29	प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	596	4430197	621	**5429129**	1441952	443020
30	प्रशिक्षण मण्डल सोहना	2194	1601327	2100	**1254793**	0	346534
31	बीज मण्डल, पिंजौर	313	2246681	286	**2663485**	641472	224668
32	कार्य योजना परिमण्डल, गुरुग्राम	132	424579	127	**496084**	169186	97681
33	जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल, करनाल	76	447793	81	**426345**	23331	44779
34	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	79	682357	82	**1933373**	1319252	68236
35	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, करनाल	69	870067	72	**2162212**	1379152	87007
41	प्र.मु.व.सं. कार्यालय, पंचकूला	1914	44924136	1965	**47543823**	7112100	4492413
52	प्र.मु.व.सं. एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा (वन्य प्राणी विंग)	197	2231863	204	**2410209**	312257	133911
53	वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला	1214	5993343	1097	**5513924**	306492	785911
54	वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक	709	258171	728	**2780347**	2836694	314518
55	वन्य प्राणी मण्डल, हिसार	3717	6300198	3746	**6438288**	1288676	1150586
56	वन्य प्राणी मण्डल, गुरुग्राम	834	7788411	823	**12307782**	6157351	1637980
योग		**131517**	**227377687**	**132797**	**272010669**	**73219649**	**28586667**

भाग दो–अध्याय चार

राज्य में सरकारी जंगलों से कटाई/निकासी सम्बन्धी कार्य पूर्व वर्षों में दो संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था, एक उत्पादन परिमण्डल पंचकूला (विभागीय उत्पादन विंग) व दूसरा हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला। परन्तु वर्ष 2018–19 में सरकार द्वारा विभागीय उत्पादन विंग को हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला में विलय कर दिया गया । इसीलिए वर्ष 2018–19 से कटाई/निकासी सम्बन्धी कार्य केवल हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला द्वारा ही किया जा रहा है। यंत्रीकृत/मैकेनाईजड लोगिंग का कार्य हरियाणा में न के बराबर है राज्य का क्षेत्र मैदानी होने पर साधारण कटाई के तहत ही कार्य किये जा रहे हैं।

वर्ष 2006 से सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबन्ध के मध्यनजर हरियाणा वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा सरकारी जंगलों से प्रत्येक वर्ष गिरे पड़े व सूखे वृक्षों की कटाई को प्राथमिकता दी जाती रही है तथा आपातकालीन कटाई के तहत खड़े वृक्षों की कटाई भी करवाई जाती हैं। रुपांतरण (conversion) उपरान्त टिम्बर, बालन व पल्पवुड का उत्पादन खुली निलामी (open auctions) के तहत बेचा जाता है। इस प्रकिया के तहत राज्य में प्लाई उद्योग व अन्य लकड़ी सम्बन्धी उद्योग पनपने लगे है।

स्थाई आरा मशीन व कार्यशाला योजना

सरकारी वन क्षेत्रों में खड़े वृक्षों की कटाई के साथ–साथ जिला स्तर पर राजस्व बढ़ाने व व्यवसायिक स्तर बढ़ाने हेतु स्थाई आरा मशीनों तथा कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि कर सरकारी खजाने के लिए और अधिक धन राशि जुटाने हेतु आगामी वर्षों की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी विभागों के लिए फर्नीचर और अन्य लकड़ी के उत्पादों की आपूर्ति हेतु वन विभाग, हरियाणा को अनुमोदित स्रोत के रूप में घोषित किया जा चुका है व राज्य में अन्य प्रबंधनों हेतु भी अनुमोदित स्रोत उद्घोषित करवाने के प्रयास जारी है।

Revenue/ Income Generation:

उत्पादन मण्डलों द्वारा सरकारी वनों से वन उपज की निकासी उपरान्त प्राप्त वन उपज को खुली नीलामी में बेचा जाता है। पिछले पांच वर्षों में किया गया कुल खर्च तथा प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Abstract of Production Wing/Circle

वर्ष	निर्देशन तथा प्रशासन पर खर्च (रुपये करोड़ों में)	वर्कस पर खर्च (रुपये करोड़ों में)	कुल खर्च (रुपये करोड़ों में)	प्राप्त राजस्व (रुपये करोड़ों में)
2014–15	6.89	6.14	13.03	22.26
2015–16	7.40	13.22	20.62	37.76

2016—17	8.20	10.77	18.97	39.09
2017—18	9.88	11.75	21.63	25.07
2018—19	3.61	0.85	4.46	8.68
योग	**35.98**	**42.73**	**78.71**	**132.86**
%age	**46**	**54**	**100**	

<u>भाग दो–अध्याय पांच</u>

वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त राजस्व तथा व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा हैः–

फार्म संख्या–24

वर्ष 2018–19 में प्राप्त राजस्व का सारांश

(रुपये में)

क्र. सं.	उप शीर्ष	0406–वन	0435– भू–संरक्षण	योग
1.	मुख्य वन उपज	198473456	0	198473456
2.	लघु वन उपज	2010045	0	2010045
3.	पौधे बेचना	1719757	0	1719757
4.	अन्य राजस्व	37181920	0	37181920
5.	कम्पनसेट्री राजस्व	19452497	0	19452497
6.	कम्पनसैशन	1369175	0	1369175
	कुल प्राप्ति	**260206850**	**0**	**260206850**
7.	कटौती/ वापसी	131887	0	131887
	प्राप्त राजस्व	**260074963**	**0**	**260074963**
	वन्य प्राणी विंग			
8.	अन्य राजस्व	5988360	0	5988360
9.	कम्पनसैशन	0	0	0
	कुल प्राप्ति	**5988360**	**0**	**5988360**
	प्राप्त राजस्व	**266063323**	**0**	**266063323**

फार्म संख्या–24 ए

वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष 2406 वन के अधीन व्यय का सारांश

क्र. सं.	उप शीर्ष	प्लान (रुपये में)	योग (रुपये में)
1.	निर्देशन तथा प्रशासन	1368029621	1368029621
2.	शिक्षण तथा प्रशिक्षण	17463464	17463464
3.	वन संरक्षण तथा भू संरक्षण के अन्तर्गत पौधारोपण	115534610	115534610
4.	वन संसाधन सर्वेक्षण	6479687	6479687
5.	पौधारोपण	907185010	907185010
6.	वन उपज की निकासी	8444926	8444926
7.	संचार तथा भवन	60109958	60109958
8.	अन्य व्यय	7418276	7418276
9.	अन्य चार्जिज	2501998	2501998
योग (फोरेस्ट्री)		**2493167550**	**2493167550**
10.	वन्य प्राणी विंग निर्देशन तथा प्रशासन पर व्यय	143828000	143828000
11.	टोटल वर्क्स पर व्यय	73849000	73849000
	योग (वन्य प्राणी विंग)	217677000	217677000
	कुल योग (फोरेस्ट्री एवं वन्य प्राणी विंग)	**2710844550**	**2710844550**

फार्म संख्या 24–बी

वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष 2402 के अधीन व्यय का सांराश

क्र. सं.	उप शीर्ष	प्लान (रुपये में)	योग (रुपये में)
1.	निर्देशन तथा प्रशासन	195318564	195318564
2.	पौधारोपण	117802513	117802513
3.	अन्य	490873	490873
योग		**313611950**	**313611950**

व्यय

विवरण	2406–वन		2402	योग (रुपये में)
	वन्य प्राणी विंग (रुपये में)	फौरेस्ट्री विंग (रुपये में)	भूमि संरक्षण (रुपये में)	
प्लान	217677000	2493167550	313611950	**3024456500**
योग	217677000	2493167550	313611950	**3024456500**

पिछले पांच वर्षो का आय तथा व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा है :–

वर्ष	आय (रुपये में)	व्यय (रुपये में)		
		नान प्लान	प्लान	कुल
2013–14 (फौरेस्ट्री)	355656876	916299787	1554867090	**2471166877**
2013–14 (वन्य प्राणी विंग)	3465206	65313172	65743308	**131056480**
योग 2013–14	**359122082**	**981612959**	**1620610398**	**2602223357**
2014–15 (फौरेस्ट्री)	387301520	1163215869	1834811447	**2998027316**
2014–15 (वन्य प्राणी विंग)	3825361	74745000	71842000	**146587000**
योग 2014–15	**391126881**	**1237960869**	**1906653447**	**3144614316**
2015–16 (फौरेस्ट्री)	518928707	1214064199	1884159349	**3098223548**
2015–16 (वन्य प्राणी विंग)	3931682	78096795	85351248	**163448043**
योग 2015–16	**522860389**	**1292160994**	**1969510597**	**3261671591**
2016–17 (फौरेस्ट्री)	556686157	1328511371	1370930268	**2699441639**
2016–17 (वन्य प्राणी विंग)	6008414	100690362	85276527	**185966889**
योग 2016–17	**562694571**	**1429201733**	**1456206795**	**2885408528**
2017–18 (फौरेस्ट्री)	320183681	0	2935321056	**2935321056**
2017–18 (वन्य प्राणी विंग)	5403840	0	211803485	**211803485**
योग 2017.18	**325587521**	**0**	**3147124541**	**3147124541**
2018–19 (फौरेस्ट्री)	260074963	0	2806779500	**2806779500**
2018–19 (वन्य प्राणी विंग)	5988360	0	217677000	**217677000**
योग 2018–19	**266063323**	**0**	**3024456500**	**3024456500**

विभागीय वन फार्म संख्या 26 में कार्यालय वाईज़ प्राप्त राजस्व तथा बकाया राजस्व का विवरण दर्शाया गया है एवं वन फार्म संख्या 27 में ठेकेदारों तथा वितरकों के सम्बन्ध में बकाया और देयताएं दर्शाई गई हैं।

कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में बकाया राजस्व	वर्ष के दौरान बिक्री और अन्य राजस्व का मूल्य	जोड़	वर्ष के दौरान राजस्व की वसूली	वर्ष के अन्त में राजस्व की देय बकाया
वन फार्म सख्या - 26					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
मोरनी–पिंजौर	379151	1992031	**2371182**	1795031	**576151**
यमुनानगर	0	19752273	**19752273**	19752273	**0**
अम्बाला	0	5703949	**5703949**	5703949	**0**
कुरुक्षेत्र	0	4602195	**4602195**	4602195	**0**
कैथल	0	17587039	**17587039**	17587039	**0**
उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला	0	0	**0**	0	**0**
रोहतक	4300	4860989	**4865289**	4860989	**4300**
झज्जर	64260	3766157	**3830417**	3766157	**64260**
सोनीपत	343025	2344394	**2687419**	2344394	**343025**
पानीपत	0	4200343	**4200343**	4200343	**0**
करनाल	25830	21469335	**21495165**	21469335	**25830**
मध्य परिमण्डल, रोहतक	0	31531	**31531**	31531	**0**
गुरुग्राम	32582	1112359	**1144941**	1112359	**32582**
फरीदाबाद	153473	948674	**1102147**	948674	**153473**
महेन्द्रगढ़	598527	1396986	**1995513**	1396986	**598527**
रेवाड़ी	146422	7861620	**8008042**	7861620	**146422**
पलवल	0	492312	**492312**	492312	**0**
मेवात नूंह	247751	1176903	**1424654**	1176903	**247751**
दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम	0	0	**0**	0	**0**
हिसार	235026	15256735	**15491761**	15256685	**235076**
फतेहाबाद	507259	1130265	**1637524**	1130265	**507259**
भिवानी	363200	5163069	**5526269**	5163069	**363200**
सिरसा	867600	38728989	**39596589**	38042571	**1554018**
जीन्द	196970	9751961	**9948931**	9751961	**196970**
पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	0	36769	**36769**	36769	**0**
अनुसंधान परिमण्डल, पिंजौर	0	14628	**14628**	14628	**0**
अनुसंधान मण्डल, पिंजौर	0	2666750	**2666750**	2666750	**0**
बीज मण्डल, पिंजौर	0	35216	**35216**	35216	**0**
प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	0	0	**0**	0	**0**
प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	0	55350	**55350**	55350	**0**

	प्रशिक्षण मण्डल, सोहना	0	30150	**30150**	30150	**0**
	कार्य योजना परिमण्डल, गुरुग्राम	0	0	**0**	0	**0**
	प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला	0	376586	**376586**	376586	**0**
	जांच एवं मूल्यांकन, परिमण्डल करनाल	0	2700	**2700**	2700	**0**
	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, करनाल	0	0	**0**	0	**0**
	जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार	0	22304	**22304**	22304	**0**
	उत्पादन मण्डल, कुरुक्षेत्र	8066280	1130657	**9196937**	9196937	**0**
	उत्पादन मण्डल, करनाल	40175930	5306718	**45482648**	45482648	**0**
	उत्पादन मण्डल, यमुनानगर	6940151	3581208	**10521359**	10521359	**0**
	उत्पादन मण्डल, हिसार	17708945	3859551	**21568496**	21568496	**0**
	उत्पादन परिमण्डल, करनाल	0	459	**459**	459	**0**
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला	0	1617970	**1617970**	1617970	**0**
	ईको टूरिज्म, मण्डल पंचकूला		0	**0**	0	**0**
	योग	**77056682**	**188067125**	**265123807**	**260074963**	**5048844**
	अति. प्र.मु.व.सं. वन्य प्राणी वार्डन, पंचकूला	0	159362	**159362**	159362	**0**
	वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला	0	2180578	**2180578**	2180578	**0**
	वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक	0	1760135	**1760135**	1760135	**0**
	वन्य प्राणी मण्डल, हिसार	0	1086534	**1086534**	1086534	**0**
	वन्य प्राणी मण्डल, गुरुग्राम	0	801751	**801751**	801751	**0**
	योग	0	**5988360**	**5988360**	**5988360**	**0**
	कुल योग	**77056682**	**194055485**	**271112167**	**266063323**	**5048844**

वन फार्म संख्या 27

ठेकेदारों तथा वितरकों के सम्बन्ध में बकाया और देयताएं वर्ष 2018-19

(रुपये में)

कार्यालय का नाम	विभागीय देनदार			विभागीय लेनदार			देय बकाया	
	अवशेष	नकद वसूलियां और वर्ष के दौरान किए गए कार्य का मूल्य	जोड़	अवशेष	विभागीय लेनदार वर्ष के दौरान की गई अदायगी	जोड़	विभाग का	विभाग द्वारा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
मोरनी–पिंजौर		331583041	**331583041**	0	331583041	**331583041**	**0**	
यमुनानगर		240157715	**240157715**	0	240157715	**240157715**	**0**	
अम्बाला		248038923	**248038923**	0	248038923	**248038923**	**0**	
कुरुक्षेत्र		46530864	**46530864**	0	46530864	**46530864**	**0**	
कैथल		121727798	**121727798**	0	121727798	**121727798**	**0**	
उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
रोहतक		500000	**500000**	0	500000	**500000**	**0**	
झज्जर		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
सोनीपत		44786093	**44786093**	0	44786093	**44786093**	**0**	
पानीपत		96947983	**96947983**	0	96947983	**96947983**	**0**	
करनाल		64316312	**64316312**	0	64316312	**64316312**	**0**	
मध्य परिमण्डल, रोहतक		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
गुरुग्राम		53404336	**53404336**	19	53404336	**53404355**	**19**	
फरीदाबाद		58719653	**58719653**	0	58719653	**58719653**	**0**	
पलवल		15443438	**15443438**	0	15443438	**15443438**	**0**	
नूंह		129362564	**129362564**	139	129362564	**129362703**	**139**	
महेन्द्रगढ़		107962016	**107962016**	0	107962016	**107962016**	**0**	
रेवाड़ी		27474263	**27474263**	59949	27474263	**27534212**	**59949**	
दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
हिसार		53080716	**53080716**	0	53080716	**53080716**	**0**	
फतेहाबाद		95525673	**95525673**	35	95525673	**95525708**	**35**	
भिवानी		215842827	**215842827**	0	215842827	**215842827**	**0**	
सिरसा		93149431	**93149431**	28	93149403	**93149431**	**0**	
जीन्द		72395937	**72395937**	0	72395937	**72395937**	**0**	
पश्चिमी परिमण्डल, हिसार		0	**0**	0	0	**0**	**0**	

कार्यालय का नाम	विभागीय देनदार			विभागीय लेनदार			देय बकाया	
	अवशेष	नकद वसूलियां और वर्ष के दौरान किए गए कार्य का मूल्य	जोड़	अवशेष	विभागीय लेनदार वर्ष के दौरान की गई अदायगी	जोड़	विभाग का	विभाग द्वारा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
प्रशिक्षण मण्डल सोहना			**0**	0		**0**	**0**	
कार्य योजना परिमण्डल, गुरुग्राम		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
अनुसंधान मण्डल, पिंजौर		55773330	**55773330**	0	55773330	**55773330**	**0**	
बीज मण्डल, पिंजौर		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
प्रचार एवं शिक्षा परिमण्डल, पंचकूला		24815567	**24815567**	226	24815341	**24815567**	**0**	
जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, हिसार		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
जांच एवं मूल्यांकन मण्डल, करनाल		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल		0	**0**	0	0	**0**	**0**	
अति. प्र.मु.वन्य प्राणी वार्डन		18433093	**18433093**	0	18433093	**18433093**	**0**	
वन्य प्राणी मण्डल, पंचकूला		70886095	**70886095**	0	70886095	**70886095**	**0**	
वन्य प्राणी मण्डल, रोहतक		41609069	**41609069**	0	41609069	**41609069**	**0**	
वन्य प्राणी मण्डल, हिसार		46500436	**46500436**	0	46500436	**46500436**	**0**	
वन्य प्राणी मण्डल, गुरुग्राम		40249863	**40249863**	0	40249863	**40249863**	**0**	

भाग दो – अध्याय छः

हरियाणा राज्य में अनुसंधान परिमण्डल द्वारा राज्य में भिन्न–भिन्न स्थानों पर अनुसंधान कार्य किए जा रहे है। सफल तकनीकों पर आधारित नर्सरियों में पौधे तैयार कर भौगोलिक परिस्थिति अनुसार जिलावार वितरित किये जा रहे हैं। अन्य राज्यों के सफल अनुसंधानों का लाभ भी उठाया जा रहा है ताकि पौधारोपण को और अधिक सफल एवं उत्पादक बनाया जा सके। अनुसंधान परिमण्डल, पिंजौर द्वारा जारी अनुसंधानों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. *Sesbania rostrata* (Dhanchha) में नाइट्रोजन निर्धारण की मात्रा (Study of Nitrogen fixation in *Sensbania rostrata* (Dhanchha):

Sesbania rostrata जीनस Sesbania में एक छोटा–जलीय फलीदार पेड़ है। यह Gram-negative rhizobia के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता हैं जो तना और जड़ों दोनों पर नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडयूल के गठन की ओर जाता है। यह मुख्य रूप से हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि इसकी तेजी से वृद्धि उच्च बायोमास उत्पादन और पौधों के लिए प्रयोग करने योग्य वायुमण्डीय नाईट्रोजन को बड़ी मात्रा में परिवर्तित करने की क्षमता के कारण मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सके। अन्य अनुप्रयोगों में पशुधन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारे का उत्पादन शामिल है और यह ईंधन–लकड़ी का एक स्त्रोत है।

Sesbania rostrata एक woody, सीधा, मजबूत, वार्षिक या अल्पकालिक बारहमासी पेड़ है जो लगभग एक से तीन मीटर लम्बा है। तना नरम बाल के साथ ढका हुआ है और 15 मिमी मोटा होता है। पत्तियां 7 से 25 से. मी. लम्बी होती है और 12 से 22 जोड़ें पर्णकुटी होती है रेसम्स में एक राचिस पर 3 से 15 फूल होते है, और फूल पीले होते है। फली 15 से 22 से.मी. लम्बी होती है, और बीज छोटे, उप–बेलनाकार, और हल्के से गहरे भूरे रंग के होते है। संयंत्र न केवल जड़ों पर, बल्कि हवाई भागों पर भी वायुमण्डलीय नाईट्रोजन को ठीक करने के लिए जाना जाता है।

2. नर्सरियों में केंचुआ खादः

केंचुआ खाद नर्सरी खाद व वृक्षारोपण में बहुत उपयोगी है। चूंकि राज्य भर में एफ.वाई.एम. की उपलब्धता बहुत कम है विभाग की क्षेत्रीय और अन्य नर्सरी में उपयोग करने के लिए केंचुआ खाद की आवश्यकता महसूस की गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन अपने अनुसंधान और बीज विंगो को देने का काम शुरू कर दिया है क्योंकि क्षेत्रीय विंग पर सुरक्षा, योजना, मिट्टी संरक्षण आदि महत्वपूर्ण कार्यों का बोझ है इसे मध्यनजर रखते हुए वर्ष 2018–19 के दौरान अनुसंधान मण्डल के अधीन नर्सरियों में कुल 14 केंचुआ खाद गड्डो का निर्माण करवाया गया।

3. लुप्तप्राय प्रजातियों के गुणवत्ता वाले पौधों की स्थापना (Raising of Quality plants of Endangered species):

स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पौधों और जानवरों की प्रजातियों पर उनकी नींव के रूप में निर्भर करता है जब तक एक प्रजाति संकटग्रस्त हो जाती है, जो यह संकेत है कि पारिस्थिकीय तंत्र धीरे–धीरे गिर रहा है।

प्रत्येक प्रजाति जो अंतिम रूप से अपने पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर अन्य प्रजातियों के नुकसान को सक्रीय करती है।

जब वन प्रबंधन की बात करते हैं, तो हम केवल पेड़ों की बात करते हैं यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल है: वन क्या हैं? क्या वन पेड़ों का पर्यायवाची है? हालांकि, इसका उत्तर दूसरे प्रश्न में प्रतीत होता है, जब यह भारत में व्यावहारिक या वर्तमान के वानिकी की बात आती है विभिन्न अनुमानों के अनुसार भारत में वृक्ष प्रजातियों की संख्या 4000 से 4500 तक है भारत में सभी वन प्रबन्धन (स्वास्थ्य सहित) प्रथाएं इन चार हजार पेड़ों के आस–पास घूमती हैं पेड़ों की इन सीमा के भीतर भी, LKTS नामक कुछ है। LKTS का अर्थ Less Known Tree Species है। वन प्रबन्धन के सम्बन्ध में वन विभाग की गतिविधि उन पेड़ों को लगाना है जो उच्च सफलता सुनिश्चित करते हैं हम इस तथ्य को भूल जाते है कि वन्य जीव भी निवास स्थान या वन स्वास्थ्य प्रबन्धन का हिस्सा है। Algae, mosses, hornworts, bryophytes, pterideophytes उभयचर, मछलियां, पक्षी और सरीसृप एजेंडे के मुख्य भाग पर नहीं हैं। हमें यह समझना होगा कि वन प्रबन्धन के उद्देश्य राजस्व व सृजन से पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण में जाना चाहिए और उच्च उपज वाली, छोटी आवर्तन वाली वानिकी फसलों की खेती करके कृषि भूमि पर कृषि आधारित हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करके लकड़ी की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में *Salvadora Oleoides & Tecomella undulata* अनुसंधान रेंज के अन्तर्गत अनुसंधान क्षेत्र में पौधारोपण किया गया।

4. **रेतीली मिट्टी में सड़क के किनारे *Acacia albida* का रोपण (Raising of *acacia albida* plantation alongside roads sides in sandy soils):**

पश्चिमी हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि आधारित बागानों के लिए उपयुक्त प्रजातियों की उपयुक्ता अभी भी एक समस्या है । इन क्षेत्रों में उपयुक्त प्रजातियों की शुरूआत के लिए किये गए प्रयास अब तक सफल नहीं हुए हैं। झुम्पा आर.एफ. में पिछले 10 वर्षों के *Acacia albida* के अनुसंधान डेटा आशाजनक प्रतीत होते है । यह अफ्रीका व मध्य पूर्व के फेदेरबिया मूल की प्रजातियां है । प्रजाति का नाम एकेशिया अल्बेडा से फेदेरबिया अल्बेडा में बदल दिया गया हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान हिसार राजगढ़ रोड पर कई पंक्तियों में एकेशिया अल्बेडा का लगभग 4 है0 वृक्षारोपण किया गया। उक्त अनुसंधान का डाटा नियमित रूप से दर्ज किया जा रहा है। अब तक सफलता लगभग 85 प्रतिशत है।

5. **हरियाणा में नए पोपलर के क्लोनों का परीक्षण (Trial of new poplar clones in Haryana):**

पोपुलर को हरियाणा में पहली बार 1975 में छछरौली में लाया गया था। अब *Populus deltoids* ने उत्तरी व मध्य हरियाणा में कृषि वानिकी में काफी महत्त्व प्राप्त किया है पोपलर की प्रमुख गतिविधि यमुनानदी और उसके आस–पास के बेसिन को यमुनानगर से शुरू होती हुई अंबाला, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल और पानीपत तक दिखाई देती है। हरियाणा पोपुलर की लकड़ी के उपयोग में अग्रणी राज्य है। इसमें अधिकतम संख्या में पोपुलर की लकड़ी आधारित उद्योग है नीचे दिए गए 15000 पोपुलर के क्लोन कटिंग को सेखुपुरा

नर्सरी में परीक्षण के लिए लगाया गया है क्लोन का नाम : WIMCO110, WIMCO 81, WIMCO108, WIMCO109, PP 4 & 5.

- लाख कटिंगस प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018–19 में WIMCO क्लोन नं. 81, 83, 109 और 110 के 15,600 पौधे लगाए गए।
- नर्सरी स्टेज विश्लेषण से पता चलता है कि क्लोन नं. 81 और 83 सभी वांछिनीय लक्ष्णों के संदर्भ में आशाजनक है। क्लोन नं. 109 और 110 ने 6 माह उपरान्त हमारी परिस्थितियों में बहुत अच्छा प्रर्दशन नहीं किया है।
- जनवरी माह में दर्ज औसत पौधे की ऊंचाई और परिधि क्रमशः 20 फीट और 17 से.मी. से अधिक पाई गई ।
- क्लोन नं. 81 की अधिकतम औसत ऊचाई 25 फीट पाई गई तथा औसत न्यूनतम ऊंचाई 18 फीट क्लोन नं. 110 की दर्ज की गई ।
- क्लोन नं. 81 की अधिकतम औसत लपेट 11 से.मी. दर्ज की गई तथा औसत न्यूनतम लपेट 8 से.मी. क्लोन नं. 110 की दर्ज की गई।

6. टाल प्लांटस के पौधों को बढ़ाने के लिए नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण standaradization of nursery techniques for raising of tall plants):

खेत में लगाए गए लम्बे पौधे भी तुरंत हरियाली और अच्छे परिणाम देते हैं। कुछ वानिकी प्रजातियों को बढ़ाने की तकनीक उपलब्ध है, लेकिन यह केवल लकड़ी की प्रजातियों तक ही सीमित है। नर्सरी में लम्बे पौधों को उगाने के लिए नर्सरी तकनीक के मानकीकरण की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र में सफल पौधारोपण किया जा सके। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में *Dalbergia sissoo, Ficus virens, Terminalia bellirica, Chuckrassia tabularis, Terminalia arjuna & Syzygiun* के टी.पी. को बढ़ाने के लिए नर्सरी तकनीकों मानकीकरण पर अध्ययन प्रगति पर है और वर्तमान में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अध्ययन में पिंजौर, सेखुपुरा, बिठमड़ा और सोहना में ड्रिप एण्ड फल्ड सिंचाई, स्प्रिंकलर और रोज़ कैन वाटरिंग और विभिन्न मात्रा में एफ.वाई.एम. आदि का उपयोग किया जा रहा है।

7. एवेन्यू वृक्षारोपण के लिए कुशल जल अनुप्रयोग तकनीक विकसित करने का मूल्यांकन (Evaluation of developing efficient water application technique for avenue plantation):-

पानी एक सीमित संसाधन है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के मध्यनजर इस संसाधन की उपलब्धता प्रभावित होने वाली है। पौधों की वृद्वि के विभिन्न चरणों में किस विधि से पानी का उपयोग किया जाता है इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसमें rose cane छिड़काव पानी और बाढ़ का उपयोग शामिल है। व्यावहारिक दृष्टिकोण सैंधान्तिक से अलग है। 5 साल के लिए खेत में पानी आवश्यकता के मानकीकरण के अलावा वृक्षारोपण में पानी देने की विभिन्न तकनीक आजमा रही होगी। उप सतही सिंचाई की भी कोशिश की जाएगी। उप सतही सिंचाई के उपयोग से 80 प्रतिशत तक पानी की आवश्यकता होगी। यह प्रयोग अनुसंधान नर्सरी बिठमड़ा और सेखुपुरा में पी.एफ. में किया जा रहा है। इसमें ड्रिप ईरीगेशन, स्प्रिंकलर और वाटर पोट विधि जैसी चार तकनीकों को अपनाया गया है । सेखुपुरा में फल्ड ईरीगेशन और वाटर पोट विधि ने सामान परिणाम दिखाए हैं जबकि ड्रिप ईरीगेशन विधि ने अच्छे परिणाम नहीं दिए है। पौधों ने आठ फीट और उससे

अधिक की ऊंचाई प्राप्त की। इसके अतिरिक्त अनुसंधान नर्सरी बिठमड़ा में छिड़काव सिंचाई प्रणाली में अच्छे परिणाम आए हैं।

8. **हाईड्रोजैल तकनीक का उपयोग करके चयनित प्रजातियों के टाल प्लांटस के पौधों का उगाना** (raising of tall plants of selected species using hydrogel technology):

हाईड्रोजैल तकनीक के इस्तेमाल के अध्ययन में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए । क्योंकि प्रत्येक टाल प्लांट कन्टेनर में प्रति पौधा 50 ग्राम हाईड्रोजन के उपयोग के परिणामस्वरूप कन्टेनर टूट गए । हाईड्रोजैल तकनीक का उपयोग करके स्यौंठी, बिठमड़ा और घामरोज में 15,000 पौधे लगाए गए। उक्त अध्ययन को पुनः हाईड्रोजैल की कम मात्रा के साथ करने की आवश्यकता है।

भाग दो–अध्याय सात

वर्ष 2018-19 के दौरान वन विभाग हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय स्तर पर निम्नांकित अधिकारी वर्णित निम्न पदों पर कार्यरत रहेः–

विभागाध्यक्ष		
पद	अधिकारी का नाम	अवधि
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला	श्री एस0एम0 सोमाशेखर, भा.व.से.	01.04.2018 से 30.06.2018 तक
	डॉ0 अनिल कुमार हुड्डा, भा.व.से.	04.07.2018 से 31.03.2019 तक

वन विभाग हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय स्तर पर कार्यरत रहे अन्य अधिकारीगण			
क. सं.	पद	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक–कम–मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा, पंचकूला।	डॉ0 अनिल कुमार हुड्डा, भा.व.से.	01.04.2018 से 04.07.2018 तक
		श्री सत्यभान, भा.व.से.	05.07.2018 से 31.10.2018 तक
		डॉ0 अनिल कुमार हुड्डा, भा.व.से. (अतिरिक्त चार्ज)	15.11.2018 से 25.11.2018 तक
		श्री वी. एस. तंवर, भा.व.से.	26.11.2018 से 31.03.2019 तक
2.	अति. प्र.मु.व.सं., (प्रशासन), हरियाणा, पंचकूला	श्री विनोद कुमार, भा.व.से.	07.05.2018 से 31.08.2018 तक
		डॉ0 वी.एस. तंवर, भा.व.से. (अतिरिक्त चार्ज)	31.08.2018 से 26.11.2018 तक
		श्री विनोद कुमार, भा.व.से.	26.11.2018 से 31.03.2019 तक
3.	अति. प्र.मु.व.सं., हरियाणा, (फौरेस्ट्री विंग)	श्री आलोक वर्मा, भा.व.से.	02.05.2018 से 31.03.2019 तक
4.	अति. प्र.मु.व.सं., हरियाणा, (एफ0सी0ए0 एण्ड कैम्पा)	श्री विनीत गर्ग, भा.व.से.	02.05.2018 से 31.03.2019 तक
5.	अति. प्र.मु.व.सं., (विकास) हरियाणा, पंचकूला	श्री जगदीश चन्द्र, भा.व.से.	01.04.2018 से 27.11.2018 तक
		श्री विनोद कुमार, भा.व.से.	28.11.2018 से 31.03.2019 तक
6.	अति. प्र.मु.व.सं., हरियाणा, (बजट व प्लांनिग) पंचकूला	श्री वी.एस. तंवर, भा.व.से.	02.05.2018 से 28.11.2018 तक
		श्री विनीत गर्ग, (अतिरिक्त चार्ज) भा.व.से.	28.11.2018 से 31.03.2019 तक
7.	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), हरियाणा, पंचकूला।	श्री विनीत गर्ग, भा.व.से.	01.04.2018 से 06.05.2018 तक
9.	मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–I, हरियाणा, पंचकूला।	श्री वी. एस. तंवर, भा.व.से.	01.04.2018 से 07.05.2018 तक
		श्री के. सी. मीणा, भा.व.से.	07.05.2018 से 31.03.2019 तक
10.	मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, हरियाणा, पंचकूला।	श्री जी. रमन, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
11.	वन संरक्षक, वन्य प्राणी, हरियाणा, पंचकूला।	श्री एम. एल. राजवंशी, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
12.	वन संरक्षक, एम. आई. एस. तथा प्लांनिग, हरियाणा, पंचकूला।	श्री टी.पी. सिंह, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक

13.	वन संरक्षक मुख्यालय, हरियाणा, पंचकूला।	श्री शिवा कुमार, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
14.	वन संरक्षक, प्रचार एवं शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।	श्री एम. पी0 शर्मा, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.07.2018 तक
		श्री अतुल सिरसीकर, भा.व.से.	08.08.2018 से 31.03.2019 तक
15.	उप वन संरक्षक, मुख्यालय वन्य प्राणी	श्री आर. आनन्द, भा.व.से.	01.04.2018 से 24.08.2018 तक
16.	राज्य जन सूचना अधिकारी (मुख्यालय)	श्री ओ.पी. काजला, ह.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
17.	उप वन संरक्षक, कानून मुख्यालय	श्री राजेश राणा, ह.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
18.	वन मण्डल अधिकारी मुख्यालय	श्री जगमोहन शर्मा, ह.व.से.	01.04.2018 से 12.09.2018 तक
		श्री अजय पाल, ह.व.से.	12.09.2018 से 08.03.2019 तक
		श्री पवन शर्मा, ह.व.से.	08.03.2019 से 31.03.2019 तक
19.	सहायक जिला न्यायवादी	श्री प्रतीक गुप्ता, एच.एस.पी.एस.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
		श्री प्रांशु चतुर्वेदी, एच.एस.पी.एस.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
		श्री गौरव यादव, एच.एस.पी.एस.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
20.	लेखा अधिकारी	श्री विशाल खरब	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
		श्री संजीव जैन	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
21.	स्थापना अधिकारी–I	श्रीमती शकुन्तला देवी	25.10.2018 से 31.03.2019 तक
	स्थापना अधिकारी– II	श्रीमती मीना शर्मा	16.11.2018 से 31.03.2019 तक
22.	अधीक्षक–I	श्री सुरेश कुमार	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
	अधीक्षक–II	श्री महावीर सिंह	01.04.2018 से 14.11.2018 तक

मुख्य वन संरक्षक व वन संरक्षक हरियाणा			
क. सं.	पद	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	मुख्य वन संरक्षक,सुरक्षा– II, गुरुग्राम	श्री सत्यभान, भा.व.से.	01.04.2018 से 09.05.2018 तक
		श्री विवेक सक्सेना, भा.व.से	09.05.2018 से 31.03.2019 तक
2.	वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला	श्री के. सी. मीणा, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
3.	वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक	श्री एम. एस. मलिक, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
4.	वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम	श्री डी. हैम्ब्रम, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
5.	वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	श्री घनश्याम शुक्ला, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
6.	वन संरक्षक, प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर	श्री अतुल सिरसीकर, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
7.	वन संरक्षक, कार्य योजना, गुरुग्राम	श्रीमती वास्वी त्यागी, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक

8.	वन संरक्षक, अनुसंधान, पिंजौर	श्री रामवीर, भा.व.से.	01.04.2018 से 28.02.2019 तक
		श्री टी.पी. सिंह, भा.व.से.	28.02.2019 से 31.03.2019 तक
9.	वन संरक्षक, जांच एवं मूल्यांकन, करनाल	श्री विनोद कुमार भाटिया, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
10.	वन संरक्षक, वन्य प्राणी, पंचकूला	श्री एम. एल. राजवंशी, भा.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक
11.	वन संरक्षक, वन्य प्राणी, गुरुग्राम	श्री विनोद कुमार, ह.व.से.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक

वर्ष के दौरान नियुक्ति, सेवा निवृति एवं मृत्यु का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहाः—

क. सं.	कार्यालय का नाम	नियुक्ति	सेवानिवृत्ति	मृत्यु
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, पंचकूला	3	6	0
2.	मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा—I, पंचकूला	0	0	0
3.	वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला	36	23	1
4.	वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक	81	29	4
5.	मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा—II, गुरुग्राम	0	1	0
6.	वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम	26	26	0
7.	वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	18	18	9
8.	वन संरक्षक, जांच एवं मूल्यांकन, करनाल	5	6	0
9.	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास परिमण्डल, पंचकूला	0	0	0
10.	वन संरक्षक, ट्रेनिंग, पिंजौर	0	0	0
11.	वन संरक्षक, अनुसंधान, पिंजौर	8	7	2
12.	वन संरक्षक, प्रचार एवं शिक्षा, पंचकूला	0	0	0
13.	वन संरक्षक, कार्य योजना, गुरुग्राम	2	2	0
14.	वन्य प्राणी विंग	0	7	2
योग		**179**	**125**	**18**

प्रशिक्षण

किसी भी विभाग के कार्यक्रम व नीतियों की सफलता के लिए संसाधनों का विकास करना अति आवश्यक है। वन विभाग के दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं। एक वन प्रशिक्षण केन्द्र पिंजौर में तथा दूसरा राष्ट्रीय संसाधन प्रबन्धन केन्द्र सोहना, जिला गुरुग्राम में स्थित है। इन केन्द्रों पर वन रक्षकों को 5 मास का कोर्स, फौरेस्टरों व उप वन राजिकों को 11 मास का कोर्स वन तथा वन्य प्राणियों के सम्बन्ध में करवाया जाता है। प्रशिक्षण परिमण्डल, पिंजौर द्वारा वर्ष 2018-19 में पिंजौर तथा एन.आर.एम.सी., सोहना में निम्नलिखित नियमित व वन रक्षक प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए गएः—

कोर्स का प्रकार	प्रशिक्षण केन्द्र	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षित स्टाफ का रैंक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
नियमित कोर्स	वन प्रशिक्षण मण्डल, पिंजौर	वन दरोगा प्रशिक्षण कोर्स 2018-19	0	वन दरोगा	0
	एन. आर. एम. सी., सोहना	वन रक्षक प्रशिक्षण कोर्स 2018	0	वन रक्षक	0

उपरोक्त के अतिरिक्त इस परिमण्डल के अंतर्गत पिंजौर वन परिसर में स्थित परिमण्डल कार्यालय भवन, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान का शैक्षणिक भवन तथा वन दरोगा व वन रक्षक छात्रावास एवं सम्बन्धित भवन तथा एन.आर.एम.सी., सोहना में स्थित शैक्षणिक भवन, विश्राम गृह, अधिकारी हॉस्टल तथा दो प्रशिक्षणार्थी छात्रावास आते हैं।

Officers Training: The details of officers training during the year remained as under:-

Sr. No.	Name of Officer	Name of Training and Place	Duration
1.	Sh. D.Hembram, IFS	One week compulsory Training course on "Public Private Partnership" at Administrative Training Institute (ATI) Kolkata	21.05.2018 to 05.05.2018
2.	Dr. Vivek Saxena, IFS	Basic & Intermediate under incident Response System (IRS) at National Institute of Disaster Management, New Delhi	21.05.2018 to 25.05.2018
3.	Sh. Jitender Ahlawat, IFS	One week Training course on "Eco Tourism Assessment and Development" at Jungle Lodges and Resort Ltd. Banglore.	04.06.2018 to 08.06.2018
4.	Smt. Vasvi Tyagi, IFS	Participation in Phase-II (4th) Mid Career Training (MCT) Programme for IFS officers at IGNFA, Dehradun	09.07.2018 to 04.08.2018
5.	Sh. T.P. Singh, IFS	One week Refresher Training Course on "The Art of Interacting with Print and Electronic Media" at Management Development Centre (MDC) at Xavier Institute of Management, Xavier Square Bhubneshwar.	06.08.2018 to 10.08.2018
6.	Sh. Jitender Ahlawat, IFS	Phase- I (3) Mid Career Training (MCT) programme scheduled at IGNFA Dehradun	10.09.2018 to 06.10.2018
7.	Sh. Vineet Garg, IFS	One week compulsory training course on "Emotional Intelligence for efficient, effective and sensitive forest administration" at Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai	08.10.2018 to 12.10.2018
8.	Smt. Renu Bala, IFS	One week compulsory training course on "Communication and Presentation Skills" at Goa Institute of Training & Studies (GITS), Goa	08.10.2018 to 12.10.2018
9.	Sh. Rambir Singh, IFS Sh. Hairatjit Kaur, IFS	One week Refresher Training Course on "Reorganizing of Forest Cooperation and Improving their management through Right Sizing and Taking new activities on PPP Basic" at Indian Institute Forest management (IIFM), Bhopal	10.09.2018 to 14.09.2018

10.	Sh. Ram Bir Singh, IFS Sh. Atul Sirsikar, IFS	One week Residential Training Programme at Art of Living International Centre, 21st KM, Kanak Pura Road, Udaipura Banglore.	22.10.2018 to 26.10.2018
11.	Smt. Renu Bala, IFS	Three days training on Unified Meritime Approach to National Opportunities and Challenges at MOD, NAVY Mumbai	30.10.2018 to 01.11.2018
12.	Sh. Suresh Dalal, IFS Sh. Jagdish Chander, IFS Sh. Vinod Kumar, IFS	Training Course to be organized by Forest Officer by Forest Survey of India, Dehradun	29.10.2018 to 30.10.2018
13.	Sh. Rajeev Tejyan, IFS	Three days training on Food and Energy Security at DOPT IIPA, New Delhi	03.12.2018 to 05.12.2018
14.	Sh. Vinod Kumar, IFS	One week compulsory Training Course on "Emerging Trends in Water Conservation and Rain water Harvesting" at Regional Centre, National Afforestation & Eco Development Board (RCNAEB), University Kolkata	03.12.2018 to 07.12.2018
15.	Sh. G. Raman, IFS	One week compulsory Training Course on "Bamboo Resource Development for addressing Livelihood Concerns of Communities" at Rain Forest Research Institute (RFRI) Jorhat	12.11.2018 to 16.11.2018
16.	Sh. M.L. Rajvanshi, IFS	One week compulsory Training Course on "Voluntary Resettlement of Village for Tiger Reserve scheduled" at Wildlife Conservation Society, Bengaluru	12.11.2018 to 16.11.2018
17.	Sh. Ghanshyam Shukla, IFS	One week compulsory Training Course on "IIlegal Trade in Wildlife and role of Wildlife forensics in dealing wildlife crime" at Port Bair	03.12.2018 to 07.12.2018
18.	Sh. Jagdish Chander, IFS Sh. Suresh Dalal, IFS	One week Residential Training Programme at Art of Living International Centre, 21st KM, Kanak Pura Road, Udaipura Banglore.	28.01.2019 to 01.02.2019
19.	Smt. Hairatjeet Kaur, IFS	Three days training on a) Civil Military Interface to tackle threat of terrorist attacks top military installation and infrastructure b)Unified intelligence at MD-AIR Force, CAW, Hyderabad	12.02.2019 to 14.02.2019
20.	Sh. Shiv Singh, DWLO Sh. Shyam Sunder, DWLO Sh. Rajiv Garg, IWL	State Forest Officers/ACF and New Appointed for wildlife Management Six Day Training and workshop at Central Academy State Forest Service, Dehradun	27.08.2018 to 01.09.2018
21.	Sh. Jagdish Chander, IFS Sh. Pankaj Goel, IFS Sh. Shiva Kumar, IFS	One week compulsory Training Course on "Management of coastal an marine Biodiversity in India: Challenges and Prospect" at Port Blair	04.02.2019 to 08.02.2019
22.	Sh. Atul Sirsikar, IFS Smt. Renu Bala, IFS Sh. Niraj, IFS	One week compulsory Training Course on "Wildlife Habitats and Management" at Kanha Tiger Reserve, Mandala Madhya Pardesh	04.02.2019 to 08.02.2019
23.	Sh. Vinod Kumar, IFS Sh. Vivek Saxena, IFS Sh. K.C.Meena, IFS	Participation in Phase-III of the Mid Career Training (MCT) programme at IGNFA at Dehradun	04.02.2019 to 16.02.2019
24.	Sh. Neeraj, IFS Sh. Raj Kumar, IFS	Participation in three days course on "Negotiation Skills" at Sardar Vallabhbhai	20.02.2019 to 22.02.2019

		National Police Academy, Hyderabad	
25.	Ms. Nivedita B., IFS	Three days training on a) Civil Military interface to tackle threat of terrorist attacks to Military Installation and infrastructure B) Unified intelligence at MD-AIR Force CAW, Hyderabad	12.02.2019 to 14.02.2019
26.	Sh. Ajay Pal, HFS	State Forest Officers/ACF and New Appointed for Legal Issues in Forestry and Wildlife Six Day training and workshop at Central Academy State Forest Service, Dehradun	10.09.2018 to 15.09.2018
27.	Sh. Suraj Bhan, HFS Sh. Pawan Sharma, HFS Sh. Virender Singh Gill, HFS	Training Course to be organized by Forest Officer by Forest Survey of India, Dehradun	12.112018 to 14.11.2018
28.	Sh. Deepak Nanda, HFS	Training Course to be organized by Forest Officer by Forest Survey of India, Dehradun	26.11.2018 to 30.11.2018
29.	Sh. Paramjeet Sangwan, HFS Sh. Jai Kumar Narwal, HFS Sh. Yash Pal Jangra, HFS	One week General Refresher Course for in service State Forest Service Officers/Senior Forest Officers/Senior Forest Officers to be conducted during 2018-19 at Central Academy State Forest Service College, Coimbatore	24.09.2018 to 29.09.2018
30.	Sh. Yash pal Jangra, HFS	State Forest Officers/ACF and New Appointed for Training of Trainers Six Day Training and workshop at Central Academy State Forest Service, Dehradun	22.10.2018 to 27.10.2018
31.	Sh. Satish Kumar, HFS	State Forest Officers/ACF and New Appointed for Ecosystem Approach to Forest management Six Day training and workshop at Central Academy State Forest Service, Dehradun	12.11.2018 to 17.11.2018
32.	Sh. Shyam Sunder, DWLO	Nominations for training courses scheduled during October to December, 2018 scheduled to be held at LNJN National Institute of Criminology and Forensic Science at Sector-3, Rohini, Delhi	08.10.2018 to 11.10.2018
33.	Sh. Bijender Singh Rana, HFS Sh. Rajesh Rana, HFS Sh. Satveer Singh, HFS	Five days Training Programme on Flood & Drought Risk Management scheduled to be held at National Institute of Hydrology, Roorkee	21.01.2019 to 25.01.2019
34.	Sh. Virender Singh Gill, HFS Sh. Yashpal Jangra, HFS	Five day training for participation in Forest Fire Risk Mitigation and Management training programme scheduled to be held at Forest Research Institute, Dehradun	04.03.2019 to 08.03.2019

Organizational Structure:

वर्ष 2018-19 में वन विभाग हरियाणा के अमले की स्थिति निम्न प्रकार से रही:–

Type	Post / Rank	Cadre	In Position	In the Level of Pay Matrix (Scale)
1. Executive Staff	Principal Chief Conservator of Forests	2	1	Level – 17 (2,25000) (HoFF)
			1	Level – 16 (2,05,400-2,24,400)(WL)
	Additional PCCF	5	3	Level – 15 (1,82,200-2,24,100)
	Chief Conservator of Forests	6	5	Level – 14 (1,44,200-2,18,200)
	Conservator of Forests (Non functional upgradation)	7	4 2	Level – 14 (1,44,200-2,18,200) Level – 13 A (1,18,500-2,14,100)
	Deputy Conservator of Forests	16	2 3 2	Level – 12 Level – 11 Level – 10
	Total	**36**	**23**	
2.	Central Deputation Reserve [@ 20% of item (1) above]	7	5	
3.	State Deputation Reserve [@ 25% of item (1) above]	9	8	
4.	Training Reserve [@ 3.5% of item (1) above]	1	0	
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve [@16.5% of item (1) above]	5	1	
6.	Absent from duty	0	1	
		22	**15**	
	IFS G. Total	**58**	**38**	
1.	Haryana Forest Service Officers	54	48	53100-167800 (FPL-9)
2.	Forest Ranger	126	71	35400-112400 (FPL-6)
3.	Deputy Ranger	123	65	35400-112400 (FPL-6)
4.	Forester	487	333	29200-92300 (FPL-5)
5.	Forest Guard	1493	802	21700-69100 (FPL-3)
	Total	**2283**	**1319**	

Type		Post / Rank	Cadre	In Position	In the Level of Pay Matrix (Scale)
Technical/Specialized/Professional Staff	**Patwari**	Tehsildar	1	0	44900-142400 (FPL-7)
		Naib Tehsildar	2	2	35400-112400 (FPL-6)
		Kanoongo	7	1	35400-112400 (FPL-6)
		Patwari	15	0	19900-63200 (FPL-2)
		Demarcation Supervisor	1	1	19900-63200 (FPL-2)
		Statistical Officer	1	0	44900-142400 (FPL-7)
		Technical Assistant	1	1	35400-112400 (FPL-6)
		Statistical Assistant	4	3	35400-112400 (FPL-6)
		Research Investigator	1	0	35400-112400 (FPL-6)
	Legal	Assistant District Attorney	5	3	44900-142400 (FPL-7) +200 Special Pay
	I & T	Computer Programmer	2	1	35400-112400 (FPL-6)
		Computer operator	8	0	29200-92300 (FPL-5)

		Forest Map Officer	1	0	44900-142400 (FPL-7)
	Drawing	Circle Head Draftsman	5	4	35400-112400 (FPL-6)
		Head Draftsman	1	0	35400-112400 (FPL-6)
		Draftsman	11	0	35400-112400 (FPL-6)
		Draftsman – cum – Surveyor	1	0	35400-112400 (FPL-6)
		Surveyor	3	3	19900-63200 (FPL-2)
	Others	Divisional Publicity Officer	2	1	35400-112400 (FPL-6)
		Chief Publicity Officer	1	1	35400-112400 (FPL-6)
		Supervisor-cum-Driver	1	1	25500-81100 (FPL-4)
		Car/Jeep	53	24	25500-81100 (FPL-4)
		Tractor Driver	82	46	25500-81100 (FPL-4)
		Tubewell Operator	1	1	19900-63200 (FPL-2)
		Tubewell Mechanic	0	0	19900-63200 (FPL-2)
		Caner	1	1	16900-53500 (DL)
Ministerial Staff		Private Secretary	1	1	35400-112400 (FPL-6)
		Establishment Officer	2	2	44900-142400 (FPL-7)
		Superintendent	15	11	35400-112400 (FPL-6)
		Deputy Superintendent	46	42	35400-112400 (FPL-6)
		Assistant	100	98	35400-112400 (FPL-6)
		Stenographer	41	26	35400-112400 (FPL-6)
		Steno-Typist	21	0	19900-63200 (FPL-2)
		Clerk/Typist	221	134	19900-63200 (FPL-2)
		Restorer	1	0	19900-63200 (FPL-2)
		Daftri	2	0	16900-53500 (DL)
		Jamadar/Peon	6	0	16900-53500 (DL)
		Peon	279	135	16900-53500 (DL)
		Mali	255	186	16900-53500 (DL)
		Chowkidaar	133	58	16900-53500 (DL)
		Protection Vaucher	0	3	
		Full/Part-Time Sweeper	2	2	16900-53500 (DL)
		Sweeper-cum-Chowkidaar	0	0	16900-53500 (DL)
		Group D	643	423	16900-53500 (DL)
		Total	**1979**	**1215**	
		Total Forestry Staff	**4320**	**2572**	
These 3 IFS Cadre post of wild life wing has already been included in forestry cadre		**PCCF-cum- Chief Wild Life Warden**	**1**	**1**	**HAG. Scale 182200-224100 (AISL-15)**
		Conservator of Forests – Wild Life	**2**	**2**	**123600-210300 (AISL-14)**
		Total	**3**	**3**	
		Deputy Chief Wild Life Warden	**1**	**1**	**67700-191000 (FPL-11)**
		Divisional Wild Life Officer (WL)	4	4	53100-167800 (FPL-9)
		Veterinary surgeon	1	1	53100-167800 (FPL-9)
		DFO Wild Life, Head Quarter	1	1	53100-167800 (FPL-9)
		Inspector Wild Life	20	15	35400-112400 (FPL-6)
		Sub-Inspector Wild Life	16	14	29200-92300 (FPL-5)
		Guard Wild Life	74	23	21700-69100 (FPL-3)
		Assistant District Attorney	1	1	53100-167800 (FPL-9)
		Draftsman	1	1	35400-112400 (FPL-6)
		Superintendent	1	1	44900-142400 (FPL-7)
		Deputy Superintendent	2	2	35400-112400 (FPL-6)

	Senior Scale Stenographer	1	0	35400-112400 (FPL-6)
	Assistant	6	6	35400-112400 (FPL-6)
	Superwiser	1	1	25500-81100 (FPL-4)
	Clerk	8	7	19900-63200 (FPL-2)
	Driver	3	1	25500-81100 (FPL-4)
	Cinema Assistant	1	0	25500-81100 (FPL-4)
	Peon	8	7	16900-53500 (DL)
	Tubewell Operator	1	1	25500-81100 (FPL-4)
	Peon-cum- Chowkidar	5	5	16900-53500 (DL)
	Attendant-cum-Chowkidar	1	0	16900-53500 (DL)
	Mali-cum- Chowkidar	6	6	16900-53500 (DL)
	Keeper	6	6	16900-53500 (DL)
	Chowkidar	1	1	16900-53500 (DL)
	Group D	14	14	16900-53500 (DL)
	Total Wild Life Staff	**184**	**118**	
Total staff strength of the Department		**4504**	**2690**	

(A) ACTS IMPLEMENTATION

Acts being implemented by Forest Department are as under:-

Sr. No.	Forest Acts	Sr. No.	General Acts
1.	Indian Forest Act, 1927.	1.	Indian Evidence Act, 1872.
2.	Forest Conservation Act, 1980.	2.	Industrial Disputes Act, 1947.
3.	Wildlife Protection Act, 1972.	3.	Minimum Wages Act, 1948.
4.	Punjab Land Preservation Act, 1900.	4.	Indian Penal Code, 1862.
		5.	Code of Criminal Procedure, 1973.
		6.	Law of Limitation, 1963.

(बी) चौकसी तथ्यों सम्बन्धी सूचना

वर्ष 2018-19 में चौकसी विभाग द्वारा अनुशंसा करने पर अथवा स्वयं विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए विभिन्न दण्डों सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार से रही है:—

क्र. सं.	दण्ड की किस्म	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	कुल संख्या
1.	सेवा—मुक्त या हटाये गए	—	—
2.	न्यायालय द्वारा दण्डित/सजा देना	—	—
3.	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	—	—
4.	त्यागपत्र	—	—
5.	प्रत्यावर्ती तथा पदावन्त	1. श्री जितेन्द्र सिंह, ट्रैक्टर ड्राईवर 2. श्री राजेश, ट्रैक्टर ड्राईवर	2
6.	अनुमोदित सेवा समाप्त करना	—	—
7.	पैंशन में कमी करना	—	—
8.	वेतनमान में कमी करना	—	—
9.	वरिष्ठता में कमी करना	—	—
10.	पदोन्नति पर रोक लगाना	—	—
11.	बोनस व वेतन/उपदान जब्त करना	—	—
12.	जुर्माना करना	—	—

13.	वेतनवृद्धि पर रोक लगाना	1. श्रीमती श्यामा देवी, व0द0 2. श्री अन्नत राम, व0द0 3. श्री प्रवीण, व0र0	3
14.	सरकार द्वारा सख्त–रोष प्रकट करना	–	–
15.	लघु दण्ड दिए गए	–	–
16.	परिनिन्दित करना	–	–
17.	चेतावनी देना	1. श्रीमती श्यामा देवी, व0द0 2. श्री संजीव कुमार, व0द0 3. श्री अमित कुमार, व0र0 4. श्री राजाराम, व0द0 5. श्री नरेशकुमार, व0र0	5
18.	विशेष वेतन वाले पद पर नियुक्त न करना	–	–
19.	दक्षतारोध पार करने पर रोक लगाना	–	–
20.	दिए गए अन्य दण्ड (उक्त के अतिरिक्त)	1. श्री पंकज, वन रक्षक 2. श्री अन्नत राम, व0द0 3. श्री प्रकाश चन्द्र त्रिवेदी,व0द0 6. श्रीमती श्यामा देवी, व0द0 4. श्री सतीश कुमार, व0र0 5. श्री मोहित, व0र0 6. श्री जयवीर, व0र0 7. श्री संजीव कुमार, व0द0 8. श्री प्रवीण, व0र0 9. श्री प्रवीण कुमार, चौकीदार	9

भाग दो–अध्याय आठ

राज्य वन नीति-2006 के तहत हरियाणा में वन एवं वृक्षावरण वृद्धि हेतु वर्ष 2018-19 में पौधारोपण अभियान जारी रहा। विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत पंचायत क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों, बालू के टीलों पर और कृषि के साथ–साथ व्यक्तिगत् खेतों की भूमियों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम जारी रहे। राष्ट्रीय वन नीति अनुसार राज्य में एक तिहाई भू–भाग पर वृक्षावरण होना चाहिए।

राज्य वन नीति के उद्देश्यों को अमली जामा पहनाने के लिये राज्य में नीतिगत् स्कीमों सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत पौधारोपण कर वनावरण व वृक्षावरण में शीघ्र वृद्धि दर्ज करने के लिए वर्ष भर भिन्न–भिन्न पौधारोपण कार्यक्रमों के तहत समारोहों का आयोजन भी किया गया ताकि राष्ट्रीय वन नीति लक्ष्य के करीब शीघ्र पहुंचा जा सके। अतः विभागीय स्कीमों व पौधारोपण कार्यक्रमों का निम्नांकित तालिका के तहत मौटे तौर पर आंकलन किया जा सकता हैः–

वर्ष 2018-19 में विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति विवरण

Physical and Financial Performance				
Sr. No.	**(A) State Recurring & Non-Recurring Schemes**	**Physical (in Ha.)**	**R.K.M.**	**Financial (Rs. In Lakh)**
(a) State Non- Recurring Schemes with Plantation Target				
1.	Development of Agro-Forestry Clonal and Non-Clonal	5866.79	0.00	6132.49
2.	Green Belt in Urban Areas	0.00	537.40	695.83
3.	Rehabilitation of Degraded Forests	168.80	0.00	1019.50
4.	Revitalization of Institutions in Arravali Hills i) Plantation (Protection –cum- regeneration of natural species 200 plants per ha.) total	451	0.00	907.02
5.	Herbal Nature Park (For Word Herbal Forestry)	550.00	0.00	1336.52
6.	**Desert Control (2402)**	32.00	0.00	82.76
	Total	**7068.59**	**537.40**	**10174.12**
b)	**Non-Recurring Schemes Without Plantation Target**	0.00	0.00	
i)	Forest Publicity, Public Relation & Extension	0.00	0.00	175.67
ii)	Building	0.00	0.00	601.10
iii)	Headquarter Staff Information Technology	0.00	0.00	244.31
iv)	Afforestation of waste land and Agro-Forestry	0.00	0.00	3560.90
	Total	0.00	0.00	**4581.98**
c)	**Recurring Schemes (Forestry Wing)**			
i)	Survey, Demarcation & Settlement of Forest Area	0.00	0.00	63.11
ii)	Planning Statistical and Evaluation Cell-Head Quarter	0.00	0.00	16.50
iii)	Circle/Division Staff (2406-01-001-98)	0.00	0.00	7889.80
iv)	Establishment Expenses Head Quarter Staff	0.00	0.00	1155.40
v)	Training of Personal	0.00	0.00	6.21
vi)	Working Plan	0.00	0.00	5.41
vii)	Protection of Forests	0.00	0.00	195.47
viii)	Organization improvement and extension of Forests	0.00	0.00	155.39
ix)	Quick Growing Spaces	0.00	0.00	163.56
x)	Extension Forestry Road , Rail, Canal (RRC)	0.00	0.00	288.35
xi)	Industrial Commercial Uses	0.00	0.00	76.76
xii)	Sowing and Plantation	0.00	0.00	25.21
xiii)	Timber and other Produce Removed from Forests by Govt. Agency	0.00	0.00	117.97
xiv)	Other Expenditure Payment of Water Charges	0.00	0.00	99.20
xv)	Circle/Division Staff (2402-01-001-99)	0.00	0.00	1882.78

xvi)	Enumeration of Trees and Cutting of Branches	0.00	0.00	10.00
xvii)	Other Expenditure telephone and Electricity Bills of Forests	0.00	0.00	4.91
xviii)	Soil Conservation on Water shed basis including Cho-training (2402)	0.00	0.00	1155.67
	Total (Recurring schemes)			**13311.70**
	Total State Recurring & Non-Recurring Schemes (Forestry Wing)	**7068.59**	**537.40**	**28067.80**
	d) Centrally Sponsored Schemes on Sharing Basis			
1.	Integrated Development of Wild Life Habitats (Wild Life) (Central Share 143.33 lakh & State Share 95.55 lakh)			238.88
2.	Intensification of Forest Management (CSS) (Central Share lakh & State Share lakh)	-	-	-
3.	Strengthening Expansion and Improvement of Sanctuaries (Central Share 72.42 lakh & State Share 73.40 lakh)			145.82
4.	Agro-Forestry under National Mission for sustainable agriculture (NMSA) centrally sponsored scheme (Central Share lakh & State Share lakh)	-	-	-
	Total (Share Basis Schemes)			**384.70**
	e) Wild Life Preservation			
1.	Protection of Wild Life	0.00	0.00	
2.	Extension of Zoo & Deer Parks	0.00	0.00	328.12
	Total			**779.53**
	f) Recurring Schemes (Wild Life Wing)			
1	Head Quarter Staff	0.00	0.00	891.38
2	Protection of Wild Life in Multiple use area	0.00	0.00	70.05
3	Development of Kala Titar Tourism Complex at Abubshehar	0.00	0.00	13.00
4	Development of Wild life Sanctuary at Nahar	0.00	0.00	6.21
5	Captive Breeding of endangered species at Morni	0.00	0.00	13.38
6	Development of Chaubishi ka Chabutra at Meham	0.00	0.00	18.52
	Total Recurring and non recurring Scheme (Wild Life Wing)			**1012.54**
	G. Total Recurring and non recurring Scheme (Wild Life & Forestry)	**7068.59**	**537.40**	**30244.57**
	(A) DRDA & OTHER AGENCIES			
(a)	Wood Based Industries	400.00	149.00	219.73
(b)	CAMPA- Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority. I. Plantation	700.43	6135.21	6124.62
	ii. Eco-Restoration in Aravalli Hills	483.00	0.00	668.36
(c)	New Railway Line Jind-Sonipat Plantation	0.00	107.50	103.07
	DRDA & Other Agencies Total	**1583.43**	**6391.71**	**7115.78**
	Grand Total	**8652.02**	**6929.11**	**37360.35**

प्रचार एवं विस्तार

1. स्माल सेविंग, लैण्ड स्केपिंग व परिवार नियोजन की ओर से किये गये कार्य –शून्य।
2. विशेष योजना जैसे कैश, एम.एफ.ए.एल. आदि के अन्तर्गत किये गए कार्य –शून्य।
3. प्रचार शाखा द्वारा प्रदर्शनी, सिनेमा शो, भाषणों आदि के रूप में किए गए कार्य :–

क. सेमिनार –शून्य

ख. वर्कशाप–शून्य

ग. सिनेमा शो– राज्य में 25 फिल्म शो दिखाए गए जिनमें 4489 दर्शक शामिल हुए।

घ. अन्य गतिविधियां :–

क्रं.सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	समारोह / कार्यक्रम स्थल
1.	पृथ्वी दिवस	20.04.2018	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलदेव नगर, अम्बाला शहर।
2.	जैव विविधता दिवस	22.05.2018	जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, परहेडा जिला करनाल में आयोजित किया गया।
3.	विश्व पर्यावरण दिवस	05.06.2018	गांव टिकली जिला गुरूग्राम में राज्यस्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया।
4.	पौधागिरी अभियान	02.07.2018 से 30.07.2018	जिला अम्बाला, जीन्द, करनाल, रोहतक, सोनीपत एवं पंचकूला में स्कूली बच्चों को पौधागिरी एवं पौधारोपण / संरक्षण बारे जानकारी दी गई।
5.	वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह	05.10.2018	1. गांव मसानी जिला रेवाड़ी एवं विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र में आयोजित किया गया।
6.	अन्तर्राष्ट्रीय गीता जंयती महोत्सव	13.12.2018	ब्रह्मसरोवर जिला कुरूक्षेत्र में आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान दिनांक 02.07.2018 से 30.07.2018 तक विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दिवसों पर पौधागिरी अभियान कार्यक्रम आयोजित किये गये। वर्ष 2018–19 के दौरान 22 प्रकृति शिक्षा एवं जागरूकता कैम्प लगाए गए जिनमें 1697 बच्चों व अध्यापकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 110 नुक्कड़ नाटक सभाओं के माध्यम से 54779 स्कूली बच्चों को पौधारोपण एवं उसके रख रखाव बारे जागरूक किया गया।

(क) पोस्टर		संख्या
1.	पोस्टर अम्बोदय सरल फार्म पोस्टर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से	400

(ख) पम्फलैट और बुकलैट		संख्या
1.	पोपलर की सफल खेती	15000
2.	वृक्षारोपण एवम देखभाल	20000
3.	बुकलैट–वन विभाग हरियाणा की पौधारोपण योजना	20000
4.	जंड	15000
5.	शीशम	15000
6.	आंवला	15000
7.	क्लोनल सफेदा	15000
8.	कृषि वानिकी	20000

(ग) स्टीकर/लीफलैट		
1.	सपायरल नोट बुक	16500
2.	काला हिरण	20000
3.	वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा	20000
4.	काला तीतर	20000
5.	पीपल	20000
6.	फोल्डर–प्रचार सामग्री डालने के लिए	20000

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के मुख्य कार्य पौधारोपण हेतू नर्सरियों में पौधे उगाना, पौधारोपण हेतू अर्थ वर्क करना, वृक्ष लगाने सम्बन्धित कार्य करना, पौधारोपण की देख रेख के दौरान होने वाले नुकसानों से संरक्षण करना, वन सम्पदा की चोरी को रोकना तथा भूमि संरक्षण कार्य करना आदि–आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है परन्तु इन कार्यों की विशेषकर पौधारोपण एवं वन भूमियों की सुरक्षा के लिए नियमित तथा सामयिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल का कार्य क्षेत्रीय मण्डलों, वन्य प्राणी एवं ईको टूरिज्म द्वारा करवाए गए पौधारोपण व अन्य कार्य की जांच एवं मूल्यांकन करना है। यह कार्य वन संरक्षक जांच एवं मूल्यांकन, करनाल परिमण्डल अपने अधीनस्थ वन मण्डल अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से करते हैं। इस परिमण्डल कार्यालय के अन्तर्गत दो मण्डल करनाल एवं हिसार कार्यशील हैं। वन मण्डल अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन करनाल के अधीन दो रेंजें करनाल व अम्बाला हैं। जांच एवं मूल्यांकन रेंज करनाल द्वारा रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल मण्डल के पौधारोपण की जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा जांच एवं मूल्यांकन, अम्बाला रेंज द्वारा मोरनी–पिजौंर, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल व कुरूक्षेत्र मण्डलों के पौधारोपण की जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है। इसी प्रकार वन मण्डल अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन मण्डल हिसार के अधीन दो रेंजें हिसार व रेवाड़ी है। हिसार रेंज द्वारा वन संरक्षक पश्चिमी परिमण्डल, हिसार के अधीन मण्डलों के पौधारोपण की जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है व रेवाड़ी रेंज द्वारा वन संरक्षक दक्षिणी परिमण्डल गुरूग्रम के अधीन मण्डलों के पौधारोपण की जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है। दोनों वन मण्डल अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट पूर्ण करके सम्बन्धित वन संरक्षकों तथा वन मण्डल अधिकारियों को भेजते हुए एक प्रति जांच एवं मूल्यांकन परिमण्डल करनाल को भेजते है तदोपरान्त वन संरक्षक जांच एवं मूल्यांकन करनाल जांच एवं मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला भेजते हुए एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी), हरियाणा, पंचकूला तथा सम्बन्धित वन संरक्षक को ई–मेल द्वारा तथा लिखित प्रति भेजते हैं जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला, सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकों/वन संरक्षकों व वन मण्डल अधिकारियों की होती है। इस परिमण्डल द्वारा वर्ष 2018–19 में पौधारोपण की जांच एवं मूल्यांकन का कार्य 6661 है0 तथा 6006 आर. के.एम. चैक किया गया। इसके अतिरिक्त परिमण्डल परिक्षेत्र द्वारा सेल डिपो, नर्सरी चैकिंग, एच.जी.एच. कार्य एवं भू–संरक्षण के कार्य भी चैक किए गए। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Name of Division	No. of Sites Checked	Area Checked						Total No. of Plants chec-ked	Result of Monitoring and Evaluation				Shortage of work No. of sites	Disciplinary action require (ATR) No. of sites
		Ha.	RKM	T .G.	No.	Acre	Kanal		Success <20% No. of Sites	20>Success<45% No. of Sites	50>Success<70% No. of Sites	Success>70% No. of Sities		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Territorial Wing														
Hisar	957	5244	4370	0	0	0	0	5000929	95	87	410	365	0	0
Karnal	337	1417	1636	0	0	0	0	1476701	9	13	74	241	0	0
Total	**1294**	**6661**	**6006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6477630**	**104**	**100**	**484**	**606**	**0**	**0**

सैम्पलिंग मैथोडोलोजी:

वर्ष 2018–19 में जांच एवं मूल्यांकन का कार्य Random sampling के आधार पर निम्न प्रकार से किया गया है:–

1. प्राथमिक तौर पर सम्बन्धित वन मण्डल द्वारा भेजे गए ए.पी.ओ. में से वन राजिक अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन नमूने के आधार पर स्कीम अनुसार नर्सरी/पौधारोपण क्षेत्रों/कटाई क्षेत्रों/बिक्री डिपो की चयन सूची तैयार करता है। वन मण्डल अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन द्वारा जांचने उपरान्त वन राजिक अधिकारी जांच एवं मूल्यांकन का दौरा कार्यक्रम अनुमोदित कर सम्बन्धित वन मण्डल/ वन राजिक को ई–मेल एवं लिखित रूप में अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है।
2. वित्तीय वर्ष का 20 प्रतिशत, प्रथम वर्ष का 20 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष का 20 प्रतिशत, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ष का 10 प्रतिशत पौधारोपण नमूने के आधार पर चयन किया जाता है।
3. वित्तीय वर्ष की जांच करते समय विशेष ध्यान पौधारोपण क्षेत्र की Overlapping checking of Physical area and earth work, scheme के अनुसार पौधारोपण में Spacing, Digging and Alignment गुणवत्ता एवं सफलता का विशेष ध्यान दिया जाता है।
4. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पौधारोपण की जांच की दौरान Replacement, Cultural Operation, Measurement of growth of Plants Disease if any, एवं Mainly Protection पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
5. तृतीय चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के पौधारोपण का चयन विशेषतः पौधारोपण के Establishment of plantation को चैक करने के उद्देश्य से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित वन राजिक अधिकारी/वन मण्डल अधिकारी/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय), हरियाणा, पंचकूला/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला एवं सरकार से स्पैशल विशेष अनुमोदन पर उन द्वारा चाहे गए पौधारोपण/कटाई/डिपो/भू–संरक्षण कार्य की जांच की जाती है। एक रेंज में की जाने वाली कुल क्षेत्र की मोनिटरिंग उपलब्ध स्टॉफ की संख्या पर निर्भर थी।

भाग दो–अध्याय नौ

अनुभाग –एक (सामान्य सुरक्षा)

राज्य में वन अधिनियम, 1927 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन गठित वन्य प्राणी संरक्षण नियम, 1974 को वनों तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु सख्ती से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध शिकार एवं नाजायज कटाई को रोकने के लिए फिल्मों, पोस्टरों और भाषणों से जनता को शिक्षित किया गया।

अनुभाग –दो (अग्नि से सुरक्षा)

वन क्षेत्रों को आग से बचाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए वायरलैस सैटों का प्रयोग अम्बाला एवं मोरनी वन मण्डलों में वर्षभर किया गया। शिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियों के सीमित प्राकृतिक वनों की आग से सुरक्षा के लिये अतिरिक्त योजनाएं तैयार कर बचाव कार्य जारी रहे। राज्य के Green-gold को बचाने हेतु क्षेत्रीय अमले को शीघ्र अति शीघ्र नए–नए उपयोगी प्रशिक्षण देकर इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखना होगा।

अनुभाग–तीन (पशुओं से संरक्षण)

वर्ष के दौरान सरकारी वनों में चराई वर्जित रही।

वन नियमों में उल्लघंन के मामले

वर्ष के आरम्भ में मामले 4277 लम्बित थे। वर्ष के दौरान 7590 मामले नए आए। इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल 11867 मामले रहे। इनमें से 5589 मामलों का निपटान विभागीय तौर पर किया गया तथा 1154 का निपटान जिला न्यायालयों द्वारा किया गया। 309 मामले में अपराधियों का पता नही चला तथा वर्ष के अन्त में 4815 मामले शेष रहे।

पिछले पांच वर्षों में कुल मामले, निपटान व बकाया मामलों का सारांश निम्न प्रकार से रहा हैः–

–क–

वर्ष	पिछले	वर्तमान	योग	निपटान	पता न लगना	बकाया
2014–15	5092	7323	12415	7877	122	4416
2015–16	4416	7993	12409	8210	44	4155
2016–17	4155	6649	10804	5876	81	4847
2017–18	4847	6827	11674	7283	114	4277
2018–19	4277	7590	11867	6743	309	4815
योग	**22787**	**36382**	**59169**	**35989**	**670**	**22510**

पिछले पांच वर्षों के क्षति मामलों का सारांश निम्न प्रकार से रहा है :–

–ख–

वर्ष	अग्नि द्वारा	अवैध कटाई	अवैध चराई	अन्य	योग
2014–15	5	5126	461	1731	7323
2015–6	6	5921	441	1625	7993
2016–17	16	4294	492	1847	6649
2017–18	50	4185	661	1931	6827
2018–19	82	4964	323	2221	7590
योग	**159**	**24490**	**2378**	**9355**	**36382**

कार्य दिवस

वर्ष के दौरान ठेकेदारी प्रथा लागू रही जिसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार के रुप में अनुमानित कार्य दिवस निम्न प्रकार से उपलब्ध करवाए गए:–

–रोजगार उपलब्धता–

परिमण्डल का नाम	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल मजदूर	कुल कार्य दिवस
वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला	31636	29311	44286	105233	1650446
वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	49716	36264	51389	137369	708580
वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम	12310	4278	4879	21467	542912
वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक	4736	2504	2812	10052	306365
योग	**98398**	**72357**	**103366**	**274121**	**3208303**

Forest Conservation Act, 1980

वन संरक्षण अधिनियम, 25 अक्टूबर, 1980 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी वन भूमि भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर वानिकी कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। यह अधिनियम हमारे वनों और जीवों की समृद्ध जैव विविधता, जो हमारे देश की प्राकृतिक विरासत ही नहीं अपितु हमारी सामाजिक व आर्थिक प्रगति का आधार है व साथ–साथ भावी संसाधनों का भण्डार भी हैं, को बचाए रखने के हमारे संकल्प का बेहतरीन सूचक रहा है।

वन नियमों के उल्लघंन सम्बन्धी मामले, आग से सुरक्षित वन क्षेत्र तथा आग के कारण क्षति की सूचना फार्म संख्या 13, 14 व 15 में दशाई गई है।

वन फार्म संख्या-13

(अनुच्छेद **76, 78** व **79** वन विभाग संहिता आठवां संस्करण)

वर्ष **2018-19** के दौरान वन नियमों के उल्लंघन सम्बन्धी रजिस्टर दर्शाने वाला विवरण पत्र

मण्डल का नाम	पिछले वर्ष के अनिर्णित मामले			वर्ष के नये मामले					
				अग्नि द्वारा वन को हानि			अनाधिकृत तौर पर वृक्ष गिराऐ जाना		
	क	ख	सभी	क	ख	ग	क	ख	ग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
मोरनी–पिंजौर	12	123	**135**	0	0	7	2	64	0
यमुनानगर	166	136	**302**	0	0	26	55	88	1
अम्बाला	5	0	**5**	0	0	0	0	42	20
कुरुक्षेत्र	6	10	**16**	0	0	26	4	67	0
कैथल	51	277	**328**	0	0	1	16	282	0
रोहतक	45	14	**59**	0	0	0	77	8	0
झज्जर	6	57	**63**	0	0	3	14	143	0
करनाल	13	17	**30**	0	0	0	237	0	0
पानीपत	0	50	**50**	0	0	0	10	104	0
सोनीपत	18	10	**28**	0	0	0	51	0	0
हिसार	54	128	**182**	0	0	0	22	154	0
फतेहाबाद	39	275	**314**	0	0	17	0	41	0
सिरसा	33	192	**225**	0	0	0	9	399	0
भिवानी	12	79	**91**	0	0	0	3	441	0
जीन्द	247	436	**683**	0	1	0	316	1141	180
गुरुग्राम	55	93	**148**	0	0	0	10	241	0
फरीदाबाद	165	495	**660**	0	0	0	1	5	0
पलवल	57	159	**216**	0	0	1	0	9	0
मेवात	177	20	**197**	0	0	0	0	218	0
महेन्द्रगढ़	353	108	**461**	0	0	0	4	78	0
रेवाड़ी	40	44	**84**	0	0	0	0	407	0
योग	**1554**	**2723**	**4277**	**0**	**1**	**81**	**831**	**3932**	**201**

	वर्ष के नये मामले								
मण्डल का नाम	अनाधिकृत तौर पर पशु चराना			अन्य अपराध			जोड़		
	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
	11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
मोरनी–पिंजौर	0	4	0	34	40	5	**36**	**108**	**12**
यमुनानगर	0	16	0	10	126	0	**65**	**230**	**27**
अम्बाला	0	2	20	5	45	0	**5**	**89**	**40**
कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	11	0	**4**	**78**	**26**
कैथल	0	5	0	10	104	0	**26**	**391**	**1**
रोहतक	0	0	0	0	0	0	**77**	**8**	**0**
झज्जर	0	1	0	0	69	0	**14**	**213**	**3**
करनाल	0	0	0	161	0	0	**398**	**0**	**0**
पानीपत	0	0	0	32	23	0	**42**	**127**	**0**
सोनीपत	0	0	0	0	0	0	**51**	**0**	**0**
हिसार	0	0	0	0	43	0	**22**	**197**	**0**
फतेहाबाद	0	6	0	0	23	0	**0**	**70**	**17**
सिरसा	0	13	0	15	128	0	**24**	**540**	**0**
भिवानी	0	55	0	0	228	0	**3**	**724**	**0**
जीन्द	6	69	0	2	297	2	**324**	**1508**	**182**
गुरुग्राम	0	0	0	26	20	0	**36**	**261**	**0**
फरीदाबाद	0	0	0	11	46	0	**12**	**51**	**0**
पलवल	0	0	0	11	0	0	**11**	**9**	**1**
मेवात	0	62	0	6	173	0	**6**	**453**	**0**
महेन्द्रगढ़	1	33	0	7	315	0	**12**	**426**	**0**
रेवाड़ी	0	30	0	0	193	0	**0**	**630**	**0**
योग	**7**	**296**	**20**	**330**	**1884**	**7**	**1168**	**6113**	**309**

मण्डल का नाम	कुल मामले				वर्ष के दौरान निपटान							
					अपराध सिद्धियां				अपराध मुक्तियां			
					मामले		व्यक्ति		मामले		व्यक्ति	
	क	ख	ग	सभी	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
	20	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
मोरनी–पिंजौर	**48**	**231**	**12**	**291**	4	123	4	123	24	85	24	61
यमुनानगर	**231**	**366**	**27**	**624**	19	251	62	260	7	6	10	12
अम्बाला	**10**	**89**	**40**	**139**	1	89	1	54	4	0	4	0
कुरुक्षेत्र	**10**	**88**	**26**	**124**	0	68	0	64	6	0	6	0
कैथल	**77**	**668**	**1**	**746**	26	391	26	405	0	0	0	0
रोहतक	**122**	**22**	**0**	**144**	63	2	63	2	0	0	0	0
झज्जर	**20**	**270**	**3**	**293**	4	216	4	216	0	0	0	0
करनाल	**411**	**17**	**0**	**428**	299	17	299	17	0	0	0	0
पानीपत	**42**	**177**	**0**	**219**	38	124	38	124	0	0	0	0
सोनीपत	**69**	**10**	**0**	**79**	55	10	47	10	0	0	0	0
हिसार	**76**	**325**	**0**	**401**	54	175	54	175	0	11	0	11
फतेहाबाद	**39**	**345**	**17**	**401**	0	106	0	106	0	0	0	0
सिरसा	**57**	**732**	**0**	**789**	28	533	28	533	0	0	0	0
भिवानी	**15**	**803**	**0**	**818**	1	675	1	699	1	0	1	0
जीन्द	**571**	**1944**	**182**	**2697**	374	1190	242	1190	0	0	0	0
गुरुग्राम	**91**	**354**	**0**	**445**	24	267	24	267	2	1	2	1
फरीदाबाद	**177**	**546**	**0**	**723**	2	8	2	8	7	0	7	0
पलवल	**68**	**168**	**1**	**237**	32	9	32	9	14	0	14	0
मेवात	**183**	**473**	**0**	**656**	6	250	6	250	6	0	6	0
महेन्द्रगढ़	**365**	**534**	**0**	**899**	47	400	51	408	0	0	0	0
रेवाड़ी	**40**	**674**	**0**	**714**	0	582	0	582	6	0	6	0
योग	**2722**	**8836**	**309**	**11867**	**1077**	**5486**	**984**	**5502**	**77**	**103**	**80**	**85**

मण्डल का नाम	जोड़						वर्ष के अन्त में विचाराधीन मामले			विशेष कथन
	मामले			व्यक्ति						
	क	ख	सभी	क	ख	सभी	क	ख	सभी	
	32	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	41
मोरनी–पिंजौर	28	208	**236**	28	184	**212**	20	23	**43**	
यमुनानगर	26	257	**283**	72	272	**344**	205	109	**314**	
अम्बाला	5	89	**94**	5	54	**59**	5	0	**5**	
कुरुक्षेत्र	6	68	**74**	6	64	**70**	4	20	**24**	
कैथल	26	391	**417**	26	405	**431**	51	277	**328**	
रोहतक	63	2	**65**	63	2	**65**	59	20	**79**	
झज्जर	4	216	**220**	4	216	**220**	16	54	**70**	
करनाल	299	17	**316**	299	17	**316**	112	0	**112**	
पानीपत	38	124	**162**	38	124	**162**	4	53	**57**	
सोनीपत	55	10	**65**	47	10	**57**	14	0	**14**	
हिसार	54	186	**240**	54	186	**240**	22	139	**161**	
फतेहाबाद	0	106	**106**	0	106	**106**	39	239	**278**	
सिरसा	28	533	**561**	28	533	**561**	29	199	**228**	
भिवानी	2	675	**677**	2	699	**701**	13	128	**141**	
जीन्द	374	1190	**1564**	242	1190	**1432**	197	754	**951**	
गुरुग्राम	26	268	**294**	26	268	**294**	65	86	**151**	
फरीदाबाद	9	8	**17**	9	8	**17**	168	538	**706**	
पलवल	46	9	**55**	46	9	**55**	22	159	**181**	
मेवात	12	250	**262**	12	250	**262**	171	223	**394**	
महेन्द्रगढ़	47	400	**447**	51	408	**459**	318	134	**452**	
रेवाड़ी	6	582	**588**	6	582	**588**	34	92	**126**	
योग	**1154**	**5589**	**6743**	**1064**	**5587**	**6651**	**1568**	**3247**	**4815**	

नोटः– (क) न्यायालयों में ले जाए गए केस।

(ख) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 68 के अधीन निपटाये गए केस।

(ग) ऐसे केस जिन में अपराधियों का पता नहीं लगा।

वन फार्म संख्या - 14

(अनुच्छेद 76, 78 व 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष 2018-19 के दौरान आग से रक्षित वन क्षेत्र

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क. स.	मण्डल	गत वर्ष संरक्षण करने का प्रयत्न किया गया क्षेत्र	वास्तव में सुरक्षित वन क्षेत्र	ऐसा क्षेत्र जिसका वर्ष के दौरान संरक्षण करने का प्रयत्न किया गया	असफल क्षेत्र	वर्ष के दौरान वास्तव में सुरक्षित वन क्षेत्र	वर्ष में लागत (रुपए में)	विशेष कथन
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोरनी–पिंजौर	38214.54	38214.54	38214.54	417.00	37797.54	5278409	अग्नि रेखा की मुरम्मत
2	यमुनानगर	21731.86	21708.86	22818.30	309.08	22509.22	3921711	
3	अम्बाला	5294.40	5294.40	5294.40	0.00	5294.40		
4	कुरुक्षेत्र	4480.18	4480.18	4517.55	31.00	4486.55		
5	कैथल	7216.31	7200.31	7216.31	0.09	7216.22	902030	
6	रोहतक	4594.35	4594.35	4594.35		4594.35		
7	झज्जर	3991.78	3991.78	3991.78	3.20	3988.58		
8	करनाल	7706.35	7684.35	7721.04		7721.04		
9	पानीपत	4152.85	4152.85	4152.85		4152.85		
10	सोनीपत	9253.26	9231.61	9380.58		9380.58		
11	हिसार	6313.13	6313.13	6326.50		6326.50		
12	फतेहाबाद	5550.84	5546.85	5550.84	21.30	5529.54		
13	सिरसा	4804.41	4804.41	4842.60		4842.60		
14	भिवानी	9098.32	9098.32	9098.32		9098.32		
15	दादरी	0.00	0.00	0.00		0.00		
16	जीन्द	6849.71	6849.71	6855.21	0.80	6854.41		
17	गुरुग्राम	8899.66	8899.66	8899.66		8899.66		
18	फरीदाबाद	7019.08	7019.08	7019.08		7019.08		
19	पलवल	2948.63	2948.63	2948.63	6.00	2942.63		
20	नूंह	7877.76	7877.76	7894.35		7894.35		
21	महेन्द्रगढ़	5726.05	5726.05	5726.05		5726.05		
22	रेवाड़ी	4935.03	4935.03	4935.03		4935.03		
	योग	**176658.50**	**176571.86**	**177997.97**	**788.47**	**177209.50**	**10102150**	**0**

वन फार्म संख्या - 15

(अनुच्छेद 76, 78 व 79 वन विभाग संहिता सातवां संस्करण)

वर्ष 2018-19 के दौरान दावानल के कारण क्षति

आरक्षित अथवा अग्निरेखा क्षेत्र में लगने वाली आग

क्र.सं.	मण्डल	दुर्घटना द्वारा तथा अग्नि रेखा से जलाने में असावधानी से लगी आग		बाध्य अग्नि रेखा पार करके वनों में लगने वाली आग		वनों में नियुक्त कर्मचारी, वन उपज केताओं और काटने वाले व्यक्तियों द्वारा		वनों में से गुजरनेवाले ग्रामीणों/ यात्रियों आदि द्वारा लगने वाली आग	
		कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	0	0	0	0	5	35
2	यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0
6	रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0
7	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0
8	करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0
12	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
13	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	0
14	भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गुरुग्राम	0	0	0	0	0	0	0	0
17	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
18	पलवल	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0
20	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
21	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**35**

क्र.स.	मण्डल	रेलवे ईंजनों द्वारा दुर्घटना से		लापरवाही के कारण हानि, विद्युत द्वारा या अग्नि द्वारा		नई घास प्राप्त करने के लिये लगाई गई आग		शिकार समाप्त करने अथवा झाड़ियां इत्यादि कम करने के लिए लगाई गई आग	
		कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)
		10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	1	3	0	0	0	0
2	यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	26	31
5	कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0
6	रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0
7	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0
8	करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0
12	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
13	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	0
14	भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गरुग्राम	0	0	0	0	0	0	0	0
17	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
18	पलवल	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0
20	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
21	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

क्र. सं.	मण्डल का नाम	दुर्भावना से लगाई गई आग		जोड़		अज्ञात कारणों से		जोड़ क, ख तथा ग	
		कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)	कितनी बार आग लगी	जला क्षेत्र (है. में)
		18	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
1	मोरनी–पिंजौर	0	0	6	38	1	379.00	7	417.00
2	यमुनानगर	0	0	0	0	26	309.08	26	309.08
3	अम्बाला	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
4	कुरुक्षेत्र	0	0	26	31	0	0.00	26	31.00
5	कैथल	0	0	0	0	64	0.10	64	0.10
6	रोहतक	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
7	झज्जर	0	0	0	0	3	3.20	3	3.20
8	करनाल	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
9	पानीपत	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
10	सोनीपत	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
11	हिसार	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
12	फतेहाबाद	0	0	0	0	17	21.30	17	21.30
13	सिरसा	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
14	भिवानी	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
15	जीन्द	0	0	0	0	1	0.80	1	0.80
16	गुरुग्राम	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
17	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
18	पलवल	0	0	0	0	1	6.00	1	6.00
19	मेवात	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
20	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
21	रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
योग		**0**	**0.00**	**32**	**69.00**	**113**	**719.48**	**145**	**788.48**